लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

(यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित का संस्करण है और इसम अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।)

(This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi)

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—10, सोमवार, नवम्बर 23, 1970/अग्रहायण 2, 1892 (शक)
No.—10, Monday, November 23, 1970/Agrahayana 2, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अन्तरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग और कोनरैड का स्वागत	Welcome to Astronauts Armstrong and Conrad	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
271. गुरु नानक के जन्म दिवस (1970) पर निरंकारी सिखों को रावलपिंडी की यात्रा करने की अनुमति देने से इन्कार	Refusal of Permission to Nirankari Sikhs to Visit Rawalpindi on Guru Nanak's Birthday (1970)	4—6
274. श्री लंका में गैर नागरिकों पर अधिवासी कर लगाया जाना	Imposition of Domicile Tax on Non Citizens in Ceylon	6—11
275. जम्मू और काश्मीर के बारे में रूसी नक्शे	Soviet Maps about J & K	12—14
277. दक्षिण कोरिया से अमरीकी सैनिकों का वापस बुलाया जाना	Withdrawal of U. S. Troops from South Korea	14—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUSTIONS	
272. भारतीय अधिकारी की हनोई यात्रा का रद्द किया जाना	Cancellation of visit of an Indian Official to Hanoi	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
273.	परिवार नियोजन के उपायों का माताओं पर प्रभाव	Impact of Family Planningmethods on Mothers	16
276.	पाकिस्तान के लिये भारतीय फिल्में	Indian Films for Pakistan	16—17
278.	इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई	Supply of Tanks to Pakistan by Indonesia	17
279.	दन्त चिकित्सकों की शिकायतें	Grievances of the Dentists	17—18
280.	पूर्वी यूरोप के देशों के नक्शों में भारतीय क्षेत्र को चीनी क्षेत्र दिखाया जाना	East European Countries' Maps showing Indian Territory as Belonging to China	18—19
281.	चीन द्वारा प्रक्षेपणास्त्र अड्डों की स्थापना	Setting up of Missile Bases by China	19
282.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०) कानपुर के छात्रों द्वारा व्यक्त किये गये विरोध के बारे में अमरीकी राजदूत से पत्र	Communication from U S Ambassador about Protest made by Students of IIT Kanpur	19
283.	चीन द्वारा निर्मित बमवर्षक जेट विमान	Bomber Jets manufactured by China	19—20
284.	स्त्रियों के बन्ध्यकरण के लिये नई प्रक्रिया	New Procedure for Woman Sterilisation	20
285.	संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की बिक्री का प्रश्न	Question of US Arms Sales to Pakistan in U. N.	20
286.	एच० एफ० 24 विमानों की सुपरसोनिक मार्क II श्रेंखला	Supersonic Mark II Series of H F 24 Aircraft	20—21
287.	ऑर्डिनेस फैक्टरी, भुसावल द्वारा भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई	Supply of Barrels by Ordnance Factory Bhusaval to Indian Oil Corporation	21
288.	हाँगकाँग स्थित भारतीय बैंकों के अधिकारियों को चीनियों द्वारा आमन्त्रण	Indian Bank Officials in Hong Kong invited by the Chinese	22
289.	भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र	Foreign Cultural Centres in India	22

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
290. दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सरकारी इमारतों पर गृह कर	House Tax on Government buildings located in Delhi and New Delhi	22—23
291. बिहार में अभ्रक की खानों का बन्द किया जाना	Closure of Mica Mines in Bihar	23
292. सैनिक स्कूल खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का अभ्यावेदन	Representation from Himachal Pradesh Government for opening of a Sainik School	24
293. भारत तथा पाकिस्तान के बीच हाट लाइन की स्थापना	Setting up Hot Line between India and Pakistan	24
294. नागपुर में वायु दूषण अध्ययन केन्द्र की स्थापना	Setting up of an Air Pollution study Centre at Nagpur	24—25
295. काश्मीर की लड़ाई के बारे में विवाद	Controversy on the Kashmir Operations	25
296. तीनों सैन्य सेवाओं की पारस्परिक समस्याएं	Inter Service Problems	25—26
297. सरकार द्वारा बिड़ला भवन का अधिग्रहण	Acquisition of Birla House by Government	26
298. भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में 1937 में तैयार किये गए विवादास्पद रूसी नक्शे	Controversial Soviet Maps about Indian Territory drawn in 1937	26
299. भारत में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए तेलशोधन करार का लागू किया जाना	Enforcement of Refinery Agreement with Foreign Oil Companies in India	27
300. औषध उद्योग द्वारा दवाईयों के लिए कच्चे माल का आयात	Import of raw materials for drugs by Pharmaceutical Industry	27
अता० प्र० संख्या U.S.Q.		
1801. कलत्ता के विकास के लिए योजना	Scheme for Development of Calcutta	28—29
1802. सरकारी विभागों में तकनीकी कार्य गैर तकनीकी व्यक्तियों द्वारा किया जाना	Technical Works being handled by non technical Individuals in Government Departments	29
1803. भारत में नकली तथा घटिया औषधियों की बिक्री	Sale of Spurious and Sub standard Drugs in India	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1804.	घूस के मामलों में अंतगत भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी	Officials of Fertilizer Corporation of India involved in Bribery Cases	30—31
1805.	आवास परियोजनाओं में घटिया सीमेंट के बारे में शिकायतें	Complaints against use of sub-standard Cement in Housing Projects	31
1806.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना	Filling up of Vacancies of Engineers in CPWD	31—32
1807.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए अर्हता	Qualification for Appointment of Jr. Engineers in CPWD	32—33
1808.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सचिव से पाकिस्तान के दूत की भेंट	Pakistan Envoy's Meeting with Secretary External Affairs	33
1809.	चेकोस्लोवाकिया के, तीन नागरिकों द्वारा अगस्त, 1970 में भारत की यात्रा	Visit of three Czechoslovak Nationals to India in August, 1970	33
1810.	देश में अंधापन का निवारण	Prevention of blindness in the country	33—34
1811.	देश के भूमिगत जल संशोधन का सर्वेक्षण	Survey of underground water resources in the Country	34
1812.	घी और मक्खन बनाने में आयातित चर्बी का प्रयोग	Use of imported Tallow in the Manufacture of Ghee and Butter	34—35
1813.	मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of PWD employees in Manipur	35
1814.	चीन के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करना	Resumption of full Diplomatic Relations with China	35—36
1815.	राजधानी में फ्लू ज्वर के मामले	Cases of Flu in the Capital	36
1816.	हिन्द महासागर से अलग रहने के लिए बड़े राष्ट्रों से अपिल	Appeal to Big Powers to keep away from Indian Ocean	36

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1817. चंडीगढ़ में कार्य कर रहे पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह	Pakistan Spy Rings Operating in Chandigarh	36—37
1818. नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस का हस्तान्तरण	Transfer of Birla House. New Delhi	37
1820. हाल्दिया में सोडा राख कारखाने के लिये कच्चा माल	Raw Material for Roda Ash Plant at Haldia	37—38
1821. कोयला उद्योग में संकट	Crisis in Coal Industry	38—39
1822. भारत बुलगारिया सहयोग	Indo Bulgaria Cooperation	39
1823. भूतपूर्व विद्रोही नागाओं को पुलिस तथा नागालैंड के अन्य विभागों में भर्ती किया जाना	Absorption of Ex-Rebel Nagas in Police and other Departments of Nagaland	39—40
1824. फिजो को ब्रिटेन द्वारा सहायता देना	British help to Phizo	40
1825. संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला उठाया जाना	Raising issue of Tibet in UNO	40
1826. मई और जून, 1970 में नागाओं का आत्मसमर्पण	Surrendor by Nagas during May and June. 1970	41
1827. घूस लेने के आरोप में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के विपणन उपप्रबन्धक के विरुद्ध जांच	Enquiry against Deputy Marketing manager of Fertilizer corporation of India Trombay for accepting Bribe	41
1828. प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा	Prime Minister's Foreign Visit	41
1830. प्रधान मंत्री की सोवियत राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से भेंट	Meeting of Prime Minister with Soviet President and Prime Minister	42
1831. लाहौर की मुस्लिम लीग के अध्यक्ष से प्रधान मंत्री की भेंट	P. M's Meeting with President of Muslim League, Lahore	42
1832. काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से बातचीत करने पर भारत का सहमत होना	India Willing to discuss Kashmir with Pakistan	42—43
1833. चौथी योजना में गृह निर्माण कार्यक्रम	Housing Programme in Fourth Plan	43—45

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1834. भारतीय आप्रवासियों द्वारा बर्मा में छोड़ी गई सम्पत्ति	Properties left by Indian Immigrants in Burma	45
1835. संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के लिए संसद सदस्यों का चयन	Selection of Members of Parliament for Indian Delegation to Jubilee Session of UNO	45
1836. चांदनी चौक कोतवाली की इमारत के मूल्य के रूप में वसूल की गई राशि को श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को वापस करना	Refund of money to Shri Gurdwara Prabandhak Committee charged on account of Chandni Chowk Kotwali Building	46
1837. राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों पर व्यय	Expenditure on Memorials of National Leaders	46
1838. इण्डियन आयल कारपोरेशन में रोजगार के लिये दिये गये आवेदन पत्र के साथ दी गई राशि का लौटाया जाना	Refund of Application Money for Employment in Indian Oil Corporation	46—47
1839. खेतड़ी तांबा परियोजना में हड़ताल	Strike at Khetri Copper Project	47
1840. सरकारी क्षेत्र द्वारा आयातित और देशी तेल उत्पादों का वितरण कार्य	Handling of Imported and Indigenous Oil Products by public Sector	48
1841. देश में उर्वरक कारखानों की स्थापना में हुई प्रगति तथा भविष्य के लिये निर्धारित लक्ष्य	Progress made and future Target in setting up Fertilizer Factories in the country	48
1842. सस्ती आणविक शक्ति पर आधारित नाइट्रोजन खाद बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Nitrogen Fertilizer Factory based on cheap Atomic Power	48—49
1843. इसरायल के सहयोग से इलियात बन्दरगाह पर उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Fertilizer Factory at Ilyat Port in collaboration with Israel	49

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1844. 1970-71 की अवधि में हीरे निकालने का कार्यक्रम	Diamond Extraction Programme during 1970—71	49
1845. ग्रामीण आवास समस्या	Rural Housing Problem	49—50
1846. बेघर ग्रामीण श्रमिक	Rural Labourers who have no Houses of their own	50
1847. ग्रामीण श्रमिकों को मकान निर्माण के लिये ऋण के रूप में सहायता देना	Loan Assistance for Construction of Houses for Rural Labourers	50—51
1848. इसरायल के साथ राजनयिक संबन्ध	Diplomatic relations with Israel	51
1849. भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल पी० पी० कुमार मंगलम का वक्तव्य	Statement of ex. Chief of Army Staff General P.P. Kumaramangalam	51
1850. राष्ट्र मण्डल देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers' Conference	52
1851. प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा	P.M.'s visit to Moscow	52—53
1852. पश्चिमी बंगाल में हाल्दिया में उर्वरक सोडा ऐश तथा मैथैनोल के कारखानों के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress of work for construction of Fertilizer, Soda Ash and Methanol Plants at Haldia on West Bengal	54
1853. टी० बी० अस्पताल महरौली के कर्मचारियों की मांग तथा शिकायत	Demands and Grievances of Staff of T.B. Hospitals, Mehrauli (Delhi)	54—55
1854. जनकपुरी, नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं देना	C.G.H.S. facilities to Central Government Employees Residing in Janakpuri, New Delhi	55
1855. जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना	Provision of Civic Amenities in Janakpuri Colony, New Delhi	55—56
1856. गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की हड़ताल	Stike by Employees of ONGC in Gujarat	56—57

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1857. हिन्द चीन में शांति के लिये अमरीका, रूस तथा वियत-कांग के शान्ति प्रयास	Proposals of USA, USSR and Vietcong for Peace in Indo China	57
1858. दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री	Arms Sale to South Africa	57
1859. रेजीमेंटों में अन्य जातियों की व्यक्तियों की प्रतिशतता	Percentage of persons belonging to other castes included in Regiments	58
1860. विभिन्न राज्यों से भर्ती किये गये जवानों की प्रतिशतता	Percentage of Jawans Recruited from States	58—59
1861. टौरैंटो ग्लोब एण्ड मेल के विशेष संवाददाता को वीसा न देना	Refusal of Visa to Special Correspondent of Toronto Globe and Mail	59
1862. नेप्था पर आधारित नए उर्वरक कारखानों की स्थापना	Establishment of New Naptha based Fertilizer Factories	59
1863. इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को मिग विमानों की सप्लाई	Supply of MIG to Pakistan by Indonesia	60
1864. पश्चिम एशिया के लिये रूसी योजना	Soviet Plan for West Asia	60
1865. संसद् सदस्यों तथा मंत्रियों की ओर किराये, फर्नीचर, बिजली तथा पानी के बिलों की बकाया राशियां	Arrears of Rents, Furniture, Electricity and Water against M.Ps. and Ministers	61—62
1866. विदेशों में नियुक्त भारतीय अधिकारियों के लिये राष्ट्रीय पोशाक	National Dress for Indian Officials posted Abroad	62
1867. एल० एस० एफ० डिग्री प्राप्त डाक्टरों को राजपत्रित अधिकारी माना जाना	Doctors holding L.M.F. Degrees treated as Gazetted Officers	62—63
1868. विदेशी दूतावासों द्वारा प्रचार नियमों का उल्लंघन	Violation of Publicity Rules by Foreign Embassies	63
1869. भारतीय अधिकारियों को संयुक्त अरब गणराज्य के भूत पूर्व राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति न देना	Permission refused to Indian Officials to see Former President of UAR	63

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1870. पश्चिम जर्मनी के एक जनरल द्वारा गोआ, दमन तथा दीव को पुर्तगाली क्षेत्र माना जाना	A West German General regards Goa, Daman and diu as Portuguese Territory	63—64
1871. उत्तर प्रदेश में कोयले पर आधारित खाद कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal for setting up of coal based Fertilizer Plant in Uttar Pradesh	64
1872. भारत के मुस्लिम सम्प्रदाय पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव	mpact of Family Planning Programme on Muslim Community in India	64—65
1873. बेरोजगार इंजीनियरों को कार्य	Jobs for unemployed Engineers	65
1874. कोयली तेलशोधक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम में बाधा	Set back to expansion programme of Koyali Refinery	65
1875. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement by Chaimran, Neyveli Lignite Corporation	65—66
1876. राज्य व्यापार निगम द्वारा क्लोरमफैनिकोल के आयात के लिये क्रयादेश देने में विलम्ब	Delay in placing order for import of chloramphenicol by State Trading Corporation	66
1877 हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को 20 गेज के इस्पात बैरलों की सप्लाई	Supply of 20 Gauge Sseel Barrels to IOC by Hand Galvansing and Engineering Company	67
1879. अमरीका द्वारा पाकिस्तान को और अधिक टैंक देना	Supply of more tanks to Pakistan by USA	67
1880. शान्ति स्थापना के लिये भारत से और अधिक प्रयत्न शील होने का अनुरोध	India urged to work for peace	67—68
1881. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूटान में तेल की खोज	Oil exploration in Bhutan by oil and Natural Gas Commission	68
1882. नारायणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लेटों का विक्रय मूल्य	Disposal cost of Delhi Development Authority flats in Naraina Residential Scheme	68—69

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1883. तेल का प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में तेल की खोज हेतु छिद्रण कार्य के लिये किये गये करार	Drilling contracts abroad entered into by Oil and Natural Gas Commission	69
1884. मिग 21 का परिशोधित रूप	Modified version of Mig 21	69
1885. अनुसूचित जातियों के लिए प्लाटों तथा बने हुए मकानों का आरक्षण	Reservation of plots and built up Houses for Scheduled Castes	70
1886. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य क्रम के बारे में प्रतिवेदन	Report on National Malaria Eradication Programme	70—71
1887. राज्यों को अपने कर्मचारियों के लिए गृह-निर्माण हेतु सहायता देना	Aid to States for House Building for their Employees	71—72
1888. चिकित्सा तथा शल्यविज्ञान के स्नातकोत्तर विषयों का स्तर ऊँचा करने के लिए वित्त की व्यवस्था	Provision of Finance for upgrading of the subjects of posts graduates class in Medicine and Surgery	72—73
1889. टैंक बेधक प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण करने के लिये फ्रांस के सूड एवियेशन के साथ करार	Agreement with Sud Aviation of France for manufacture of anti-tank missiles	73
1890. तारा सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Tara Cooperative Housing Society, Delhi	73
1891. योल छावनी बोड की सीमा	Boundary of yol cantonment Board	74
1892. चीन के एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध	Chinese relations with Asian Countries	74
1893. नेत्र बैंकों को नेत्रदान	Donation of eyes to eye banks	75
1894. मिग विमानों का उत्पादन	Production of Mig	76
1895. खनिज विकास के लिए समिति का गठन	Constitution of committe for mineral development	75—76
1896. राजधानी में इन्फ्लुएंजा से मौतें	Deaths due to influenza in the capital	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1897. मजगाँव डाक लिमिटेड, बम्बई की क्षमता में वृद्धि	Increase in capacity of Mazagon Dock Ltd. Bombay	76—
1898 लन्दन में चल रहे मुकदमें में धर्म तेजा का वक्तव्य	Statement made by Dharam Teja during trial in London	77
1900. हेलिकोप्टर विमानों की मरम्मत और सफाई के लिए परियोजना की स्थापना	Setting up of project for servicing and overhauling of Helicopters	77
1901. आयुध कारखानों में कार्य कर रहे चार्जमेनों का स्थायीकरण	Confirmation of Charge men working in Ordinance Factories	78
1902. रोजगार क्षमता वाले सहायक उद्योंगों को आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Ancillary Industries with Employment potential	78
1903. अस्थमा से पूर्णतः रोग मुक्त होने के लिये बूटी का उपचार	Herb treatment for Radical cure of Ashtama	78—79
1904. पाकिस्तान द्वारा बम्बई पर मारो तथा भाग जाओ जैसे आक्रमण करने की योजना	Ma Making of Short Shrifts on Bombay by Pakistan	79
1905. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के भारतीय अधिकारियों तथा उनके समकक्ष रूसी अधिकारियों में कथित मतभेद	Alleged difference of opinion between Indian Authorities of IDPL and their Russian counterparts	79—80
1906. डेबोलम में नौसेना के एक विमान का सैनिक इन्जीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों के समूह पर चढ़ जाना	Naval Plane ploughed into a Group of Military Engineering Service personnel at Dabolim	80
1907. रूस में भारतीत पर्यटकों को तंग करना	Harassment of Indian Tourists in USSR	80
1908. नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा औषधियों के मामले में भेदभाव का बरता जाना	Discrimination in issue of Medicine by New Delhi Municipal Committee	81

अता०प्र० संख्या U S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1910. रूस द्वारा अपने मानचित्र में भारत की सीमा को गलत दिखाने के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising the issue of Russian Cartographic Transgressions against India at the U.N.	81
1911. काश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेन्ट क्वार्टरों के अलाटियों को मकान खाली करने के नोटिस	Eviction Notices served on Allottees of servants Quarters, Kashmir House New Delhi	81—83
1912. कुट्टानद (केरल) में पानी सप्लाई योजना	Water supply Scheme in Kuttuanad (Kerala)	83
1913. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के लिए अशोधित तेल का आयात करने हेतु एक मात्र केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना	Setting up of Single Centralised Agency for Canalizing crude oil Imports for Public and Private Sector	83—84
1914. नेशनल इरैनीयन आयल कम्पनी के साथ टेरियस अशोधित तेल के करार का संशोधन	Revision of Darious crude Agreement with National Iranian Oil Company	84
1915. सरकारी विभागों को स्टील फर्नीचर की सप्लाई	Supply of Steel Furniture to Government Departments	85
1916. मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋणों का दिया जाना	Grant of Loans under Middle Income Group Housing Scheme	85—86
1917. नई कचार रोड और चुरा चन्दपुर तिपाई मुख रोड का सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण	Construction of New Cachar Road and Churachandpur Tipaimukh Road by Border Roads Organisation	86
1918. मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के छटनी किए गये कार्य प्रभारी कर्मचारियों को रोजगार देना	Employment to Retrenched work-changed P.W.D. Staff on Manipur	86—87
1919. पिछले नगरपालिका बोर्ड द्वारा प्लाटों का वितरण	Distribution of plots by Outgoing Imphal Municipal Board	87

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ
1920. उपयोग में न लाये जाने वाले 'हवाई' अड्डों का निपटान	Disposal of discarded Aerodromes	87
1921. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीदे गये सामान का मूल्य	Value of purchases made by DGS & D	88
1922. नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में बरात घरों की बढ़ती हुई मांग	Growing Demand for Barat Ghars in Government Colonies in New Delhi	88—89
1923. सरोजनी नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय ब्लाक का निर्माण	Construction C.G.H.S. Dispensary Block in Sarojini Nagar, New Delhi	89
1924. नेता जी नगर, नई दिल्ली के सी० डी० और एफ ब्लाकों के निवासियों की शिकायतें	Complaints from Residents of 'C' 'D' 'F' and Blocks of Netaji Nagar, New Delhi	90
1925. नई दिल्ली के नेताजी नगर में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति का लाया जाना	Setting up of Statute of Netaji Subhas Chandra Bose in Netaji Nagar, New Delhi	90—91
1926. श्री लंका के एक नेता द्वारा भारत के विरुद्ध विस्तार वाद का आरोप	India Accused of Expansion by a Ceylonese Leader	91
1927. खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists at Khetri Copper Project	91—92
1928. पाकिस्तानी राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा	Visit of Pak President to Nepal	92
1929. प्रधान मंत्री का राष्ट्र संघ महा सभा में भाषण	Prime Minister's speech at UN General Assmebly	92
1930. चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च के स्थानिक सर्जनों और हाउस सर्जनों वेतनमानों में पुनरीक्षण करने की मांग	Demand for Revision of Grades for Resident and House Surgens of Post Graduate Institute of Medical Science and Research Chandigarh	93

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1931. चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करना	Achievement of Family Planning Targets in Rural Areas of Chandigarh	93—94
1932. एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये धन का नियतन	Allocations of Funds for Development of Allopathic and Ayurvedic System of Medicines	94
1933. मूलचन्द खैराती लाल अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Moolchand Kharaiti Lal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi	94
1935. हिन्द महासागर के तल से निक्षेपों का विद्रोह	Explotation of Deposits in Sea bed of Indian Ocean	95
1936. नई दिल्ली में बच्चों के लिए नैदानिक केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Diagnostic Centre for Children in New Delhi	95
1937. ब्रिटेन में भारतीय भिक्षुणियां	Nuns from India in U. K.	95—96
1938. संतति निरोध का प्रभावशाली साधन	Effective Media for Birth Control	96
1939. पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध इजराइली किस्म की मार तथा भाग जाओ वाली लड़ाई की तैयारी	Preparation of Short Hit and Run Israeli Type of War Against India by Pakistan	96—97
1940. अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission	97
1941. पश्चिम एशिया में संकट	Crisis in West Asia	98
1942. देश में भवन निर्माण कला के अध्यापन के लिये संस्था की स्थापना	Setting up of an Institute for Teahing Building Technology in the country	99
1944. संयुक्त राष्ट्र संघ जाने वाले भारतीय प्रनिनिधि मंडल पर व्यय	Eexpenditure on Indian Delegation to U. N.	99
1945. विदेशी समाचार पत्रों में भारत विरोधी प्रचार	Adverse publicity about India in Foreign Press	99
1946. पश्चिम बंगाल में सामाजिक आवास योजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति	Progress in Social Housing Schemes in West Bengal	99—100

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1947. भारत रूस के सहयोग से बनी परियोजनाओं के कक्षों के केवल रूसी नेताओं के चित्र लगाना	Pictures of Russian Leaders only in Lounges of Indo Soviet Collaborated Projects	100—101
1948. पश्चिम बंगाल में तेल के लिए सर्वेक्षण	Survey for Oil in West Bengal	101
1949. कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के लिये विकास योजना	Development Plan for Kotla Mubarakpur New Delhi	101—102
1950. दिल्ली में घटिया किस्म की औषधियां बेचने के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की जाने वाली जाँच	NDMC probe into sale of sub-standard Drugs in Delhi	102
1951. आवास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for Housing Schemes	103
1953. मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में बच्चा वार्ड की स्थापना	Setting up of Children's Ward in the District Hospitals of Madhya Pradesh	103
1954. मध्य प्रदेश में होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना	Opening of Homeopathic Dispensaries in Madhya Pradesh	103
1955. मध्य प्रदेश में मैडिकल कालेजों के लिये चलता फिरता औषधालय	Mobile Units for Medical colleges in Madhya Pradesh	104
1956. नई दिल्ली स्थिति बिट्ठल भाई पटले भवन में अग्नि-काण्ड	Fire incident in Vithal Bhai Patel House, New Delhi	104
1957. नई दिल्ली में इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति	Statue of Mahatma Gandhi at India Gate, New Delhi	104—105
1958. सुन्दरगढ़ जिले में की गई भूभौतिकीय जाँच	Geological Investigations madein Sundargarh District	105—106
1959. राजनयिक और व्यापार मिशनों में नियुक्तियां	Assistance of Diplomatic and Trade Missions	106
1961. पश्चिमी घाट पर पनडुब्बी केन्द्र	Submarine base on West Coast	106

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1962. गैर सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence production in Private Sector	106—107
1963. प्रतिरक्षा कारखानों में बेकार क्षमता	Idle Capacity in Defence Factories	107
1964. न्यूयार्क में भारत तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्रियों की वार्ता	Talk of P. M's of India and U. K. at New York	108
1965 पूर्वीय क्षेत्र में भारतीय तेल निगम द्वारा एक ठेकेदार को अग्रिम धन मंजूर करने के सम्बन्ध में की गई कथित अनियमिततायें	Alleged Irregularity committed in the grant of advance to a Contr ctor l y IOC in Eastern Region	108
1966. जारिंग शांति मिशन को स्थगित करना	Suspension of Jarring Peace Mission	108—109
1967. 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष दौरान इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को मिग विमानों का कथित उपहार	Alleged Indonesian Gift of Mig Air craft to Pakistan during 1965 Indo-Pak Conflict	109
1968. सैगोन का सरकारी शिष्टमंडल	Officials' Delegation to Saigon	109—110
1969. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में रिक्त राजनायिक पद	Diplomatic Posts lying vacant Inidan Missions Abroad	110—111
1970. इन्डेन गैस सिलेंडर की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनायें	Incentive Schemes for Increasing sale of Indane Gas and Gas Cylinders	111
1971. निषेधात्मक शुल्क के कारण चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Medical preparations due to prohibitive duty	111—112
1972. किरिबुरू खान से लौह अयस्क की उत्पादन लागत तथा उसके निर्यात से हुई हानि	Cost of production of Iron Ore at Kiriburu Mine and loss incurred on export thereof	112—113
1973. उत्तर वियतनाम के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic relations with North Vietnam	113

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1974. हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे कारखानों के लिए स्वदेशी प्राद्यौगिकी का विकास	Development of Domestic Technology for Plants being set up by Hindustan Organic Chemicals	113—114
1975. परमाणु शक्ति देशों का शिखर सम्मेलन	Nuclear Summit	114
1976. नागपुर में कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना	Setting up of a Hospital for treatment of Cancer at Nagpur	114
1977. रूस से पनडुब्बी और नौसैनिक जलयान खरीदना	Purchase of Submarines and naval vessels from USSR	115
1979. मकानों को खाली करवाने सम्बन्धी नीति	Policy regarding Dehiring of Houses	115
1980. पटना विश्व विद्यालय में चिकित्सा शिक्षा के बारे में झाला आयोग का प्रतिवेदन	Jhala Commission report on teaching of medicine in Patna University	115—116
1981. पाकिस्तान द्वारा विशेष छापामार सेना का गठन	Formation of Special Guerilla Forces by Pakistan	116
1982. चीन द्वारा भारतीय सीमाओं पर हवाई पट्टियों और सड़कों का निर्माण	Construction of Air Strips and Roads by China on the Indian Borders	116
1983. बर्मा में रह रहे भारतीयों का देश में वापस आना	Repatriation of Indians living in Burma	116—117
1984. मध्य प्रदेश में सैनिक कालिजों की स्थापना	Opening of Military Colleges in Madhya Pradesh	117
1985. ऐनकों, दांतों तथा आंखों की निःशुल्क सप्लाई के लिए विधेयक	Bill regarding free supply of Glasses, Teeth and Eyes	117
1986. कालका जी, नई दिल्ली के निकट गोविन्दपुरी ऐक्सटेंशन में बने मकानों का गिराया जाना	Demolishing of Houses built in Govindpuri Extension Near Kalkaji, New Delhi	118

प्रता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1988. डच निर्माताओं के सहयोग से जैट लड़ाकू विमानों का निर्माण	Manufacture of Jet fighter plane with Dutch Collaboration	118—119
989. सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिये किराया खरीद आधार पर मकान	Houses on hire purchase basis for retired Government Servants	119
990. दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों तथा अन्य गन्दी बस्तियों में औषधालय	Dispensaries in Jhuggi Jhopri Colonies and other slum areas of Delhi	119—120
991. पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों की प्रयोग की कथित धमकी	Alleged threat to use US Armsby Pakistan against India	120—121
992. पाकिस्तान शत्रु सम्पत्ति विभाग का समाप्त किया जाना	Winding up of Department of Pakistan Enemy Property	121
3. श्री निवासपुरी नई दिल्ली के एच टाइप क्वार्टरों के बारे में शिकायत	Complaint against 'H' Type Quarters of Sriniwaspuri, New Delhi	121—122
5. मेरठ तथा कानपुर में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलना	Opening of CGHS Dispensaries at Meerut and Kanpur	122
. दिल्ली में शरणार्थी बस्तियों के क्वार्टरों के आलाटियों को स्वामित्व अधिकार देना	Proprietory Rights to Allottees of Quarters in Refugees Colonies in Delhi	122
राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन कार्य करने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों को प्रतिकर देना	Compenstion to CGHS Employees for attending duty on National Holidays	123
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मचारी	Regular Establishement of CPWD	123
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चिट्ठा कर्मचारी	Muster Roll Employees of CPWD	124
ीम हकीमों को पंजीकृत ाक्टरों के रूप में लाइसेंस ने के बारे में बिधेयक	Bill Re: Licensing the Quacks as Registered Doctors	124—125

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4 मार्च, 1970 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting the Answer to Unstarred Question No 1476 dated 4-3-1970	125
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय-की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	125
बिहार में बैंकों के समाशोधन केन्द्रों (क्लियारिंग हाउस) के बन्द हो जाने और उसके फलस्व-रूप वहां उद्योग-धन्धों और का-रोबार ठप्प हो जाने का समाचार	Reported closure of clearing Houses of Banks in Bihar reasulting in indus-tries and trade coming to a standstill	125
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	125
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	125—127
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	127—132
सभापटल पर रखे गये पत्र	Parpers Laid on the Table	132—133
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	133
वायु निगम (संशोधन) विधेयक	Air-Corporations (Amendment) Bill	133
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	133
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में वापिस लिया गया	Advocates (Second Amendment) Bill, as passed by Rajya Sabha-Withdrawn	133—134
नुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	134
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as reported by Joint Committee	134—135
श्री रा०धो भंडारे	Shri R. D. Bhandare	135—136
श्री सी०के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	136—137
श्री सोनावने	Shri Sonavane	137
श्री मंगलाथुमाडम	Shri Mangalathumadam	137—138
श्रीमती मिनीमाता अगम दास गुरु	Shrimati Minimata Agam Dass Guru	138—140

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	140
श्री स०चु० जमीर	Shri S. C. Jamir	140—142
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी	Shri Ram Swarup Vidiyarthi	142—143
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi	143—144
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	144 - 145
श्री बे० कृ० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	145—147
श्री पी०एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	147
श्री सिद्दय्या	Shri Siddaya	147— 149
श्री भालजी भाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	149
श्री द०रा० परमार	Shri D. R. Parmar	149
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	150
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	150
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	151
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	151
20 नवम्बर, 1970 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुई आठ व्यक्तियों की हत्या के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Murder of Eight persons in 24 Paraganas District of West Bengal on 20 November, 1970	151
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	151—155
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	155
वन्य जीवों के शिक्षण, संरक्षण और परिरक्षण में चिड़ियाघरों का योगेदान	Role of Zoos in Educational, Conservational and Preservative aspect of wild life	155
श्री क०प्र० सिंह देव	Shri K. P. Sing Deo	155—157
श्री स०चु० जमीर	Shri S. C. Jamir	157—158

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 23 नवम्बर, 1970/2 अग्रहायण, 1892 (शक)
Monday, November, 23, 1970 Agrahayana 2, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Speaker *in the Chair*]

अन्तरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग और कोनरैड का स्वागत
WELCOME TO ASTROMAUTS ARMSTRONG AND CONRAD

अध्यक्ष महोदय : मुझे राष्ट्रपति के कक्ष में अन्तरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और चार्ल्स कोनराड की, जिन्होंने अन्तर्क्षत्रीय युग को प्रारम्भ किया है, सभा में उपस्थिति की घोषणा करते हुए हर्ष होता है । हम उनका अपने देश में स्वागत करते हैं । उनके द्वारा इस संसद में हमें चांद का पहला स्पर्श मिला है । उनका समस्त मानवता से सम्बन्ध है । हम संसद में सांसारिक मामलों पर चर्चा करते हैं और इस सम्बन्ध में हमारे मतभेद हो जाते हैं और उनको लेकर हम झगड़ते हैं । मुझे आशा है हम आज ऐसा नहीं करेंगे । वे यहां अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक संघ के 63वें महासम्मेलन में अन्तरिक्ष पुरस्कार प्राप्त करने आये हैं । जैसा कि आपको विदित ही है कि आर्मस्ट्रांग पहले मानव थे जिन्होंने चन्द्रमा, जिसे बहुत दूर समझा जाता था और जिस पर पहुंचना असंम्भव समझा जाता था पर सर्वप्रथम अपना कदम रखा ।

कैप्टिन कोनरौड अगले चन्द्रमान में उनके बाद चान्द पर पहुंचे । हमें आशा है कि इस देश में उनकी यात्रा अच्छी रहेगी यद्यपि वह इतनी रोचक नहीं होगा जितनी कि चन्द्रमा की ।

माननीय सदस्यों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया ।
The hon. Members gave a standing ovation :

श्री रणधीर सिंह : राष्ट्र भी उनका अभिवादन करता है ।

श्री स०मो० बनर्जी : क्या हमारे पास चन्द्रमा की चट्टानों के नमूना सभा पटल रखने के लिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे आपको अगली बार चन्द्रमा पर ले जायें तो मुझे कोई इंतराज नहीं होगा ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रमीती इंदिरा गान्धी) : आपने सम्मानीय अन्तरिक्ष अतिथियों के प्रति जो उद्‌गार प्रकट किये हैं मैं भी उसमें भागीदार हूँ। हम इस बारे में सदन में पहले भी अपने विचार प्रकट कर चुके हैं अमरीका ने अन्तरिक्ष और विज्ञान में, विशेषकर चन्द्र पर उतरने में जो सफलता प्राप्त की है उसकी हम सराहना करते हैं। हमारी शुभ कामनाएं उनके साथ हैं। इस सुहावने अन्तराल के पश्चात मुझे अपने दुखद कर्त्तव्य का पालन करना है। देश, सभा और सदन को प्रत्येक सदस्य डा० सी० वी० रामन की मृत्यु से शोकातुर है। वह आधुनिक भारत के महानतम वैज्ञानिक थे और देश ने जो अपने लम्बे इतिहास में वैज्ञानिक पैदा किये हैं वह उनमें सबसे अधिक विद्वान थे। उनका मस्तिस्क हीरे के समान था। उन्होंने जीवन में जो कार्य किये हैं उनमें प्रकृति का अवलोकन करना शामिल है और उन्होंने जो विज्ञान के लिए नया अविष्कार किया ससार ने उसका कई प्रकार से स्वागत किया।

उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनका विश्वास था कि ज्ञान केवल जमा करने के लिए नहीं है बल्कि इससे अन्य लोगों को भी लाभ उठाने देना चाहिये। वह प्राकृति का इस ढंग से स्पष्टीकरण करते थे कि सामान्य व्यक्ति भी इसके बारे में समझ सके। मुझे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि 1937 में यूरोप की यात्रा के समय मैंने उनके और डा० होमी भाभा के साथ एक जहाज़ पर यात्रा की थी।

उस अवसर पर तथा अन्य अवसरों पर जब भी मेरी उनसे भेंट हुई मैंने उन दोनों वैज्ञानिकों में प्रतिभाशाली दिमाग की झलक देखी।

डा० रमन द्वारा किये गये कार्य से देश के युवक वैज्ञानिक नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। उनके विद्यार्थी भी उनके जैसे बुद्धिमान थे। एक बार जब उनसे यह पूछा गया कि उन्हें नोबिल पुरस्कार किसने दिलवाया तो उनका जवाब था "मेरे विद्यार्थियों ने"

डा० रमन एक व्यक्तिवादी थे और वह सरकारी समितियों और शहरी राजनीति से दूर रहते थे। उन्होंने अगाध ज्ञान विदेशों में अध्ययन से प्राप्त नहीं किया। उनका यह विचार नहीं था कि विदेशी शिक्षा योग्यता की द्योतक है।

वे विदेशी विद्वानों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करते थे और वास्तव में बहुत से विदेशी उनके द्वारा स्थापित और निर्देशित संस्था में अध्यन के लिए आते थे।

वह संकलित एकता के प्रतिनिधि थे। उनकी संगीत, साहित्य और बागवानी में ली जाने वाली आस्था सर्वविदित है। प्राकृति के लिए उनके जैसा अन्य विद्वान, सरल व्यवहार वाला और उत्साहित युवक पैदा करना कठिन होगा।

हमारे बीच से एक भारत रत्न चला गया है। उनका महान उदाहरण हमारे सामने रहेगा और हम उसका अनुसरण करेंगे। श्रीमती लोक सुन्दरी रमन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को हमारे शोक संदेश भेज दिये जायें।

Dr. Ram Subhag Singh : Mr. Speaker, Sir, whereas, on one hand I feel very happy on the presence of Mr. Neill Armstrong and Mr. Conrad in this House and wish to congratulate them on behalf of the Opposition, I am, on the other hand, deeply aggrieved at the demise of Bharat Ratna Dr. C. V. Raman who passed away the day before. He, by his unique example, raised the stature, honour and prestige of India in the World.

India has produced a number of eminent personages in the field of science, but it is very difficult to find the equal of him. Although he received his education only in Indian Universities and did not go abroad for further studies, he earned great name and esteen among the foreign scientists, His greatest achievement was the principle of 'Raman Effect' for which he received the Noble Prize. It has enhanced not only his own prestige, but also the prestige of the country.

He is not in our midst to-day, but I am sure, Indian Institute of Sciences founded by him, which attracts scholars not only from India, but also from abroad will serve as a monument to his memory. His research was original and not based on the principles propounded by other scientists, but on his own principles which have inspired and will continue to inspire scientists all over the world. I am sure Government of India will convert that Institute into a National Institute in order to perpetuate his memory. Dr. Raman put that institute on a lofty pedestal not only in the field of science but in other field also. He is a great example which should be cherised and emulated by others.

On behalf of the Opposition I pay tributes to the departed should and pray that his soul may rest in peace.

अध्यक्ष महोदय : भारत के उक्त महान पुत्र की मृत्यु पर सदन के नेता और विपक्षी दल के नेता द्वारा व्यक्त की गई भावनाओ से सहमत हूं। डा० सी० वी० रमन की विज्ञान के क्षेत्र में दिये गये अंशदान को विश्व में मान्यता प्राप्त है। मुझे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानने का सौभाग्य तब प्राप्त हुआ है जब मैं गवर्नमेन्ट कालिज, लाहौर के विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष था तब मैंने उनका लाहौर में स्वागत किया था। वे वहां प्रोफेसर केशव के जो भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, निधन पर संवेदना प्रकट करने गए थे। दूसरी बार मुझे उनके साथ लन्दन से बम्बई जहाज पर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह व्यवहार में बहुत अकल्पनीय, मिलनसार और विनीत थे।

डा० रामन के अनुसार विज्ञान उनका धर्म था और उन्होंने इसका पालन अन्त तक किया। उन्होंने अपने अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान से, जिसमें नोबिल पुरस्कार भी शामिल है, देश का नाम ऊँचा किया है। देश में भी उन्हें, उच्चतम सम्मान, भारत रत्ने से विभूषित किया गया था। वह अपने कार्य के प्रति इतने जागरुक थे कि विज्ञान की प्रगति के लिए अपनी आय में से व्यय करते थे। यद्यपि वह हमारे बीच नहीं रहे हैं लेकिन उनका जीवनक्रम आने वाले समय में युवक वैज्ञानिकों के लिए ज्वलन्त उदाहरण होगा।

इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु पर हमें भारी दुःख है और मुझे विश्वास है कि सभा उनके सन्तप्त परिवार को हमारा संवेदना संदेश भेजने में हमारे साथ है।

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत आत्मा के सम्मान में माननीय सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े हो जायें।

इसके पश्चात माननीय सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे।

The Members than stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गुरु नानक जन्म दिवस (197) पर निरंकारी सिखों को रावलपिंडी की यात्रा करने की अनुमति देने से इन्कार

*271. **श्री राम किशन गुप्त :**

श्री देव अमात :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने निरंकारी सिखों को श्री गुरु नानक के आगामी जन्म दिवस के अवसर पर रावलपिंडी स्थित उनके धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या इस संबंध में निरंकारी सिखों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) **जी हां ।**

(ग) हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 1953 और 1955 के भारत-पाकिस्तान समझौतों के अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय तीर्थ-यात्रियों को अपने पवित्र-स्थलों की यात्रा करने के लिए सभी सुविधाएं देने का निष्ठापूर्वक जो वचन लिया था, उसे वह पूरा करे ।

Shri Ram Krishan Gupta : This is not the first time that obstacles of this type have been created for the delegation of pilgrims. May I know from the hon. Minister as to what steps are being taken in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh : Reply to this question has already been given. We have been writing and sending protest notes to Pakistan Government as and when we received such complaints. We have told them that this is not good on their part, they have to provide facilities to the pilgrims from India. It is correct that no reply comes from them and even if it comes it is very discouraging. We cannot do anything in the matter except that the matter is brought to their notice.

Shri Ram Krishan Gupta : May I know whether any letter regarding Nirankari Sikhs was written to the Pakistan Govt., if so, was any reply was received from Pakistan Govt.?

Shri Surendra Pal Singh : Mr, Speaker, We have told the Pakistan Govt. about the matter but no reply was received.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Did you ask in writing or orally ?

Shri Surendra Pal Singh : Orally.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have not written ?

Shri Surendra Pal Singh : Sometime ago we wrote about it. On this particular occasion whether we wrote or not, I donot know. We have written so many times during 1968-69.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, you are listening to his reply. He does not know. Who knows it ?

Shri Surendra Pal Singh : I don't know whether our High Commission asked for it in writing or orally, I do not know that.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सिखों की कठिनाईयों के बारे में पाकिस्तान सरकार को कुछ लिखा गया है, यदि हां, तो किस तारीख को पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा गया ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने पहली बार 8 अगस्त, 1970 को 200 व्यक्तियों को पाकिस्तान आने की आज्ञा देने के लिए पाकिस्तान सरकार को लिखा। 17 सितम्बर, 1970 को पाकिस्तान सरकार ने उत्तर में लिखा कि वे इसकी आज्ञा नहीं देंगे। उसके कुछ दिन बाद हमारे हाई कमिशन ने मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया। किस तारीख को मामला उठाया गया, निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी तक पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर नहीं आया।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या आज्ञा न देने के कोई कारण दिये गये ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it necessary that only a Sikh should see the Gurdawaras left in West Pakistan ? Will they allow me to see the Gurdawaras under that Agreement. There are crores of people in India who are not Sikhs but have great faith in Guru Nanak Dev and Guradawaras. Have you closed the doors to them ? May I k ow the contents of the Agreement executed with Pakistan and whether they allow non-sikhs also ?

Shri Surendra Pal Singh : So far as Agreement is concerned, there is no mention that only Sikhs will go there. Any body, whether he is Sikh or Hindu can go there. But it is a fact that Pakistan Government has so far permitted Sikhs only and not others. Despite this we are trying that they should allow others also but no satisfactory progress has been made so far.

Shri Buta Singh : As our friend Shri Vajpayee said that every Indian should be allowed to go there, that even them Nirankari Sikhs were not allowed to go there. May I know whether there are some political or other reasons behind it, whether our Government has any information as to why Nirankari Sikhs were not allowed to go there?

Secondly, there were press reports regarding manhandling of Sikhs, in the buses who were an pilgrimage there on proper permits. Has the Govt. any information and if so, what steps were taken ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, Pakistan has never explained the reasons for not giving the permission. We have repeatedly asked them to give the reasons but they have been creating this or that type of difficulties. They do not give permission and even if it was given at one or two time, it was given only three or four days before when no body could go. It is difficult to state the reasons because they neither talk about it nor give any information.

Shri Buta Singh : Second part of my question was about manhandling.

Shri Surendra Pal Singh : I have no information about it.

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, we feel pity and sympathy for this Government. The Hon'ble Minister has stated that what can they do ? May I ask if they can not do anything. They should resign. Question is that people coming hare from Pakistan are given all facilities whereas they do not allow us to go there. There are relations between two countries. If they do not give proper permission to our visitors, discriminate against

them and harass them, it is certainly a question having direct hearing on the relating as the two countries. In view of this, can we not adopt repaliatory policy ? What are the reasons for our not adopting the such a policy ?

Secondly, Pakistan meles out discriminatory treatment to the pilgrims from India. There are also various calls namely Shia, Sunni, Ahmedia etc., here. Let us also adopt a strictly reciprocal policy regarding the Pakistani pilgrims to India. Why the Government has objection in this respect ? Is the Government does not think of adopting a reciprocal policy, then what remedical steps they are going to take to check the disc iminatory and ill-treatment meted out to Indian pilgrims in Pakistan ?

Shri Surendra Pal Singh : The hon. Member raised the point of reciprocal treatment. In this connection I would submit that India is an old and civilised country and she is proud of her civilisation. This is a communal issue and because there is no opposition towards the people of Pakistan, we do not wa t to create any religious stir. If Pakistan is indulging in that type of thing it is wrong. We are trying this through negotiatives to have a change in the policies of Pakistan so that facilities are given to all the pilgrims from India. It is correct that Pakistan is not doing so which does not mean that we should adopt the same policy.

Shri Bal Raj Madhok : Some remedy should come from you.

IMPOSITION OF DOMICILE TAX ON NON-CITIZENS IN CEYLOM

*274. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Shri meetha Lal Meena :

Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Ceylone Government have decided to impose domicile-tax on non-citizens ;

(b) if so, the number of Indians likely to be affected thereby ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। श्री लंका की संसद में प्रस्तुत बजट में श्री लंका के वित्त मंत्री ने सभी विदेशियों पर प्रतिवर्ष 500 रुपये का बीज़ा टेक्स लगाने का प्रस्ताव किया है।

(ख) प्रस्तावित बीज़ा टैक्स का जिन भारतीय राष्ट्रिकों पर असर पड़ने की सम्भावना है उनकी ठीक-ठीक संख्या तब तक मालूम नहीं होगी जबतक कि वह कानून नहीं बन जाता और इसपर अमल शुरु नहीं हो जाता।

(ग) प्रस्तावित बीज़ा टैक्स लगाना श्री लंका सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है जैसाकि विदेश मंत्री ने 10 नवम्बर 1970 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बताया था।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Has the hon. Minister for External Affairs gone through the statement of the Ceylonese Finance Minister which he made while laying on the Table of the Parliament the tax proposals and wherein he said that those taxes were being imposed for providing incentives for a larger section of people to leave Ceylon ? Has it come to the notice of the hon. Minister an amendment is being made to this effect by the

Ceylonese Government in the Immigration and Emigration Act which had been passed in accordance with the pact concluded between Mr. Srimavo and Shastriji which provided for the repatriation of citizens between the two countries on quid pro quo basis.

Shri Surendra Pal Singh : This Election has no relation to the 1964 Agreement. This however is a fact that the problem of unemployment is confronting the Government and the Government had promised that at the time of elections all jobs should be reserved for the citizen of Ceylon, accordingly they want the non citizens to leave Ceylon and to secure the jobs for the Ceylonese.

Shri Raghuvir Singh Shastri : My both the questions have not been answered. I have said that the Ceylonese Finance Minister has announced that he was imposing the tax to reduce the largest number of people to leave Ceylon. May I know these action of Indian Government thereto ? Secondly, the hon. Minister has not said whether by the amendmend in the Immigration and Emmigration Act, a number of Indians settled in Ceylon shall have to leave Ceylon in addition to those covered by 1964 Pact.

My second question is .....

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister may answer first two supplementaries and the other supplementaries.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is the Government providing repatriation facilities those persons who are residing in Ceylon and holding Indian passports under Shrimavo-Shastri Pact of 1964. Is it a fact that the Government is not providing similar facilities to those who are living in Ceylon under Nehru-Kotlewala Pact or any other pact and if so, whether Government propose to provide those facilities as are being extended to those coming from Bengal or Burma ?

Shsi Surendra Pal Singh : I am in agreement with hon. Member that we ought to help all those coming from Ceylon irrespective of the nomenclature of the Pact to mitigate their difficulties. This matter is under consideration of the Government. Though there is no demand from the emigrants, yet the matter of providing facility is under consideration and all possible help will be given to them as well as to those coming from East Africa & Burma.

The hon. Member's other question was about visa tax, the imposition of this tax is their domestic matter but their intention is that the greatest number of non-citizens should migrate out of Ceylon so that their business and jobs can be secured for the Ceylonese Nationals.

Shri Shiv Chandra Jha : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has not given a satisfactory answer. It will only be known after the imposition of tax as to how many Indians will be affected by it. May I know if you have got the number of those Indians who have become citizens of Ceylon and of those who have not ?

Is it not also a fact that the Indians Constitute the largest number of foreigners in Ceylon and this tax is being imposed in view thereof.

Thirdly, I wish to know if you would provide suitable rehablitation facilities to those Indians who wish to come back and settle in India. Have you constituted any fund for providing capital to them for this business ?

Lastly the Ceylonese Government has full power to confiscate foreign capital, and we do appreciate that but I consider the domicile tax imposed by them as a measure of injustice. It is the duty of the Government to take up this matter with Ceylonese Government. Is the Government of India ready for it. I want answer to these four questions of mine.

Shri Surendra Pal Singh : Sir, it is rather difficult for us to say as to how many persons will be affected by the visa tax. The Indians in Ceylon fall in different categories. Some of them are covered by 1964 Agreement while some of them come under 1954 Agreement and there are still others who hold no permit and are stateless. It is a fact that Indians Constitute the largest bulk of foreigners in Ceylon and it is they who are likely to be affected the most by this tax. We have no right to question the authority of the Ceylonese Government to impose tax on foreigners in Ceylon. It is however unfortunate that our people shall have to bear the largest burden of the tax.

Shri Shiv Chandra Jha : In the human society there are matters which have an international significance we can raise our voice against injustice. We take the visa tax as a measure of injustice and repression. Will you take up the matter with the Ceylon Government to stall the imposition of this tax. I also wanted to know as to what measure you are going to adopt for rehablitating those emigrating from Ceylon.

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, I am sorry that I omitted to answer the question regarding the rehablitating. We have finalised the schemes for rehablitating those coming under 1964 pact. The concerned Ministry is ready with the seheme and all possible facilities will be given to them.

As regards others, who do not come under the scheme, I have already stated that the Government is aware of their difficulties and is considering them and if need arises facilities will be provided to them as well.

डा० राम सुभग सिंह : भारत और श्री लंका निकटतम पड़ौसी रहे हैं और किसी समय भी कोटले वाला समझौते या सेनानायक-शास्त्री समझौते में कहीं भी यह नहीं सोचा गया था कि भारतीयों पर जोकि इतने लम्बे अरसे से वहां रह रहे हैं ऐसे कर लगाये जाएंगे। जिन लोगों पर यह अधिवासी कर लगाया गया है उन मे से कुछ तो पिछली दो तीन पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। अभी माननीय उपमंत्री ने कहा कि शायद यह कर उन व्यक्तियों पर लगाया जा रहा है जिन्हें 1964 के समझौते के अन्तर्गत भारत लौट आना चाहिए था। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह कर उन व्यक्तियों को, जो काफी समय से वहां रह रहे हैं तथा जो नेहरू-कोटलेवाला अथवा शास्त्री सेनानायक समझौते के अन्तर्गत बिल्कुल नहीं आते, वहीं देना पड़ेगा अथवा क्या सरकार यह प्रयत्न करेगी कि इस कर को पूर्णतया हटा दिया जाए।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक हमें पता लगा है इस समय स्थिति यह है कि जो व्यक्ति 1964 के समझौते के अन्तर्गत आते हैं इस कर से प्रभावित नहीं होंगे। मेरे बिचार में उन व्यक्तियों की स्थिति भी लगभग ऐसी है जिन्हें 1954 में भारतीय पारपत्र मिल गया था किन्तु जहाँ तक शेष भारतीयों तथा उन लोगों का सम्बन्ध है जो श्री लंका के नागरिक नहीं हैं उन सभी व्यक्तियों पर यह कर लगाया जाएगा।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां रहने वाले भारतीयों को लंका के नागरिकों तथा अन्य लोगों की भांति अन्य सब कर देने होते हैं तो यह कर उन पर अतिरिक्त बोझ है। और इसमें औरंगजेब के समय में हिन्दुओं पर लगाए गए जज़िया कर की गन्ध आती है अतः क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयुक्त समिति का ध्यान श्री लंका के इस अवांछनीय व्यवहार की ओर आकर्षित करेगी ? जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने पहले ही सुझाव दिया है कि यह कर मानवीय अधिकारी का उल्लंघन करता है तथा इस प्रकार भारतीयों के

विरुद्ध भेद-भाव का वातावरण पैदा करता है, क्योंकि यह कर उन लोगों पर अतिरिक्त बोझ है जो इन दोनों समझौतों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते। सरकार इस सम्बन्ध में श्री लंका की सरकार को अभ्यावेदन क्यों नहीं देती और यदि अन्ततः यह निर्णय लिया जाता है कि वहां सरकार को ऐसा कर लगाने का अधिकार है तो क्या सरकार उन्हें इस कर को बिल्कुल समाप्त करने के स्थान पर कुछ कम करने के लिए राजी नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं आपकी बात में सुधार करना चाहता हूं मैंने किसी समय भी यह नहीं कहा कि यह विशेष कर माननीय अधिकारों का उल्लंघन करता है।

श्री रंगा : यह हमने कहा था, आप ने नहीं !

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक इसके भेद-भावपूर्ण होने का प्रश्न है मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री लंका की सरकार ने हमें कहा है कि यह भेद-भाव पूर्ण नहीं है।

श्री रंगा : एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेद-भाव है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : एक स्थान के विदेशी नागरिकों तथा दूसरे स्थान के विदेशी नागरिकों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता और यह कर सभी पर लागू किया गया है, चाहे वे भारत के हों अथवा ब्रिटेन के अथवा किसी अन्य राष्ट्र के। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं। यह कर इन लोगों पर अतिरिक्त बोझ है, क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी व्यक्तियो को स्थानीय कर भी देने पड़ते होंगे किन्तु किसी भी प्रकार से भेद-भाव पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे प्रस्तुत करने का प्रश्न है मेरे विचार में इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह द्वियक्षीय मामला है और हमें आशा है कि आपस में मिलकर इसे हल कर लेंगे।

श्री रं ा : उन्हें अभ्यावेदन देने के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है। श्री झा ने भी यह प्रश्न पूछा है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारी कठिनाई यह है कि इस प्रकार के कर किसी भी प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र के अपने आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते यदि यह भेद-भाव पूर्ण होता अर्थात् यदि यह केवल नागरिकों पर ही लगाया गया होता तो उस आधार पर हम उनके साथ यह मामला उठा सकते थे किन्तु यह तो सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होता है।

डा० राम सुभग सिंह : किन्तु हमारी स्थिति पूर्णतया भिन्न है क्योंकि हम उनके निकटतम पड़ौसी हैं और इसी आधार पर बातचीत की जा सकती है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : भारत तथा श्री लंका दो पड़ौसी देशों के काफी अच्छे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार श्री लंका सरकार से अनौपचारिक रूप से इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास करते हुए कहा है कि यद्यपि हमें वहाँ की सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कर लगाने पर आपत्ति नहीं हो सकती फिर भी सभी विदेशियों पर अधिवासी कर श्री लंका की सरकार को नहीं लगाना चाहिए। क्या

इस प्रकार का कोई मैत्रीपूर्ण तथा अनौपचारिक अभ्यावेदन भारत सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं आपकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं वस्तुत : इस प्रकार अस्थायी आवास कर 1961 में पहले भी लगाया गया था जोकि 15 सितम्बर 1960 से लागू हुआ समझा गया था । यदि कोई व्यक्ति वहां 90 दिन से अधिक रहता था तो उसे 400 रुपये प्रतिवर्ष अधिक से अधिक होने पर साल के कुछ भाग के लिए कर देना पड़ता था अत: उन्होंने ऐसा एक कर पहले भी लगाया था बाद में 1965 में इसे उन्होंने रद्द कर दिया । अब पुन: एक बजट प्रस्ताव किया गया है । इस नए कर का प्रस्ताव वित्त मंत्री के वक्तव्य में दिया गया है किन्तु हमने इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए बनाया गया विधान नहीं देखा वैसे मैंने माननीय सदस्य के विचारों को नोट कर लिया है हम इस मामले पर श्री लंका की सरकार से बातचीत करेंगे ।

श्री हेम बरूआ : श्री लंका में विदेशियों पर यद्यपि इस प्रकार का भारी कर लगाना उनका आंतरिक मामला है किन्तु क्या हमारी सरकार इसे अन्तर्राष्ट्रीय आधार व्यवहार तथा नियमों तथा मानदंडों का उल्लंघन नहीं मानती और यदि मानती है तो क्या वह श्रीलंका की सरकार से इस सम्बन्ध में मित्रतापूर्ण ढंग से बात करेगी जिससे कि श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को इस से कष्ट न हो ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि यह अन्तर्राष्ट्रीय आधार व्यवहार के विरुद्ध है कि नहीं । इसमें कुछ कठिनाईयां है और मैं सोचता हूं मेरा विचार है कि हम इसके कानूनी पक्ष पर बहस करने के बजाय मित्रतापूर्ण ढंग से इस पर विचार-विमर्श करें तो हमें सफलता मिल सकती है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हमें इस बात की प्रसन्नता है मंत्री महोदय ने हमारी भावनाओं का आदर किया है । यह मामला भेद-भाव का है अथवा मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का, यह चर्चा का विषय हो सकता है किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय समुदाय को बड़ी मुसीबत और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा हम अपने मन को इस बात से संतोष नहीं दे सकते कि अन्य विदेशी भी इससे प्रभावित होंगे । अत: क्या मैं वैदेशिक कार्य मंत्री से यह जान सकता हूं कि यदि मित्रतापूर्ण उपायों से काम न बना तो क्या किसी प्रकार की प्रति-क्रियात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले इस प्रश्न को ठीक स्थिति में रखना चाहता हूं जैसा कि मेरे साथी ने स्पष्ट किया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा प्रधान मंत्री श्री भंडार नायके में 1964 में हुए समझौते के अन्तर्गत आने वाले लोगों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा । इससे बहुत बड़ी संख्या 8,50 से भी अधिक लोग इस समझौते के अन्तर्गत आ जाते हैं । अत: इसके लिए यह सोचना कि वहां रहने वाले भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्ति को यह कर देना पड़ेगा, गलत होगा । यह केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो परमिट लेकर वहां कार्य करने जाते हैं तथा जिनके पास भारतीय पार पत्र हैं । ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं होगी । भारत

तथा श्री लंका के बीच समस्या उन 4 लाख से अधिक लोगों की है जो भारतीय मूल के हैं। वहां काम कर रहे विदेशियों को चाहे वह भारतीय हो अथवा किसी अन्य राष्ट्र के निरूत्साहित करने के लिए यह अतिरिक्त कर लगा कर वहां की सरकार यह सामान्य कार्यवाही कर रही है। जैसाकि श्री थीलू मोडी ने बताया है कि विश्व के बहुत से देशों में ऐसे भेद-भावपूर्ण कर विद्यमान हैं तथा कई बार उन देशों में कार्य कर रहे विदेशियों पर वहां के व्यापारियों की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है। अतः क्या यह कानूनी विषय बन सकता है इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि श्री लंका हमारा पड़ौसी देश है और उसके साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है अतः हम उन लोगों के लिए जोकि इस कर से प्रभावित होंगे कुछ करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री कंडप्पन : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि 1964 के समझौते के अन्तर्गत आने वाले, विना किसी राष्ट्र के नागरिक समझे जाने वाले लोगों पर इस कर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु समझौते के दौरान यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग एक लाख लोग इस समझौते के अन्तर्गत नहीं आ सकेगें। समझौता 7 : 4 के आधार पर किया गया है प्रत्येक 7 अप्रवासियों पर चार को श्री लंका की नागरिकता मिलनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार इस अनुपात को क्रियान्वित करन म प्रत्येक प्रकार की बाधा को दूर करेगी। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस समझौते के अन्तर्गत नहीं आ सके और दोनों देश इस बात से सहमत थे कि लगभग जो एक लाख लोग जो इस समझौते के अन्तर्गत नहीं आते उनके सम्बन्ध में दोनों देश विचार विमर्श करके कुछ निणय कर लेंगे। क्या इस अधिवासी कर से वे लोग भी प्रभावित होंगे जो इस समझौते के अन्तर्गत नहा आते।

श्री स्वर्ण सिंह : यद्यपि हमने अभी उनसे स्पष्टीकरण नहीं लिया किन्तु मेरा अपना विचार है कि यह कर उन लोगों पर नहीं लगाया जाएगा कारण स्पष्ट है क्योंकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्री भंडारनायके के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत आने वाले 8 लाख लोगों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः इस समझौते के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति न होकर एक वर्ग आ जाता है। किसी भी सरकार के लिए यह कहना कठिन हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति समझौते के अन्तर्गत आए 8 लाख व्यक्तियों से बाहर है क्योंकि अब यह मामला सामने आ गया है। इस पर श्री लंका की सरकार से बातचीत की जा सकती है।

प्रश्न संख्या 275 और 298 के बारे में

RE : Q. 275 AND 298

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 275

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न 298 को भी ले लिया जाए

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रथम भाग एक समान है भाग (बी) बिल्कुल भिन्न है। मंत्री महोदय की जो इच्छा हो वह करें।

जम्मू और काश्मीर के बारे में रूसी नक्शे

*275 **श्री देवेन सेन** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नवीनतम रूसी नक्शों में जम्मू और काश्मीर को भारतीय क्षेत्र दिखाया गया है जबकि अधिकांश विदेशी नक्शों में समग्र क्षेत्र को या तो 'विवाद ग्रस्त' दिखाया जाता है अथवा राज्य के एक भाग को पाकिस्तानी क्षेत्र दिखाया जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या रूस द्वारा इन नक्शों का प्रकाशन मास्को में हाल ही में भारत के विदेश सचिव और रूसी विदेश उप मंत्री के बीच हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हुआ है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . सभी सोवियत मानचित्र और एटलस, जम्मू और काश्मीर को, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर दिखा रहे हैं। युद्ध विराम रेखा को केवल विन्दुचित्रित रेखा के रूप में दिखाया गया है। सोवियत मानचित्रों में जम्मू और काश्मीर को उसी रंग में दिखलाया गया है जिस रंग में भारत को और उसे भारत के अभिन्न अंग के रूप में चित्रित किया गया है जबकि पश्चिमी देशों में प्रकाशित अधिकांश मानचित्रों और एटलसों में जम्मू और काश्मीर की सीमाओं को या तो विवादग्रस्त सीमा चिन्ह के रूप में दिखलाया गया है अथवा युद्धविराम रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में।

(ग) हाल में मास्को में सोवियत रूस के उप विदेश मंत्री ने विदेश सचिव से इस बात का उल्लेख किया था।

(घ) सरकार इस बात की तो सराहना करती है लेकिन सोवियत मानचित्रों में चीन-भारत सीमाओं का जो गलत चित्रण किया गया है, उससे वह संतुष्ट नहीं है।

Shri Deven Sen : May I know whether the Government possess the revised maps prepared by Soviet Russia and if so, whether the same will be placed on the Table of the house.

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय (ग) भाग के सम्बन्ध में मेरे उत्तर क से है तो मैं कहना चाहूँगा...

श्री स० मो० बनर्जी : वे जानना चाहते हैं कि क्या कोई नक्शे की पुनरीक्षित प्रति है।

श्री स्वर्ण सिंह : संशोधित नक्शे जारी नहीं किये गये। उन्होंने हमें सूचित किया है कि वे संशोधित नक्शे जारी करेंगे।

Shri Deven Sen : Has any anthentic pronouncement been made by Soviet Russia and if so what is the Government's reaction thereto ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि पहले के प्रश्न में बताया गया था रूस के राजदूत ने सरकारी तौर पर सूचित किया है कि रूसी सरकार नये नक्शे जारी करेगी जो कि प्रमाणिक होंगे। यदि कोई राजदूत हमारे पास आकर कोई वक्तव्य देता है तो हमें उसे प्रमाणिक समझना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri : Recently our President visited Soviet Russian. Then it was published in the news papers that he had talks with Soviet authorities. Thereafter our Prime Minister while going to New York stopped over there and had talks with Soviet authorities. Now Shri Kaul, External Affairs Secretary visited Russia and on his return gave a statement that Russians have agreed to withdraw such maps. But the statement issued on behalf of Russian Government indicates that when these maps are published next these places would neither be shown as belonging to India non as belonging to China and would be indicated as unsettled territories. My specific question is whether, in spite of all your effects, in spite of all your persuasion Russia has given only Government any understanding that Indian Territories would be shown as Indian in the maps. If that has not been done Have the Government expressed their displeasure and if not, for what reasons ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान, इस मामले पर सविस्तार चर्चा की जा चुकी है, न केवल प्रश्नों के उत्तरों और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में अपितु इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है। मैं इस मामले को फिर से नहीं उठाना चाहता। हमने माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की रूस यात्राओं के समय तथा तत्पश्चात विदेश सचिव की रूस के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के समय इस मामले पर चर्चा की थी। उसी के परिणाम स्वरूप हमें सूचित किया गया कि रूसी सरकार नये नक्शे जारी करेगी। जब तक नक्शे बाहर नहीं आते हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूँ कि हमने उच्चतम स्तर पर बातचीत की है। उन्होंने हमें नये नक्शे जारी करने का आश्वासन दिया। जब तक नये नक्शे आ नहीं जाते उन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

Shri Prakash Vir Shastri : You have not followed my question. Hon. External Affairs Minister has said. .....

Mr. Speaker : Leave it.

Shri Prakash Vir Shastri : If you do not give us protection, who else would give ? The calling attention and debates were held prior to the visits of the President, the Prime Minister and the Foreign Secretary. That is the situation under which a question has been asked. Why does the Minister of External Affairs hesitate in giving a reply ? please tell us clearly what are the motives of Russian Government ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। मैं समझता हूँ कि हम अगला विषय ले सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Please get us a reply. All the three went after the debates.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : महोदय, आप मुझे इस पर एक अनुपूरक प्रश्न नहा पूछन द रह। आपने कहा है मेरा प्रश्न का एक भाग इसमें आ जाता है और आपने इन्हें एक मान लिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस भाग का उत्तर दे दिया है और जब उन्होंने नहीं-नहीं कहा तो मैंने समझा कि उनका उत्तर केवल प्रश्न संख्या 275 के सम्बन्ध में है। इसीलिए मैंने आपको बुलाया नहीं।

श्री सुरेन्द्रपाल द्विवेदी : हमें प्रसन्नता है कि कई वर्षों के अंत में एक आश्वासन दिया गया है कि आगे नक्शों को ठीक कर दिया जाएगा। मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि सोवियत सरकार अथवा राजदूत के द्वारा जो संदेश आया है उसमें क्या उन्होंने स्वीकार कर

लिया है जैसा कि वे संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते रहे हैं। रूसी सरकार को नक्शों को अवश्य शुद्ध करना चाहिए और उक्त क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस विशेष मामले पर चर्चा की गई है और क्या उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, अथवा उन्होंने शस्त्र सप्लाई करने के मामले के समान सामान्य स्थिति कायम करने के लिए इस क्षेत्र को संभवतया विवादास्पद दिखाया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक रूसी नक्शों में जम्मू कश्मीर की स्थिति है उन्हें सदैव ही भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। उसमें कोई विवाद नहीं और नहीं इस मामले को रूस के साथ पुनः उठाना पड़ा।

श्री स० कुण्डू : रेखांकित लाइनों से क्या अभिप्राय है।

श्री स्वर्ण सिंह : वह युद्ध विराम रेखा सभी नक्शों में दिखाई गई है।

दक्षिण कोरिया से अमरीकी सैनिकों का वापस बुलाया जाना

*277. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो अमरीकी सैनिक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन अन्य देशों के सैनिक दक्षिण कोरिया में हैं, उन्हें वहां से हटाने के प्रश्न पर सितम्बर, 1970 में जब महासभा में विचार-विमर्श हुआ था उस पर भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया था ;

(ख) क्या डेमोक्रेटिक पीपल्ज़ रिपब्लिक आफ कोरिया (उत्तर कोरिया) द्वारा प्रस्तावित कोरिया-देशों के शान्तिपूर्ण एकीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर भारत सरकार ने ध्यान दिया और

(ग) इस समय मामला किस अवस्था पर है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). यह मूल प्रश्न अभी महासभा में विचार के लिए उठाया ही नहीं गया है। कोरिया को शांतिपूर्वक पुनः एक करने के बारे में लोकतंत्रात्मक जन गणराज्य और कोरिया गणराज्य के विभिन्न प्रस्तावों पर भारत सरकार ने गौर किया है। यह मामला अभी यहीं तक बढ़ पाया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसे मामलों में भारत सरकार द्वारा जो रुख अपनाया जाता रहा है यही था कि सभी विदेशी सेनाओं का हटाया जाना प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस बारे में कोई विशेष प्रयत्न किया गया है तो वह क्या है। क्या सितम्बर के संबन्ध में बातचीत हुई थी अथवा नहीं जैसा कि समाचार पत्रों में सूचित किया गया है, इस बारे में भारत का रुख स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

श्री स्वर्ण सिंह : वियतनाम से विदेशी सेनाओं के हटाने के सम्बन्ध में हमारा वक्तव्य अन्य की परिस्थिति से भिन्न परिस्थिति में दिया गया था। वियतनाम में हमारा दृष्टिकोण यही रहा है कि पहले विदेशी सेनायें हटायी जानी चाहिए और तत्पश्चात वियतनाम के भविष्य के बारे में वहां की जनता की इच्छानुसार सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। हमारा सदा यही दृष्टिकोण रहा है। प्रस्तुत विषय गम्भीर मामला है जो कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के

सम्मुख आया है। क्योंकि मामला अभी भी राष्ट संघ के सम्मुख है अतएव मुझे इस पर अपना दृष्टि कोण बताना उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि राष्ट्र संघ में इस विषय पर शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करनी चाहिए और उसके पश्चात इस मामले में अपना रुख दृढ़ करेंगे। वियतनाम में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हम सदैव ही यह चाहते रहे हैं कि मामले को युद्ध भूमि से हटा कर सम्मेलन कक्ष में ले जाया जाए। कोरिया की स्थिति भिन्न है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात के होते हुए कि राष्ट्रपति किसु इल सुंघ ने कोरिया से विदेशी सेनाओं को हटाकर निर्वाचन के आधार पर देश को एक बनाया जाना चाहिए और वही बात पूरी तरह कुछ अपवादों सहित वियतनाम पर भी लागू होती है। परन्तु उस बारे में भारत सरकार उतनी दृढ़ नहीं है कि सभी विदेशी सेनाओं को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं करता ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यही कहा है कि इस मामले पर अभी बातचीत होनी है। यह सच है कि कोरिया की लोकतन्त्रात्य गणराज्य ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और सदस्य राष्ट्रों को वितरित भी किया है। परन्तु अभी कोई चर्चा नहीं हुई। हमें विषय का सामूहिक रूप से अध्ययन करना चाहिए न कि सामयिक परिस्थिति के कुछ पहलुओं का ही।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय अधिकारी की हनोई यात्रा का रद्द किया जाना

272. **श्री हिम्मतसिंह का** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में उनके मंत्रालय के एक सरकारी अधिकारी को अपने हनोई के दौरे को रद्द करना पड़ा था क्योंकि ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर वियतनाम भारतीय अधिकारी का स्वागत नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का उद्देश्य क्या था और उसे किन परिस्थितियों में रद्द किया गया;

(ग) क्या इससे पहले भी उत्तर वियतनाम सरकार ने उनके मंत्रालय के किसी अन्य अधिकारी का स्वागत करने से इसी प्रकार इन्कार कर दिया था; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को, आस्ट्रेलिया की बैठक में भाग लेने के पश्चात, हिन्द-चीन के हमारे कुछ मिशनों का सामान्य निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था। दुर्भाग्य से यह यात्रा भारतीय तथा विदेश समाचार पत्रों में, इस अनुचित अटकलबाजी का विषय बन गई कि यह शान्ति की दिशा में भारत

की पहल है । यह सही नहीं था । वियतनाम लोक गणराज्य की सरकार के अनुरोध पर हनोई की यात्रा स्थगित कर दी गयी थी, क्योंकि भारत सरकार इस बात से सहमत थी कि समाचार-पत्रों की अटकलबाजियों से यात्रा असामयिक हो गई है ।

(ग) वियतनाम लोक गणराज्य की सरकार ने पिछले समय में मंत्रालय के किसी अन्य अधिकारी की यात्रा को अस्वीकार नहीं किया था । जून, 1969 में नियत यात्रा के बारे में भी उन्होंने सूचित किया था कि वे अस्थाई स्थगन चाहते थे । चूँकि अधिकारी को शाही लाओस सरकार द्वारा उस देश की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया जा चुका था और उन्हें प्रधान मंत्री की जापान और इण्डोनेशिया की यात्रा में सम्मिलित होना था, वह अपना कार्यक्रम बदलने में असमर्थ था ।

(घ) सरकार का विश्वास है कि वियतनाम लोक गणराज्य के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार दोनों देशों के तथा उस क्षेत्र में शान्ति के हित में है ।

परिवार नियोजन के उपायों का माताओं पर प्रभाव

*273. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में, तथा केन्द्र सरकार पर न केवल शिशु हत्या करने बल्कि माता को भी दुग्ध-हीन बनाने के आरोप के बारे में, जमाते इस्लामी (हिन्द) के प्रधान सैयद हियामिद हुसैन के वक्तव्य से सम्बन्धित, 27 अक्तूबर, 1970 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में मुसलमानों पर तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे समाचारों का मुसलमानों के परिवार नियोजन अपनाने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं जान पड़ता । उपलब्ध सूचना के अनुसार, दूसरे सम्प्रदायों की भांति मुसलमानों ने भी देश में लगभग अपनी जनसंख्या के अनुपात में परिवार नियोजन को अपनाया है ।

पाकिस्तान के लिए भारतीय फिल्में

*276. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्में दिखाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों को उच्चायुक्त के कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान में ये फिल्में किस समझौते के अन्तर्गत दिखायी जा रही हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान को निर्यात करने पर भारत सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है । लेकिन 1965

युद्ध के बाद से भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध के एक भाग के रूप में उस देश में भारतीय फिल्मों के आयात पर पाकिस्तान सरकार का प्रतिबन्ध जारी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई

*278. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री दिनकर देसाई :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने इण्डोनेशिया से रूस निर्मित 32 जल-थली पी० टी०-76 स्नोरकेल टैंक प्राप्त किये हैं जिनको कि पूर्वी पाकिस्तान में रखा जायेगा;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इंडोनेशिया को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है;

(ग) उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इण्डोनेशियायी सरकार द्वारा सरकार का आश्वासन दिया गया है कि इन रिपोर्टों में कोई तथ्य नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

दन्त चिकित्सकों की शिकायतें

*279. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय दन्त चिकित्सक संघ के अध्यक्ष द्वारा 25 अक्तूबर, 1970 को दिये गए इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि चिकित्सा सेवा के अन्य कर्मचारियों की तुलना में वेतन तथा सेवा-शर्तों के मामले में उनके साथ भेद-भाव का व्यवहार किया जा रहा है, यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या देश में दन्त चिकित्सा के विकास तथा दन्त चिकित्सक का कार्य करने में आने वाली बाधाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए उनके मंत्रालय में दन्त चिकित्सा-सलाहकार का एक पद बनाने के लिए जोरदार अनुरोध किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के सुझाव भी प्राप्त हुए हैं कि स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय, भारतीय दन्त चिकित्सक परिषद् तथा भारतीय दन्त चिकित्सक संघ को मिलकर बेरोजगार स्नातकों का उपयोग करने तथा दन्त चिकित्सकों की दशा में सुधार करने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो दन्त चिकित्सकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) जी हां। ऐसा एक वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। तीसरा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के अन्य वर्गों के साथ-साथ दन्त चिकित्सकों के वेतनमानों को भी संशोधित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् ने इस आशय का एक ज्ञापन वेतन आयोग के पास भेज दिया है। इस समय के कार्य की मात्रा को देखते हुए दन्त चिकित्सा सलाहकार का एक पूर्ण कालिक पद सर्जित करने का औचित्य नहीं है। इस मंत्रालय में 1956 से एक अवैतनिक दन्त चिकित्सा सलाहकार पहले से ही कार्य कर रहा है और फिलहाल यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

अस्पतालों में दन्त चिकित्सा सेवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर दन्त चिकित्सकों के पद बढ़ाये जाते रहते हैं। क्योंकि दन्त चिकित्सा राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक दन्त चिकित्सालय खोले जिनमें काफी दन्त चिकित्सा स्नातक खप जायेंगे।

(ग) जी हां।

पूर्वी यूरोप के देशों के नक्शों में भारतीय क्षेत्र की चीनी क्षेत्र दिखाया जाना

*280. **श्री शंकर राव माने :** **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि न केवल रूस बल्कि कई पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने भारतीय क्षेत्र को चीनी क्षेत्र के रूप में दिखाया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से देश हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतक्रिया है।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में तथा कुछ पश्चिमी देशों में जो मानचित्र प्रकाशित किये गए हैं उनमें चीन के साथ भारत की सीमा गलत ढंग से दिखाई गई है।

(ख) रूमानिया, बल्गारिया, जर्मन जनवादी गणराज्य और पौलैंड में जो मानचित्र प्रकाशित हुऐ हैं उनमें मोटे तौर पर चीनी मानचित्रों का ही अनुसरण किया गया है, हालांकि उनमें से कुछ मानचित्रों में सीमा को खण्डित रेखा के रूप में दिखलाया गया है जो यह बतलाती हैं कि ये सीमाएं अस्थिर है।

हंगेरियाई सरकार ने हमारे राजदूतावास को यह सूचना दी है कि जब तक भारत और चीन के बीच में अन्तिम रूप से समझौता नहीं हो जाता तब तक वे अपने मान-चित्रों में सीमा के संबन्ध में भारत और चीनी दोनों संस्करणों को साथ-साथ दिखलायेंगे। 1969 में बुडापेस्ट में जो विश्व मानचित्र प्रकाशित हुआ है उसमें यही किया गया है।

चैकोस्लोवाकिया ने जो मानचित्र प्रकाशित किए हैं उनमें मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की सीमा सही ढंग से दिखाई गई है लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में वह सीमा दिखाई गई है जिस पर चीन दावा करता है।

यूगोस्लाविया विभिन्न मानचित्रों में भारत और चीन दोनों मानचित्रों को दिखलाता है। भारत सरकार संबद्ध सरकारों के साथ यह मामला उठा रही है।

चीन द्वारा प्रक्षेपणास्त्र अड्डों की स्थापना

*281. **श्री न० कु० सांधी :** **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :**
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हिमालय की सीमा पर स्थिति अपने क्षेत्र में प्रक्षेपणास्त्र अड्डे स्थापित कर लिये हैं, जो अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने में समर्थ हैं ; और

(ख) इससे भारत की प्रतिरक्षा पर किस मात्रा में अतिरिक्त भार पड़ता है ; और हिमालय की सीमा पार के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०), कानपुर के छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विरोध के बारे में अमरीकी राजदूत से पत्र

*282. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूत जब दीक्षान्त भाषण देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर, में गए उस समय वहां के छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विरोध के संबंध में क्या सरकार को अमरीकी राजदूत से कोई पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ देशों के राजनयिक कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक भाषण देने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मामले में इस प्रकार की अनुमति प्राप्त की गई थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

BOMBER JETS MANUFACTURED BY CHINA

*283. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether China has manufactured such bomber jets as are capable of throwing atomic weapons upto 1500 miles ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) We have received some information to this effect.

(b) Our Defence preparedness is constantly being reviewed to meet the changing threats.

स्त्रियों के बन्ध्यकरण के लिए नई प्रतिक्रिया

*284. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवस तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक भारतीय चिकित्सक डा० वी० एन० शिरोदकर द्वारा लास एन्जेल्स (अमरीका) में अमरीकी फैमिली प्लानिंग एसोसियेशन के समक्ष 25 अक्तूबर, 1970 को दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर दियाया गया है कि उन्होंने एक नई प्रक्रिया खोज निकालने में सफलता प्राप्त की है जिससे कि एनेस्थीसिया देकर किसी स्त्री का केवल 15 मिनट में बन्ध्यकरण किया जा सकता है तथा बाद में यदि वह बच्चे को जन्म देना चाहे तो, कोई डाक्टर बन्ध्यकरण को सरलता से समाप्त कर सकता है ;

(ख) क्या डा० शिरोदकर से उनकी नई प्रक्रिया के बारे में कोई पूछताछ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की बिक्री का प्रश्न

*285. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्नान को अमरीका द्वारा शस्त्रों की बिक्री पुनः आरम्भ करने के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो जिन देशों ने इस बारे में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया उनके नाम क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उप विदेश मंत्री ने, कार्यसूची के "अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के तरीकों पर विचार" विषयक मद पर अभिवक्तव्य में इसका उल्लेख किया था।

(ख) चूंकि यह प्रश्न सभा की कार्य-सूची में नहीं था अतः कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था और न ही इस पर वाद-विवाद हुआ था।

एच एफ-24 विमानों की सुपरसोनिक मार्ग-11 शृंखला

*286. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच एफ-24 विमानों की सुपरसोनिक-11 शृंखला का विकास करने की योजना वर्ष 1961 में तैयार कर ली गई थी ;

(ख) क्या सरकार एच एफ-24 विमान को सही अर्थों में सुपरसोनिक बनाने के लिए अभी तक किसी उपयुक्त इंजन का चयन नहीं कर सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विलंब के क्या कारण हैं तथा आवश्यक चयन कितनी अवधि तक कर लिया जायगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) : एच एफ-24 का विकास 1956 में हस्तगत किया गया था। इस विमान का विकास प्रावस्थाओं में होना था। एक अधिक शक्तिशाली इंजन सहित एक मार्क 2 संस्करण का विकास अभिप्रेत था। परन्तु इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त इंजन की उपलब्धि संभव नही हो पाई। इस दौरान रिहीट सहित आरफियस 703 इंजन समेत एच० एफ०-24 का एक सुसंस्कृत संस्करण विकास अधीन है।

आर्डिनेस फैक्टरी भुसावल द्वारा भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई

*287. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** आर्डिनेंस फैक्टरी भुसावल द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों की सप्लाई के बारे में 4 मई 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन को बैरलों सम्बन्धी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्डिनेंस फैक्टरी, भुसावल से अत्यधिक मूल्य पर बैरल खरीदने पड़े थे क्योंकि बम्बई के अन्य निर्माता बैरल सप्लाई करने में असफल रहे यद्यपि उनके पास इण्डियन आयल कारपोरेशन के बैरलों के पर्याप्त क्रयादेश अभी तक मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो ठेके सम्बन्धी अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहने के कारण बम्बई के निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो आर्डिनेंस फैक्टरी, भुसावल को अत्यधिक मूल्य पर बैरलों की सप्लाई के लिए क्रयादेश देने के क्या कारण हैं जबकि बम्बई के निर्माताओं से सस्ते मूल्य पर बैरल उपलब्ध हो सकते थे और उनके पास पर्याप्त क्रयादेश भी पहले से मौजूद थे।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी पिचासवी रिपोर्ट, जो संसद में 24 अप्रैल, 1969 को पेश की गई थी, के 244 पैराग्राफ में की गई सिफारिशों के अनुसार, भारतीय तेल निगम ने आर्डिनेंस फैक्टरी भुसावल को आदेश देती रही है।

हांगकांग स्थित भारतीय बैंकों के अधिकारियों को चीनियों द्वारा आमंत्रण

. *288. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हांगकांग स्थित तीन भारतीय बैंकों के मैनेजरों और सहायक मैनेजरों को 1 अक्तूबर के स्वागत समारोह में चीन के किस सरकारी स्रोत द्वारा आमंत्रित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) बैंक आफ़ चाइना ने, अपने कतिपय अन्य बैंकों और दूसरी सम्बद्ध बीमा कम्पनियों सहित, हांग-कांग-स्थित तीन भारतीय बैंकों के मैनेजरों और सहायक मैनेजरों को 1 अक्तूबर के स्वागत समारोह में आमंत्रित किया था।

(ख) वे इस समारोह में शामिल हुए थे। यह तो विगत वर्षों की सामान्य प्रथा पर लौटने मात्र का प्रतीक है।

भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र

*289. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस विषय पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में अपनाई गई नीति के बारे में अनेक देशों ने विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां। मामला विचाराधीन है।

(ख) अंतिम निर्णय होने पर ब्यौरा बता दिया जाएगा। इस मामले में भारत सरकार को कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सरकारी इमारतों पर गृह-कर

*290. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लगभग पांच हजार सरकारी इमारतें हैं और उनके रखरखाव के शुल्क के लिए निगम को 67 लाख रुपये लेने हैं;

(ख) क्या सिद्धान्त रूप में इस बात पर सहमति हो गई है कि नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम को रखरखाव के लिए शुल्क लेने के बजाय सरकार से गृह-कर लेना चाहिए; और

(ग) इस बारे में तथ्य क्या है और तत्सम्बन्धी निर्णय की क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में, निर्माण, आवास और नगरविकास विभाग के नियंत्रण में केन्द्रीय सरकार के भवनों की संख्या 6,685 है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गये 75.13 लाख रुपये के दावे के विपरीत 11.18 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष रकम का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि यह गलत आधार पर मांगी गई मालूम पड़ती है। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). जी, हां, जहां पर स्थानीय निकायों द्वारा समस्त सेवायें ले ली गई हैं। जहां ऐसा नहीं है, वहां सेवा-प्रभारों की अदायगी में उसी अनुपात से कमी की जानी है। दिल्ली नगर निगम और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन्जीनियर तथा सम्बन्धित अधिकारी इन व्यवस्थाओं का ब्यौरा तैयार करेंगे। इस रूप में निर्णय हो जाने के पश्चात सेवा प्रभारों की अदायगी पुनरीक्षित आधार पर की जाएगी।

CLOSURE OF MICA MINES IN BIHAR

*291. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether more than two hundred Mica Mines at Gawan in Hazaribagh district have been closed by Mine owners for the last four years ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the mine-owners had obtained the permission of Government in this regard ; if not, the action taken to get the work restarted in these mines ; and

(d) if so, the details thereof and the outcome of the action taken by Government in this connection, so far ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh) : (a) According to notices submitted by Mica Mine Owners under Mineral Conservation and Development Rules, 1958 during the period from 1966 to 1969, 196 mica mines were closed in Hazaribagh district of which 49 mines were in Gawan.

(b) Reasons reported by Mine owners for temporary and permanent closure are unprofitability, barren workings, shortage of labour, heavy rains, determination; cancellation of lease etc.

(c) and (d). Mine owners are not to obtain permission from Indian Bureau of Mines for closure of mines under Mineral Conservation and Development Rules, 1958. The Government of India have since set up a Working Group to examine in detail the various problems of the mica industry and to suggest remedial measures. The Working Group is expected to submit its Report shortly.

सैनिक स्कूल खोलने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार का अभ्यावेदन

* 292. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार से, सैनिक स्कूल खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार का चालू वर्ष में ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच हाट-लाइन की स्थापना

*293. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच भी ऐसी ही "हाट-लाइन" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था जैसी कि वाशिंगटन और मास्को के बीच है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को अब त्याग दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) अमृतसर और लाहौर के बीच सेनाध्यक्ष भारत और सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के बीच बात-चीत के लिये एक टेलीफून लाईन सितम्बर, 1966 में स्थापित की गई थी, और कुछ अवसरों पर सेनाध्यक्ष भारत और सेनाध्यक्ष पाकिस्तान सेना के बीच हुये करार से पैदा होने वाले मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये तथा ताशकन्द करार के कई पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिये उसका प्रयोग किया गया ।

नागपुर में वायु-दूषण अध्ययन-केन्द्र की स्थापना

*294. **श्री दंडपाणि** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागपुर में वायु-दूषण अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा; और

(ग) उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु-दूषण के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ एक समझौता करके केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर को

प्रादेशिक संदर्भ केन्द्र के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इस केन्द्र ने पहली जनवरी, 1969 से कार्य करना आरम्भ कर दिया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस केन्द्र का उद्देश्य किसी प्रदेश के भूभाग में वायु-दूषण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा तत्सम्बन्धित सूचना का आदान-प्रदान करना है।

काश्मीर की लड़ाई के बारे में विवाद

*295. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947 की काश्मीर की लड़ाई के सम्बन्ध में जनरल एल० पी० सेन और जनरल हरबख्श सिंह के मध्य के विवाद की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धी अधिकृत अभिलेखों को प्रकाशित करेगी ताकि सही तथ्य सामने आयें; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1947-48 को जम्मू तथा काश्मीर संक्रियाओं के सम्बन्ध में (सेवा विमुक्त) ले० जनरल एल० पी० सेन तथा सेवा (विमुक्त) ले० जनरल हरबख्श सिंह द्वारा दिये गये तथाकथित वक्तव्यों की समाचार पत्रों में रिपोर्ट सरकार ने देखी हैं। सरकार को दोनों सेवाविमुक्त अफसरों द्वारा घटनाओं के व्यक्तिगत विवरण के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना है।

(ख) तथा (ग). (1947-48) को जम्मू तथा काश्मीर संक्रियाओं के इतिहास का मसौदा पहले से ही सम्पूर्ण हो चुका है और जांच अधीन है।

तीनों सैन्य-सेवाओं की पारस्परिक समस्याएं

*296. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 अक्तूबर, 1970 के इण्डियन एक्सप्रेस में "कौआरडिनेशन" शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रतिरक्षा योजना के सचिव ने विचार व्यक्त किये हैं कि भारत में तीनों सैन्य-सेवाओं की पारस्परिक समस्याएं हल करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) क्या यह कार्य प्रतिरक्षा योजना विभाग को सौंपा गया है जिसके पास सेवाओं की इस आवश्यकता के बारे में अपना स्वतन्त्र मत बनाने के लिये न तो समुचित संगठन क्षमता है और न कोई तकनीकी सहायता या व्यवस्था-तंत्र है अथवा जिसे वैयक्तिक सेवाओं द्वारा की गई सिफारिशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

27-10-1970 के इण्डियन एक्स प्रेस के समाचार "कौआर्डिनेशन" में दी गई रिपोर्ट ठीक नहीं है। रिपोर्ट में उल्लिखित रक्षा मन्त्रालय के अफसर ने अहमदाबाद में आयोजित "कान्टे-

म्पोरेरी स्ट्रेटेजिक थाट एण्ड इण्डियाज़ सिक्योरिटी" संबंधी सेमिनार में भाग ही नहीं लिया था।

(ख) रक्षा विभाग में एक आयोजन निदेशालय है जिसे पंचवर्षीय रक्षा आयोजन बनाने का कार्य सौंपा गया है। निदेशालय रक्षा मामलों और आयोजन संबंधी आवश्यक पृष्ठभूमि सहित अफसरों पर सम्मिलित है। सेवाओं द्वारा आवश्यक आयुधों के अभिकल्पन विकास और उत्पादन के लिए देशीय आधार के विकास की आवश्यकता से संगत तीनों सेवाओं की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्य साधनों के आवेदन के लिए निदेशालय अपने प्रस्ताव तैयार करता है।

सरकार द्वारा बिड़ला भवन का अधिग्रहण

*297. **श्री जि० मो० बिस्वास :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धु, सरकार द्वारा बिड़ला भवन के लिये जाने और उसे महात्मा गांधी स्मारक में बदलने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भवन के अधिग्रहण के लिए क्या शर्तें तय हुई हैं; और

(ग) भवन के सरकार को कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). 'बिड़ला हाऊस' को अधिग्रहण करने का निर्णय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन किया गया है, और अधिग्रहण की आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात, सम्पत्ति ले ली जायगी।

भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में 1937 में तैयार किए गए विवादास्पद रूसी नक्शे

*298. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के वे विवादास्पद नक्शे, जिनमें भारत के उत्तरी राजक्षेत्र को चीन का भाग दिखाया गया है, 1937 में तैयार किये गए थे;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक, श्री के० सुब्रमन्यन, द्वारा इस संबंध में अहमदाबाद में हाल ही में दिए गए वक्तव्य की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अहमदाबाद में श्री सुब्रमण्यम के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर रखने से यह भ्रामक बात पैदा हुई है। तथ्यों की जांच करने से यह पता चला है कि कुछ अखबारों ने श्री सुब्रमण्यम की बात को गलत छापा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि विवादास्पद सोवियत नक्शे 1937 में बनाए गए थे। श्री सुब्रमण्यम ने टाइम्स आफ इण्डिया के नाम अपने पत्र में स्वयं इस बात को स्पष्ट किया था जो टाइम्स आफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 28 अक्तूबर, 1970 को छपा था।

भारत में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए तेल शोधन करार का लागू किया जाना

*299. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान** तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के मूल्यों में गिरावट के कारण विश्व की मंडियों में कुछ तेल कम्पनियाँ, क्रेताओं को प्रतिस्पर्धा छूट देती रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को भारत में काम कर रही तीन विदेशी तेल कम्पनियों से ऐसी रियायतें उन्हें वाध्य करके प्राप्त करनी पड़ी थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके साथ 1951 में हुए करार की इस धारा को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि उनसे अशोधित तेल उन विश्व मूल्यों पर खरीदा जायेगा जो उस समय तेल की रवानगी के स्थान पर प्रचलित हों।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह रिपोर्ट व्यापार पत्रिकाओं में प्रकाशित है।

(ख) और (ग). जून, 1969 से कम्पनियों के साथ वार्ता के फलस्वरूप एस्सो, वर्मा-शैल और कालटैक्स द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्यों को, शान्तीलाल शाह समिति की रिपोर्ट में सूचित स्तरों तक कम किया गया है।

औषध उद्योग द्वारा दवाईयों के लिए कच्चे माल का आयात

*300. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों द्वारा तैयार किए जाने वाला कच्चा माल औषध निर्माण उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषध निर्माण उद्योग को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के आयात की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब तक कार्यवाही हो सकेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) स्पष्टतया सदस्य महोदय का तात्पर्य प्रचुर औषधियों से है। यदि हाँ, ऐसी प्रचुर औषधियां जो मांग को पूरा करने के लिये न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही गैर सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त मात्राओं में उत्पादित की जाती है उनकी कमी को पूरा करने के लिये आयात किया जाता है।

(ख) जी नहीं। यह सरकार की सामान्य नीति है कि विभिन्न उद्योगों की कच्चे माल की मांग ज्यादा से ज्यादा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के विकास के लिए योजना

1801. **श्री देवेन्दर सिंप गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के विकास के लिये विस्तृत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये कितनी धन राशि निश्चित की गई है;

(ग) चालू वर्ष में मल-निकास तथा नागरिक सुविधाओं के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल सरकार और कलकत्ता निगम के विचारों में कुछ भिन्नता है, और यदि हां. तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) इन मतभेदों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समस्त कलकत्ता महानगर जिले के विकास के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से चौथी योजनावधि में एक विस्तृत योजना तैयार की है।

(ख) और (ग) : चौथी योजनावधि में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 92 योजनाएं हैं जिन पर चौथी योजना में कुल 145.79 करोड़ रुपये का खर्च आना है इस परिव्यय में से संलग्न विवरण के अनुसार 1970-71 के लिये 20.71 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं।

(घ) और (ड.) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कलकत्ता नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित करके यह मांग की है कि कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण अधिनियम, 1970 का जिस के तहत कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण एक वैधानिक निकाय के रूप में सर्जित हुआ है, निरस्त कर दिया जाय निगम चाहता है कि पैसा उसके हाथ में रहे और वह इन योजनाओं को अपनी एजेन्सियों से कार्यान्वित करवाये। कलकत्ता महानगर जिले के अन्तर्गत कलकत्ता निगम क्षेत्र के अलावा, एक अन्य निगम और 34 अन्य नगर पालिकायें भी आती हैं। क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों में कलकत्ता निगम के अलावा, राज्य सरकार के 11 विभाग, 5 वैधानिक निकाय और अन्य नगर प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं। तदनुसार इन विकास योजनाओं में जिनमें से बहुत सी योजनाएँ परस्पर सुग्रथित हैं और एकाधिक नगर क्षेत्र को समाविष्ट करती हैं समुचित तालमेल रखने एवं उनके निर्विन्ध क्रियान्वयन के लिये कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण जैसा एक केन्द्रीय वैधानिक अधिकरण अनिवार्य समझा गया है।

राज्य सरकार, कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण और कलकत्ता नगर निगम के कर्मचारियों के बीच इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये बातचीत चल रही है। आशा

है कि निगम सम्पूर्ण कलकत्ता महानगर क्षेत्र के सुधार के इन विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अधिकरण का साथ देगा।

विवरण

क्रम संख्या	सैक्टर	चौथी योजना के लिये आवंटन (लाख रुपयों में)	1970-71 के बीच आवंटन (रुपये लाखों में)
1.	जल पूर्ति	2880.97	539.80
2.	मल निष्कासन और जालियों की व्यवस्था	2893.58	742.03
3.	यातायात और ढुलाई	3152.65	353.00
4.	कूड़े का निपटान	260.77	81.00
5.	वस्ती, आवास और नगर विकास	2590.81	130.85
6.	अन्य योजनायें	1662.34	115.00
7.	अल्प मूल्य के / मध्यम आयवर्ग के निवास स्थान	600.00	10.00
8.	विशेष योजनाए	538.00	99.81
	योग :	14579.12	2071.49

सरकारी विभागों में तकनीकी कार्य गैर तकनीकी व्यक्तियों द्वारा किया जाना

1802 **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों में सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों (प्रशासन) द्वारा अनेक तकनीकी कार्य किये जाते हैं जबकि तकनीकी व्यक्ति बड़ी संख्या में भर्ती के लिये उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकारी इमारतों में बिजली का रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है जबकि एयर-कंडीशनर, वाटर कूलर, रूम कूलर, डैज़र्ट कूलर, हीटर, टेबल लैम्प, ट्यूब तथा सम्बन्धित सामान, बिजली के वल्व आदि की खरीद तथा रख-रखाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनेक विभागों में तकनीकी पदों के लिये विज्ञान के स्नातकों को भर्ती किया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसका लाभ इसे इकट्ठा करने में लगने वाले श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

भारत में नकली तथा घटिया औषधियों की बिक्री

1803. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1970 से भारत में राज्य-वार कितनी फर्में नकली तथा घटिया **औषधियां** बेचती पकड़ी गई :

(ख) यह भी सच है कि महाराष्ट्र के खाद्य तथा औषधि प्रशासन द्वारा औषधियों **तथा** प्रसाधन सामग्री के 1285 नमूनों को जांच के बाद उनको तीन में से एक नमूना घटिया किस्म का मिला था ;

(ग) महाराष्ट्र खाद्य तथा औषधि प्रशासन द्वारा घटिया पाई गई वस्तुओं के नाम क्या **है; और**

(घ) स्टैण्डर्ड औषधियों को सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सेन्ट्रल स्टैण्डर्ड कन्ट्रोल आरगेनाइजेशन द्वारा क्या व्यवहारिक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) मानक औषधि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा उठाये गये कदमों का एक नोट संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4350/70]

घूस के मामलों में अन्तर्ग्रस्त भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी

1804. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ते दामों पर उर्वरक बेचने के लिये एक थोक व्यापारी को एजेन्सी देने के लिये बम्बई में 10,000 रुपये घूस लेते हुए जुलाई, 1970 में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के जिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम पदनाम तथा वेतन क्या है;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम में अब तक ऐसे कितने मामले पकड़े गये हैं और पकड़े जाने वाले अधिकारियों के नाम पदनाम क्या हैं; और

(ग) एजेन्टों तथा वितरकों की नियुक्ति का कार्य व्यक्तिगत अधिकारियों पर छोड़ने के बजाय इनकी नियुक्ति समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नाम : श्री पी० वी० माने

पदनाम : उप-विपणन प्रबन्धक ट्राम्बे यूनिट, भारतीय उर्वरक निगम, बम्बई ।

उपलब्धियाँ : वेतन मान 1300 से 1600 रुपये तक; प्रारम्भ वेतन 1540 रुपये

की गई कार्यवाही : क्योंकि श्री माने परिवीक्षा अवधि पर थे, उनकी सेवाएं 29 सितम्बर, 1970 से समाप्त की गई। किन्तु श्री माने अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं।

(ख) गत समय में भारतीय उर्वरक निगम में कोई ऐसे केस नहीं हुये।

(ग) एक यथावत गठित समिति की केवल सिफारिश पर व्यापारी नियुक्त किये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया और प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है। विज्ञापन के प्रकाशन और प्रार्थना-पत्रों आदि पर कार्यवाही के लम्बित रहने तक क्षेत्रीय प्रबन्धक की सिफारिश पर, महाराष्ट्र राज्य में कई लोगों को तदर्थ एजेन्सी मंजूर की गई थी। तदर्थ एजेन्सी के अनुमोदन का स्तर विक्रय प्रबन्धक था। किन्तु महाराष्ट्र में उप-विपणन प्रबन्धक स्वयं इस कार्य को करता था।

आवास परियोजनाओं में घटिया सीमेन्ट के बारे में शिकायतें

1805. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार आवास परियोजनाओं में प्रयोग किये गये घटिया सीमेन्ट के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) व्यापारियों तथा थोक के ग्राहकों को घटिया सीमेन्ट बेचने वाले सीमेन्ट निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) 30 अक्तूबर, 1970 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में घटिया सीमेंट के प्रयोग के कारण कितने मकान तथा इमारतें गिरी हैं; और

(घ) कथित अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ). औद्योगिक विकास विभाग में निर्माताओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वांछित सूचना सारे देश के निर्माण प्राधिकारियों से एकत्रित करनी पड़ेगी। इसमें जितना समय और श्रम लगेगा वह उससे संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना

1806. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 नवम्बर, 1970 को केन्द्रीय

लोक निर्माण विभाग में जूनियर इन्जीनियरों, सहायक इन्जीनियरों तथा एक्सीक्यूटिव इन्जीनियरों के कितने पद रिक्त पड़े थे तथा इन पदों पर नियुक्तियां करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : जहां तक कार्यपालक इंजीनियरों के पदों का सम्बन्ध है, सूचना का एक विवरण संलग्न है। ये पद, हाल ही में, भारी संख्या में बनाये गये हैं और इन पदों को भरने के लिये कार्यवाही पहले से ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

जहां तक कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

पद का नाम	10 नवम्बर, 1970 को रिक्त पदों की संख्या
कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	16
कार्यपालक इंजीनियर (बिजली)	5
सहायक इंजीनियर (बिजली)	23
सहायक इंजीनियर (सिविल)	21

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए अर्हता

1807. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सुपरिंटैन्डिंग इंजीनियर ने रोजगार कार्यालय से जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिये केवल स्नातकों के नाम भेजने को कहा है जबकि उनकी नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता को बढ़ाने अथवा इसके विकल्प में डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों को समान अनुपात में भर्ती करने का है अन्यथा सरकार द्वारा पालिटैक्नीक स्थापित करना और भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हता निर्धारित करना और फिर न्याय न देना बड़ा हास्यास्पद है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो डिप्लोमा धारियों को बुलाने तथा सेवाओं के निम्न वर्ग में उनकी भर्ती करने के लिये उचित निदेश जारी न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) : भर्ती नियमों के अनुसार, स्नातक तथा डिप्लोमाधारी दोनों ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इन्जीनियर के पद के लिए पात्र हैं। चूँकि जूनियर इन्जीनियर ग्रेड में डिप्लोमाधारी अधिक हैं, अतः विभाग की दक्षता के लिए इस काडर में अधिक स्नातकों को भर्ती करना वांछनीय समझा गया। तदनुसार अधीक्षक इन्जीनियरों को अनुदेश दिया गया कि वे रोज़गार कार्यालयों से जूनियर इन्जीनियरों के पदों के लिए

केवल स्नातकों को ही भेजें । जैसे ही इस काडर में स्नातकों की कमी पूरी हो जायगी, जूनियर इन्जीनियरों के पदों के लिए भर्ती डिप्लोमाधारियों के लिए भी खोल दी जाएगी ।

जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का सम्बन्ध है, डिप्लोमाधारी, फिर भी, इन्टरव्यू में बुलाये जा रहे हैं तथा चुने भी जाते हैं, क्योंकि इन जातियों के स्नातक समाचत संख्या में उपलब्ध नहीं हैं ।

जहां तक विद्युत पक्ष के जूनियर इन्जीनियरों की भर्ती का सम्बन्ध है, डिप्लोमाधारियों को भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि इन पदों के लिए स्नातक आसानी में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सचिव से पाकिस्तान के दूत की भेंट

1808. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का दूत वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सचिव से हाल में मिला था तथा उनसे बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या था और उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । विदेश मंत्रालय के सचिवों से राजनयिक राजदूतों के मिलने की सामान्य प्रथा रही है ।

(ख) इस प्रकार के विचार विमर्श सामान्यत: गोपनीय समझे जाते हैं ।

चेकोस्लोवाकिया के तीन नागरिकों द्वारा अगस्त 1970 में भारत की यात्रा

1809. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के तीन नागरिकों ने अगस्त 1970 के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा की थी और क्या वे जी० बी० के सदस्य थे

(ख) यदि हां तो क्या उनके पास राजनयिक पारपत्र थे ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या उनके आने जाने पर निगाह रखी गई थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (ग). अगस्त 1970 के अंतिम सप्ताह में कुछ चेकोस्लोवाक राष्ट्रिक भारत आए थे । सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि उनमें से कोई भी "जी० बी०" नामक किसी संस्था का सदस्य था या नहीं ।

देश में अन्धापन का निवारण

1810. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास** तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्धापन के निवारण के लिए कदम उठाये गये हैं

(ख) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं और

(ग) इस बारे में आगे क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय व्यापी आधार पर रोहे के नियंत्रण और चेचक के उन्मूलन के लिए कदम उठाये हैं। रतौंधी की रोक-थाम के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों को विटामिन 'ए' मुफ्त बांटा जाता है जिन्हें इस रोग का खतरा बना रहता है। पोषण सम्बन्धी त्रुटियों के नियंत्रण के लिए जो अन्धता के मुख्य कारण हैं। सरकार ने पूरक आहार कार्यक्रम, पौष्टिक खाद्य उत्पादन, पोषण शिक्षा, कुपोष्ठा के प्रारिम्भक मामलों के उपचार इत्यादि जैसे विभिन्न कदम उठाये हैं।

(ख) और (ग). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने देश में अन्धता के प्रकोप और विस्तार के विषय में सात केन्द्रों नामत: अहमदाबाद, वाराणसी, कटक, इन्दौर मदुर, श्रीनगर और दिल्ली में हाल ही में एक समन्वित अध्ययन प्रारम्भ किया है देश में इस रोग के प्रकोप और विस्तार के अध्ययन के अतिरिक्त, इस अध्ययन में अन्धता के विभिन्न कारणों का पता लगाना और उनका परिमाण निर्धारित करना भी शामिल होगा। वर्तमान अध्ययन से प्राप्त होने वाली यह प्रत्याशित सूचना संभवत: इस रोग की ओर आगे रोकथाम के उपाय बतलाने में सहायक होगी।

Survey of underground Water resources in the Country

1811. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Geological Survey of India has approved a ten year plan to find out the underground water resources in different parts of the country ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the total amount proposed to be spent thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh) (a) to (c). The Geological Survey of India has prepared an outline of a plan involving an expenditure of Rs. 45 crores for expended programme of groundwater studies in the coming ten years. The plan which is under consideration of the Government of India envisages the completion o hydrogeological ma ping for the entire country in the next 10 years and the drawing up of groundwater resources estimates of major river basins.

घी और मक्खन बनाने में आयातित चर्बी का प्रयोग

1812. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वाध्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साबुन बनाने के लिए आयातित चर्बी जा प्रयोग देसी घी एवं मक्खन बनाने के लिये किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अवैध निर्माता फर्मों पर छापा मारा गया था और वहां बड़ी मात्रा में चर्बी, घी और मक्खन पकड़ा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसे समाज विरोधी कार्यों में लगे व्यक्ति / व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चर्बी का

उपयोग इस प्रयोजन के लिए न किया जाए, अपितु उसका उपयोग केवल साबुन बनाने के लिए ही किया जाए, क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जहाँ तक हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों एवं चण्डीगढ़, त्रिपुरा, अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह, मणिपुर, दादरा तथा नगर हवेली, गोआ, दमन और दीव, पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है यह बात सत्य नहीं है।

21.9.70 को दिल्ली में छापा मारा गया तथा मक्खन के चार नमूने पकड़े गये। कुछ मक्खन, वनस्पति तेल का एक कनस्तर तथा क्रीम की एक बाल्टी पकड़ी गई।

अन्य राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिल्ली में पकड़े गए मक्खन के चारों नमूनों में वनस्पति तेल मिला हुआ पाया गया और अपराधियों पर अभियोग चला दिये गये हैं।

मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

1813. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के भण्डार तथा वर्कशाप प्रभाग में हाजिरी रजिस्टर के आधार पर काम कर रहे लगभग 300 कर्मचारियों में से 75 प्रतिशत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-ख के अनुसार लगातार दो वर्ष से भी अधिक से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाजिरी रजिस्टर के आधार पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी, बीमारी की छुट्टी आदि की वैसी ही सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसी उन कर्मचारियों को दी जाती हैं, जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 25-ख के अन्तर्गत एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध पुनः स्थापित करना

1814. **श्री दण्डपाणि** : **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री हुचे गौडा :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चीन भारत के साथ सभी प्रकार के संबंध स्थापित करना चाहता है तथा

उससे दोनों देशों के [illegible] पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत को आमंत्रित [illegible] है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) सरकार को अभी तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राजधानी में "फ्लू" ज्वर के मामले

1815. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री वे० कृ० दासचौधरी**
श्री [illegible]विन्दर सिंह गार्चा :

क्या स्वा[illegible] तथा **परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगराय विकास** मंत्री यह बताने की कृ[illegible]रेंगे कि गत छः महीनों में राजधानी के विभिन्न चिकित्सालयों में "फ्लू" ज्वर के कितने [illegible] दर्ज हुए हैं ?

स्वास्थ्य तथा **परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री** (**[illegible]० सू० [illegible]र्ति**) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, मई से अक्तूबर, 1970 के दौरान **राजधानी** के [illegible] अस्पतालों, औषधालयों में लगभग 65,500 फ्लू के रोगी पंजीकृत किये गए ।

हिंद महासागर से अलग रहने के लिए बड़े राष्ट्रों से अपील

1816. **[illegible]विन्दर सिंह गार्चा :**
[illegible] वाल्मीकि **चौधरी :**

क्या वै[illegible] **कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क[illegible] सरकार ने बड़े राष्ट्रों के बीच बढ़ रही प्रतिद्वन्द्विता को रोकने के लिए उनसे हिंद महासा[illegible] अलग रहने के लिए अपील की है ;

(ख[illegible] यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को किसी राष्ट्र से इस अपील के प्रति कोई प्रतिकिया प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान इसी विषय पर 19-11-70 को इस सदन में ध्यानाकर्षण नोटिश के उत्तर में दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है ।

चन्डीगढ़ में कार्य कर रहे पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह

1817. श्री **कंवर लाल गुप्त** : क्या **प्रति[illegible]रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी **जासूसों के** गिरोह चन्डीगढ़ एयर फोर्स संस्थानों जैसे हमारे कुछ सैनिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) क्या भारतीय वायु सेना के कुछ कर्मचारी जासूसी में प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान गए थे ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ). पाकिस्तानी गुप्तचर दलों के कुछ उदाहरण हमारे सामने आये हैं। कुछ मामले जांच अधीन हैं। कुछ मामलों में अभियोग प्रगतिशील है। अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं होगा।

नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस का हस्तान्तरण

1818. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री जनेश्वर मिश्र :**
श्री राम चन्द्र वीरप्पा

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री के० के० बिड़ला ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस को हस्तान्तरित करने हेतु भूमि देने के अपने आश्वासन से पीछे हट गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस वायदे से पीछे हटने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सरकार किसी आश्वासन से पीछे नहीं हटी है। बिड़ला हाऊस को भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित करने का निर्णय यह पता चलने पर किया गया, कि सरकार द्वारा उन्हें की गई पेशकश पर श्री के० के० बिड़ला से कोई तुरन्त अथवा सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था।

हल्दिया में सोडा-राख कारखाने के लिए कच्चा माल

1820. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल में हल्दिया के स्थल पर सोडा-राख कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्तावित सोडा-राख कारखाने में कच्चे माल के रूप में भारी मात्रा में नमक की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या कन्टाई, जो कि हल्दिया के बहुत निकट है, के तटीय क्षेत्र में उत्पादित नमक का उपयोग प्रस्तावित कारखाने में कच्चे माल के रूप में किया जाएगा ;

(घ) क्या कन्टाई में तटीय क्षेत्र में नमक का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ; और

(ड.) क्या कन्टाई में नमक उत्पादन में और वृद्धि करने की सम्भावना की खोज करने के लिए एक अध्ययन दल वहां भेजा जायेगा ताकि वहां पर उत्पादित नमक की हल्दिया स्थित सोडा-राख कारखाने में कच्चे माल के रूप में नियमित सप्लाई की जा सके ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) हल्दिया में उर्वरक कारखाने के साथ सोडा-राख कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रस्तावित सोडा-राख कारखाने के लिये प्रतिवर्ष 99,600 मीटरी टन नमक (98.5% एन ए सी एल शुद्धता) की आवश्यकता का अनुमान है।

(ग) से (ड़). भारतीय उर्वरक निगम का कन्ठाई के तटीय क्षेत्र में नमक का उत्पादन बढ़ाने की संभावना की जांच करने के लिये, अपने इंजीनियरों का एक दल भेजने का विचार है ताकि प्रस्तावित सोडा-राख कारखाने में इस क्षेत्र का नमक प्रयोग में लाया जा सके।

कोयला उद्योग में संकट

1821. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी व्यय में वृद्धि होने तथा पूंजी निवश पर लाभ में निरन्तर कमी होने के कारण कोयला उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) क्या उद्योग के लिये चिन्ता का तात्कालिक कारण यह है कि उसे कर्मचारियों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के रूप में अक्तूबर, के आरम्भ से नौ पैसा प्रति दिन की वृद्धि की अदायगी करनी है ;

(ग) क्या कोयला उद्योग ने सरकार से रेलवे और इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले के मूल्य में वृद्धि करने के लिये अनुमति देने को कहा है ताकि उद्योग अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सके ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) कोयला उद्योग ने सरकार को यह बतलाया है कि बर्धित मजदूरी व्यय और निवेश पर प्रतिकूल में गिरावट के कारण उद्योग संकटावस्था में है।

(ख) उन्होंने बताया है कि यह उस कारणों में से एक कारण है जिससे उक्त (क) में उपदर्शित स्थिति को उद्भूत किया है।

(ग) रेलवे को 1-1-1971 से कोयले की आपूर्ति के लिये अधिकांश निविदाकारों ने अपनी निविदाओं में 3 रुपए प्रति टन लगभग बढ़े हुए मूल्य के लिए कहा है।

(घ) कोयला इस समय विनियंत्रित है। विचार-विमर्श के पश्चात् हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड ने कोककर कोयले की अपनी मुख्य अपेक्षाओं के लिए कोयला सप्लायरों के साथ

दीर्घावधि करार किया है । रेल मंत्रालय ने सप्लायरों के साथ मुल्य-समझौता करने का विनिश्चय किया है ।

भारत बुल्गारिया सहयोग

1822. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति की बुल्गारिया यात्रा के फलस्वरूप भारत का बुल्गारिया द्वारा परस्पर सहयोग में वृद्धि होगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहयोग की किस क्षेत्र में वृद्धि होगी ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अक्तूबर 1970 में राष्ट्रपति की बल्गारिया यात्रा सहित अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं के पारस्परिक विनिमय के फलस्वरूप दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ने की आशा है ।

(ख) आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों आदि क्षेत्रों में ।

(ग) इन दोनों देशों को सरकारें सहयोग बढाने के और उपायों का अध्ययन करने के लिए सहमत हो गई हैं ।

भूतपूर्व विद्रोही नागाओं को पुलिस तथा नागालैंड के अन्य विभागों में भर्ती किया जाना

1823. **श्री दण्डपाणि** :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 147 भूतपूर्व नागा विद्रोहियों को नागालैंड पुलिस में भर्ती किया गया है ;

(ख) क्या आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही नागाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या उन में से अधिकांश नागाओं ने फिर से विद्रोही नेताओं के प्रति जावफादारी दिखाई है ; और

(घ) यदि हां, तो आत्म-समर्पण करने वाले कितने नागाओं को विभिन्न विभागों में रोजगार दिया गया है और उन्होंने किस सीमा तक विद्रोही नागाओं के प्रति वफादारी दर्शाही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक की अवधि के बीच जिन 2189 छिपे नागाओं ने आत्म-समपर्ण किया था उसमें लगभग 329 को नागालैंड सशस्त्र पुलिस में रख लिया गया है ।

(ख) से (घ). जिन्होंने आत्मसमपर्ण किया और योग्य पाए गए हैं, उनमें से 70 व्यक्तियों के नागा रेजीमेन्ट में, 10 को सीमा सुरक्षा दल में और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में भर्ती

कर लिया। अधिकतर व्यक्ति भूमि पर पुनः बसने के लिए अपने-अपने गांवों में चले गए हैं।

अधिकतर मामलों में, आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों ने अपने छिपे साथियों से पुनः मिलने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है। सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्वास शिविरों के जरिए बसाए गये व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति अभी तक छिपे नागाओं में पुनः शामिल हो गया है। कुछ मामले और भी हो सकते हैं किन्तु उनकी संख्या संभवतः अधिक नहीं है।

फ़िजो को ब्रिटेन द्वारा सहायता देना

1824. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजो को ब्रिटेन से सहायता प्राप्त हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में ब्रिटेन की सरकार से बातचीत की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ब्रिटिश सरकार द्वारा फिजो को दी गई किसी सहायता के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन्हे ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करने के अलावा, तथाकथित नागा प्रश्न के संबंध में उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है, जिसे ब्रिटिश सरकार भारत का घरेलू मामला मानती है।

फिजो को ब्रिटेन में कुछ व्यक्तियों और संगठनों से कुछ सहायता मिली है, किन्तु उसका कोई अधिक असर नहीं है। कुछ समय पहले एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने भी उनके मामले की हिमायत की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला उठाया जाना

1825. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बहुत से संसद सदस्यों ने सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला उठाने के संबंध में ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनमें कहां तक सफलता मिली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मई और जून, 1970 में नागाओं का आत्म-समर्पण

1826. **श्री शंकर राव माने** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई तथा जून, 1970 में कितने नागा नेताओं ने भारत सरकार को आत्म-समर्पण किया और

(ख) इस समय उस क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (जगजीवन राम) : (क) मई और जून 1970 के दौरान अपने आपको भूमिगत नागाओं के अफसर कहलाने वाले 33 व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण किया था।

(ख) निकट बीते समय में नागालैंड में अमन और शान्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भूमिगत नागा भारी संख्याओं में आत्मसमर्पण करते रहे हैं। स्वयं ग्रामीणों द्वारा ही विरोध के कारण जो शान्ति चाहते हैं और भूमिगत नागाओं की गतिविधि का समर्थन नहीं करते, भूमिगत नागाओं के नागालैंड के लोगों से, धन और राशन प्राप्त करने के, तथा रंगरूट पाने के प्रयास अधिकता से निष्फल जा रहे हैं।

घूस लेने के आरोप में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के विपणन उप-प्रबन्धक के विरुद्ध जांच

1827. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घुलिया जिले में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के थोक-विक्रेता की नियुक्ति कराने हेतु रिश्वत लेने के आरोप में इस निगम के विपणन उप-प्रबन्धक की गिरफ्तारी के मामले की जांच कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम की प्रेरणा पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की गई थी और सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

1828. **दिनकर देसाई** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते समय तथा भारत को वापसी पर प्रधान मंत्री द्वारा अनेक देशों की राजधानियों में रुकने के समय अमरीकी सरकार का कोई अधिकारी उपस्थित था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी नहीं। ऐसा आवश्यक भी नहीं था।

प्रधान मंत्री की सोवियत राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से भेंट

1830. **मृत्युंजय प्रसाद** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1970 से अब तक प्रधान मंत्री की सोवियत संघ के राष्ट्रपति तथा-अथवा प्रधान मंत्री से दिल्ली, रूस अथवा अन्यत्र कहीं कितनी बार भेंट हुई है ; और

(ख) उन्होंने कितनी बार उन रूसी मान चित्रों का प्रश्न उठाया जिनमें भारतीय क्षेत्र को चीनी क्षेत्र दिखाया गया है तथा इस बारे में रूस की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने इस वर्ष एक बार अक्तूबर मास में न्यूयार्क जाते समय सोवियत प्रधान मंत्री से भेंट की थी और जनरल दिगाल की मृत्यु के पश्चात फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में 12 नवम्बर 1970 को पेरिस में राष्ट्रपति पोदगार्नी से भेंट की थी।

(ख) इस अवसर पर उन्होंने सोवियत प्रधान मंत्री के साथ, सोवियत नक्शों में भारत-चीन सीमा के गलत चित्रण का प्रश्न उठाया था। प्रधान मंत्री कोसीगिन ने उन आश्वासनों को दोहराया था जो राष्ट्रपति वी० वी० गिरि की सितम्बर 1970 में सोवियत यात्रा के दौरान पहले दिए गए थे।

P. M.'s Meeting with President of Muslim League, Lahore

1831. **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Shri B. K. Daschowdhury :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Nawab Rashid Ali Khan, the President of Muslim League Lahore met her secretly on the 25th September, 1970 ;

(b) if so, the purpose of the meeting ; and

(c) the aspects discussed ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) to (c) : Nawab Rashid Ali Khan, the President of Muslim League, Lahore, met the Prime Minister on 25th September, 1970. This was only a courtesy call and not a secret meeting.

काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से बातचीत करने पर भारत का सहमत होना

1832. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के एक प्रवक्ता ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि भारत काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ किसी भी समय कहीं भी तथा बिना शर्त बातचीत करने को तैयार है ;

(ख) क्या भारतीय प्रवक्ता ने उक्त वक्तव्य देने के लिये सरकार से अनुमति ली थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त वक्तव्य काश्मीर के प्रश्न पर सरकार की स्वीकृत नीति में किसी परिवर्तन का द्योतक है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो सरकार की अनुमति बिना भारतीय प्रवक्ता द्वारा दिये गये उक्त वक्तव्य के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) न्यूयार्क में भारतीय प्रवक्ता ने 21 अक्तूबर, 1970 को 'न्यूयार्क टाइम्स' के प्रतिनिधि के समक्ष निम्न लिखित वक्तव्य दिया था :—

भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी बात पर, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर बिना किसी शर्त के द्विपक्षीय आधार पर विचार-विमर्श करने को सदैव तैयार है। ताशकन्द समझौते रूप में द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए आधार पहले से ही मौजूद है। हम दो पड़ौसियों में मैत्री चाहते हैं इसी भावना से हमने स्वयं पर सदैव नियंत्रण रखा है यद्यपि पाकिस्तान ने काश्मीर में भारतीय क्षेत्र में अनेक बार आक्रमण किए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना में गृह-निर्माण कार्यक्रम

1833. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेट्टी समिति के मतानुसार चौथी योजना में गृह-निर्माण कार्य के लिये 3,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता के बारे में विचार किया है तथा क्या यह धन राशि उन लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी जो कुल लागत का आधा अथवा उससे अधिक स्वयं खर्च करने में रुचि दिखायें;

(ख) ऐसी लागत पर तथा निर्माण को रहन रखने पर राष्ट्रीयकृत बैंक उसी ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव क्यों नहीं करते जिस दर पर लघु उद्योगों को ऋण दिये जाते हैं, जिससे कि निर्माण कार्यक्रमों को सहायता मिले ;

(ग) एक ओर तो गांवों में बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार तथा दूसरी ओर खाद्यान्नों में मूल्य-वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई बचत को देखते हुए ग्रामीण गृह-निर्माण कार्यक्रम को और अधिक प्रभाव-पूर्ण ढंग से चल-निधि में शामिल क्यों नहीं किया गया ; और

(घ) ग्रामीण गृह-निर्माण के लिये ऋण देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है तथा उन्होंने गत छः महीनों में कुल कितनी राशि दी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) स्पष्टतया संदर्भ बड़े नगरों में निम्न लागत के बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण के ढंग पर विशेषज्ञ समिति से है, जिसके सदस्यों में से एक डा० एस० एम० के० चेट्टी (केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की के उप-निदेशक) एक

सदस्य थे। समिति की सिफारिशों में चतुर्थ योजना में मकानों के लिये 3,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता का कोई संदर्भ नहीं है।

(ख) लघु उद्योगों को उनके प्राथमिकता क्षेत्र में होने और आरम्भ में विशेष प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के कारण कुछ बैंकों द्वारा सामान्य दरों से कुछ कम दर पर रकम उधार दी जाती है। निर्माण कार्य परियोजनाओं के सामने ऐसी कठिनाइयां नहीं आती। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंक थोड़े समय की जमा पूंजी पर कार्य करते हैं और इसलिए बड़े पैमाने पर मकानों की परियोजनाओं पर लम्बी अवधि के लिए वित्त व्यवस्था नहीं करते।

(ग) आवास और नगरीय विकास के लिए आवर्तन निधि नये बने आवास और नगरीय विकास वित्त निगम (जो भारत सरकार की एक कम्पनी है) के द्वारा संचालित की जायेगी, इसके मेमोरेण्डम आफ ऐसोसियेशन के अनुसार एक उद्देश्य ग्रामीण आवास और ग्रामीण नवीकरण कार्यक्रमों को धन देना है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण आवास के विशेष उद्देश्य के लिए उधार देने की कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, आवास उद्देश्यों के लिये, चार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अग्रिम ऋण देने के लिये योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। क्योंकि ये योजनाएं दोनों नगरीय और ग्रामीण व्यक्तियों के लिए हैं, अतएव ग्राम में मकान बनाने वालों को दी गई राशि के पृथक करने में कठिनाई होगी।

विवरण

बैंक आफ बड़ौदा एक मकान के निर्माण के लिये 25,000 रुपये का अधिकतम कर्ज देता है। कर्ज के लिये ब्याज दर 9-1/2 प्रतिशत है। कर्ज को 10 वर्षों में समान मासिक किश्तों में अदा करना होता है। यूनाइटेड कमर्शल बैंक, दी इन्डीयन बैंक और सिंडीकेट बैंक ने मकानों के निर्माण अथवा मकानों के खरीदने के लिए योजनाएं बनाई हैं; इन योजनाओं का संबंध बचतों से है तथा मुख्यतः इनका उद्देश्य मध्यम आय वर्गों के लिये नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रेरणा देना है जिससे बाद में मकान खरीदे या बनाये जा सके।

यूनाइटेड कमर्शल बैंक की "आवर्तक आवास योजना" है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति जिसकी आय का नियमित साधन है, उसे एक विशेष आवर्तक जमा लेखा खोलना पड़ता है और उसे 50 रुपये से 1,000 रुपये तक, 50 रुपये प्रति मास के गुणज में 48, 60, 72 या 84 मास की अवधि में जमा करना होता है। आवर्तक जमा के अन्तर्गत बैंक उसको कुल देय जमा राशि के दुगने के बराबर कर्ज देगा, किन्तु जो कि खरीदे गये मकान की लागत का अधिकतम 60 प्रतिशत होगी। कर्ज की अदायगी 60, 72, 84, 90 या 96 मास में की जानी है, जो उस आधार पर मूलतः जमा कराई गई आवर्तक जमा की अवधि पर निर्भर है।

सिंडीकेट बैंक की "त्रिसूत्री कर्ज सुविधा" योजना (ट्रिपिल लोन फैसिलिटी स्कीम) के अन्तर्गत, जमाकर्ता के गत 24 महीने के बचत बैंक अवशेष के औसत का पांच गुना तक कर्ज दिया जाता है और इस योजना के अधीन रिण की अधिकतम राशि 10,000 रुपये तक सीमित

है, जिसमें मकान का ऋणाधार जमानत के रूप में, 50 प्रतिशत तक सीमित है। कर्ज की वापसी 60 मासिक किस्तों में होगी।

इन्डियन बैंक द्वारा बनाई गई "अपने स्वयं का मकान" (योर ओन होम) के लिये बचत योजना के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का लेखा खोलना पड़ता है, जिसके लिये न्यूनतम 50 रुपये प्रति मास जमा किया जाना है। 50 रुपये से अधिक का लेखा दस के गुणज में होना चाहिये। यह 3 से 7 वर्षों के बीच निश्चित अवधि के लिये जमा करनी पड़ती है। स्वीकृत अवधि के अन्त में, जमाकर्ता अपनी जमा राशि को ब्याज सहित निकाल सकता है, तथा उसी राशि के बराबर 8 प्रतिशत, प्रति वर्ष की दर से रिण प्राप्त कर सकता है। ऋण की वापसी मासिक किस्तों में की जा सकती है जो खाता खोलते समय मान ली गई हों। उपरोक्त तीन बैंकों की योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों में बचत करने की आदत पैदा करना है। इन योजनाओं से अधिकांश मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

Properties left by Indian Immigrants in Burma.

1834. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the value of property left behind in Burma during the last three years by the Indian immigrants so far ;

(b) the extent of compensation paid in lieu thereof to these Indians during the last three years ; and

(c) how Government propose to pay the rest of the compensation to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh); (a) The value is being estimated.

(b) & (c) : The question of compensation of assets is under the consideration of the Government of India and the Government of Burma.

संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए संसद सदस्यों का चयन

1835. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयंती अधिवेशन में भाग लेने हेतु भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए संसद सदस्यों का चयन दलगत आधार पर किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). निम्नलिखित संसद सदस्य इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे।

1. श्री मोहन धारिया
2. श्री ए० पी० शर्मा
3. श्री एस० ए० आगा
4. श्री चिंतामणि पाणिग्रही
5. श्री जी० एस० रेड्डि

ये लोग सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं।

चांदनी चौक कोतवाली की इमारत के मूल्य के रूप में वसूल की गई राशि को श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को वापस करना

1836. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, कि श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, दिल्ली से चाँदनी चौक कोतवाली की इमारत के लिए वसूल किए गये धन को सरकार द्वारा कमेटी को अनुदान के रूप में वापस कर देना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चांदनी चौक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के स्मारक हेतु अपना योगदान देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यह चाहती है कि कोतवाली की भूमि के लिये कमेटी ने जिस राशि का भुगतान किया है, सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करे तथा स्मारक बनवाने के लिए 25 लाख रुपए का दान दें।

(ग) यह मामला शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, तथा उन के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों पर व्यय

1837. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के स्मारकों पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : सूचना एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन आयल कारपोरेशन में रोजगार के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ दी गई राशि का लौटाया जाना

1838. **श्री वेरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन के विज्ञापित रिक्त स्थानों के लिए हाल की हड़ताल के कारण भर्ती रोक दी गई है परन्तु इण्डियन आयल कारपोरेशन ने 45,000 आवेदकों द्वारा 8 रुपये प्रति आवेदन के हिसाब से आवेदन पत्रों के साथ दी गई 3.6 लाख रुपये की राशि को लौटाने की परवाह नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जून, 1970 में अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित अफसरों के पदों के बारे में साक्षात्कार को एक सितम्बर. 1970 में होना निर्धारित था, बम्बई में संघीयकृत कर्मचारी वर्ग द्वारा की गई हड़ताल के कारण स्थगित करना पड़ा। क्योंकि भर्ती को केवल स्थगित किया गया है, लगभग 28,000 अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में प्राप्त 2.01 लाख रुपये की धनराशि को वापिस करने का प्रश्न नहीं उठता।

खेतड़ी तांबा परियोजना में हड़ताल

1839. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना में हाल ही में हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) कर्मचारियों की मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) हड़ताल के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) जी, हां खेतड़ी ताम्र प्रायोजना और हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के मुख्य कार्यालय के कर्मकार 23 अक्तूबर 1970 से 6 नवम्बर 1970 तक गैर कानूनी हड़ताल पर रहे।

(ख) श्रमिक संघ ने कर्मकारी के लिए पुनरीक्षित मजदूरी संरचना नियतम के सम्बन्ध में माध्यस्थम, पंचाट तारीख 11अगस्त1970 से प्रोद्भूता प्रसुविधाओं से अधिक, अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आख्यापित अन्तरिम सहायता के संदाय के लिए मांग की। इसके अतिरिक्त संघ ने पुनरीक्षित मजदूरी संरचना के अधीन तदनुकूल प्रसुविधाओं की मांग की, जिन्हें माध्यस्थम पंचाट के निबन्धन में तत्काल ही सान्तर रीति में एक मुश्त संदत्त किया जाना था। प्रबन्धको ने इन मांगों को न्यायोचित नहीं माना और इन्हें स्वीकृत नहीं किया गया। इसपर, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, श्रमिक संघ ने बिना कोई सूचना दिए ही गैर-कानूनी हड़ताल आरम्भ कर दी।

(ग) कर्मकारों की मांगों को औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित किया गया है।

(घ) प्रायोजना के सन्निर्माणावस्था में होने से, हड़ताल के कारण उत्पादन में कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई तथापि, आंधकाश कायकयापो के बारे में निर्माण कार्य में 10 कार्य-दिवसों की हानि उठानी पडी। आवश्यक खनन संक्रियाओं के विषय में जहां पर कार्य सतत: किया जाता है. कार्य-दिवसों को प्रभावी हानि, हड़ताल का कुल कालावधि अर्थात् 14 दिनों के तत्समान हुई। अनिरिक्त उपाय यह सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे ह ।क सान्निर्माण-कार्यकलापो के समय की यह हानि अगले कुछ मासों में पूरी हो जाए ताकि प्रायोजना, पूरा होन के लक्ष्य की तारीख तक प्रतिकूलता प्रभावित न होने पावे।

Handling of Imported and Indigenous Oil Products by Public Sector

1840. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state whether the public sector has started handling distribution of the entire oil products produced in the country in the public sector and imported from abroad or it is still being handled with the assistance of foreign companies ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : The Indian Oil Corporation sells all the products of the public sector refineries except for some Motor Gasoline (petrol). The production of Motor Gasolene at the IOC's three inland refineries Gauhati, Barauni and Kovali - and the production at Digboi is given absolute priority in distribution. Some quantity of Motor Gasolene continues to be sold to the foreign oil companies for retail through their outlets as IOC needs time to expand its retail outlet net work to consume all its production.

The Indian Oil Corporation sells all the products that it imports for its requirements.

Progress made and future Target in setting up Fertilizer Factories in the Country

1841. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress made so far in setting up Fertilizer Factories in the country and the future target laid down in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : The fourth Plan envisages minimum capacity and production targets of 3 million tonnes and 2.5 million tonnes of nitrogen for 1973-74. In regard to phosphatic fertilizer, a minimum capacity of 1.2 million tonnes and production of 0.9 million tonnes is envisaged for 1973-74. The estimated demand (consumption targets) of nitrogenous and phosphatic fertilizers is 3.2 million tonnes and 1.4 million tonnes respectively for 1973-74.

The present status of the fertilizer programme, in the public & private sectors is given below :

	Nitrogen	P·25
	(Million Tonnes)	
Existing capacity	1.344	0.421
Capacity under construction	1.210	0.431
Capacity approved but yet to be firmed up	1.256	0.516
Capacity approved in principle	1.158	0,555

So far as potash is concerned, there is no indigenous production. Entire requirements have to be met by imports. The consumption target for 1973-74 is 0.9 million tonnes.

Setting up of Nitrogen Fertilizer Factory based on cheap Atomic Power

1842. **Shri Maharaj Singh Bharati**. Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state

(a) whether Government have considered the setting up of a Nitrogen Fertilizer Factory based on the cheap atomic power in any part of the country ; and

(b) if so, the result thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and

Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) & (b) : There is no proposal at present to set up a fertilizer factory based on nuclear power in view of the non-availability of sufficiently cheap nuclear power.

Setting up of Fertilizer Factory at Ilyat Port in collaboration with Israel

1843. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Potash Fertilizer Factory at the coast of Dead Sea or at Ilyat Port in collaboration with Israel ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Government have no such proposal.

1970-71 की अवधि में हीरे निकालने का कार्यक्रम

1844. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में खानों से हीरे निकालने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1969-70 की अवधि में कुल कितने मूल्य के हीरे निकाले गये तथा बेचे गए ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। हीरे को का नियमित यंत्रीकृत खनन अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की पन्ना हीरा खानों की रामखेरिया और मझगांव खानों में प्रसिद्ध है। 1970-71 के दौरान इन खानों से उत्पादन लक्ष्य 23,250 कैरट है।

(ग) 1969-70 के दौरान, पन्ना प्रायोजन की खानों में से 64.26 लाख रुपए की लागत के 15,335 कैरट हीरक निकाले गए और 10,593 कैरट हीरे 46.22 लाख रुपयों में देचे गए।

ग्रामीण आवास समस्या

1845. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और विर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में ग्रामीण आवास की समस्या के आकार पर यिचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए आवास के वर्किंग ग्रुप के अनुमानों के अनुसार, चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण-वासों की कमी 718 लाख होने की आशा थी। यह इस कल्पना पर आधारित था कि प्रत्येक गृहस्थी के लिये एक अलग तथा उपयुक्त पक्का-वास-एकक होना चाहिये।

(ख) इस विभाग द्वारा ग्रामीणों को ऋण सहायता तथा भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों के लिए मुफ्त आवास-स्थल देने के लिए ग्रामीण आवास परियोजना नाम की एक स्कीम प्रारम्भ की गई, जो विभिन्न राज्यों ऐवं संघ क्षेत्रों में अगस्त, 1957 से चालू है । चतुर्थ योजना के दौरान यह स्कीम जारी रखी जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन को तेज़ करने के लिए राज्य सरकारों से निरन्तर आग्रह किया जा रहा है कि वे राज्य-योजनाओं में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें। अब तक साधनों की कमी कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर प्रारम्भ करने में बाधक रही है।

जुलाई, 1970 में जयपुर में हुई राज्य सरकारों के आवास मंत्रियों की बैठक में यह विचार किया गया कि भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों के आवास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, तथा राज्य सरकारों से यह सिफ़ारिश की गई कि उक्त उद्देश्य के लिए कुछ चुने गये ज़िलों में अपने साधनों के अन्तर्गत भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों को मुफ्त आवास-स्थल दिये जायें, और इन ज़िलों में समस्या की व्यापकता, भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों के लिये मकानों के निर्माण की लागत, ऐसे मकानों की विशिष्टियां तथा कुल आवश्यक निधियों आदि के सम्बन्ध में आंकड़े भारत सरकार को भेजे। बहुत सी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से आंकड़ों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है तथा उन्हें स्मरण कराया गया है।

बेघर ग्रामीण श्रमिक

1846. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों के परिवारों का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ग्रामीण श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनके पास अपने मकान नहीं हैं और उनको अपने मकान किस तिथि तक मिल जायेंगे।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष):(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा फरवरी, 1963 से जनवरी, 1964 के बीच किये गये नमूना-सर्वेक्षण के अनुसार देश में भूमिहीन ग्रामीण मज़दूरों के लगभग 105 लाख परिवार तथा भूमिहीन कृषि मज़दूरों के लगभग 86.4 लाख परिवार हैं।

(ख) भूमिहीन ग्रामीण मज़दूर परिवारों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि भूमिहीन ग्रामीण मज़दूर-परिवारों में से अधिकांश के पास उनके अपने कोई उपयुक्त स्थाई मकान नहीं हैं। सरकार समस्या का उत्तरोत्तर हल कई वर्षों की अवधि में केवल कर सकती है। ऐसी निश्चित तारीख बता सकना संभव नहीं है कि कब तक सभी ग्रामीण मज़दूर परिवारों के पास अपने मकान होंगे।

ग्रामीण श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए कर्ज के रूप में सहायता देना

1847. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुये ज़िलों में मकानों के निर्माण हेतु ग्रामीण श्रमिकों को कर्ज के रूप में सहायता देने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन जिलों में इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में र ज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम में, जो 1957 से चालू है, अन्य बातों के साथ ग्रामीणों को, जिनमें ग्रामीण मज़दूर शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिये कर्ज सम्बन्धी सहायता देने की व्यवस्था है। क्योंकि भूमिहीन कृषि मज़दूरों की आवास समस्या अत्यन्त गंभीर है, अतः ग्रामीण आवास के राज्य मंत्रियों की जुलाई, 1970 में जयपुर में हुई बैठक में राज्य सरकारों से इस बात पर बल दिया गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर कुछ जिलों में भूमिहीन कृषि मज़दूरों के आवास कार्यक्रम आरम्भ करें। राज्य सरकारों को राज्य में प्रत्येक एक करोड़ की जनसंख्या के पीछे एक ज़िला चुनने की, और एक उचित कार्यक्रम तैयार करने के लिये चुने गए ज़िलों के बारे में अपेक्षित ब्यौरा इकट्ठा करने की सलाह दी गई। सभी राज्यों से ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

Diplomatic Relations with Israel

1848. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Israel has made a request recently for the establishment of full diplomatic relations with India ; and

(b) if so, the action taken by Government thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Statement of Ex-Chief of Army Staff, Ceneral P. P. Kumaramangalam

1849. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Meetha Lal Meena** :
Shri Lakhan Lal Kapoor :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported interview given during October, 1970 by the former Chief of Army Staff, General P.P.Kumaramangalam in which among other things he also said that Pakistan could never be a match for us in case we exploited our development resources properly ; and

(b) the reaction of Government to the views expressed by him during the said interview ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : Government have seen the press reports of the statements by the former Chief of Army Staff General P. P. Kumaramangalam which appeared in October, 1970. In another statement he also said that we do not achieve the results in production commensurate with the capacity and sophisticated equipment at hand and that much of the trouble is due to labour as they are not led right and the rest is due to the fact that resources are not used to the full. Government have already taken a number of steps to increase productivity and improve the utilisation of resources by adoption of modern Management techniques.

Commonwealth Prime Ministers' Conference

1850. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shrimati Sucheta Kripalani : Shri G. Venkataswamy :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) when and where the next Commonwealth Prime Ministers' Conference would be held.

(b) the names of the countries which would take part in the said Conference ; and

(c) the decision taken by Government of India regarding their participation in the Conference ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The next Commonwealth Prime Ministers' Conference is scheduled to be held in Singapore in January, 1971.

(b) While all Commonwealth countries have been invited to take part in the Conference, Government have no information about the Prime Ministers/Heads of Government or how many countries will participate.

(c) While Government of India intend to participate in the Conference, the level of representation is still under consideration.

प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा

1851. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार प्रधान मंत्री अपने विदेश यात्रा के दौरान कितनी बार मास्को में रुकी ;

(ख) क्या उन्होंने किसी अन्य विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हुई बातचीत की अपेक्षा रूस के प्रधान मंत्री से बहुत अधिक बार बातचीत की ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं 1968 और 1969 में प्रधान मंत्री ने उोवियत रूस की यात्रा नहीं की । इस वर्ष अक्तूबर, में संयुक्त राष्ट्र जाते समय मास्को में तीन घण्टों के लिये वे रुकीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

जिन देशों का प्रधान मंत्री ने दौरा किया		ब्यौरा
सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और मलयेशिया	1968 19 मई से 1 जून, 1968	प्रधान मंत्री इन देशों के प्रमुख नेताओं से मिली।
दक्षिण अमरीका के देश:	23 सितम्बर से 13	प्रधान मंत्री ने इन देशों के

ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेन्तीना, चिली कोलम्बिया, बेनेजुयला, ट्रिनिडाड एवं टेबेगो और गुयाना	अक्तूबर, 1968	नेताओं से बातचीत की।
	1969	
अफगानिस्तान	5 जून से 10 जून, 1969	बादशाह, प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ बातचीत की।
इण्डोनेशिया और जापान	23 जून से 3 जुलाई 1969	राष्ट्रपति, सुहार्तो और जापान के प्रधान मंत्री श्री आइसाकू सातो से बातचीत की।
बर्मा	27 से 30 मार्च, 1969	अध्यक्ष जनरल नेविन से बातचीत की।
राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन, लन्दन	7 से 10 जनवरी, 1969	प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
	1970	
मारिशस	2 से 6 जून, 1970	मारिशस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की।
लुसाका में गुटमुक्त देशों का शिखर सम्मेलन	6 से 12 सितम्बर, 1970	प्रधान मंत्री ने सम्मेलन में भाग लिया।
न्यूयार्क	20 से 27 अक्तूबर, 1970	प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के रजत जयन्ती समारोह में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यालय को जाते हुए रास्ते में प्रधान मंत्री तीन घंटे तक मास्को में रुकीं तब उन्होंने प्रधान मंत्री कोसीगिन से बातचीत की। न्यूयार्क से लौटते समय प्रधान मंत्री 8 घंटे तक रास्ते में काहिरा में रुकीं और वहां, राष्ट्रपति साक्त और उनके साथियों से बातचीत की।
(मास्को एवं काहिरा में पड़ाव)		
पेरिस	12 से 14 नवम्बर, 1970	प्रधान मंत्री ने जनरल दि गाल के अन्त्येष्टि संस्कार में भाग लेने के लिए पेरिस की यात्रा की।

पश्चिमी बंगाल में हाल्दिया में उर्वरक, सोडा-ऐश तथा मैथेनोल के कारखानों के निर्माण कार्य में प्रगति

1852. **श्री देवेन सेन :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता .

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में उर्वरक सोडा ऐश तथा मैथेनोल के कारख़ानों के निर्माण-कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ख) इन तीनों कारखानों पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा उनमें विदेशी मुद्रा कितनी व्यय होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय उर्वरक निगम ने हल्दिया सोडा ऐश संयंत्र के साथ एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। निगम हल्दिया उद्योग समूह में एक मैथेनोल संयंत्र के समाकलन पर भी विचार कर रहा है, लेकिन सरकार को इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उर्वरक और सोडा-ऐश संयंत्रों पर 22. 43 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 73.57 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान है।

टी० बी० अस्पताल, महरौली के कर्मचारियों की मांग तथा शिकायत

1853. **श्री देवेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० बी० अस्पताल, महरोली (दिल्ली) के लगभग 81 कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से अस्ताक्षरित 3 अगस्त, 1970 का पत्र 3, रेडक्रास रोड, नई दिल्ली पर स्थित टी०बी० ऐसोसिएशन आफ इण्डिया के महा सचिव को भेजा गया था जिसमें उक्त अस्पताल के कर्मचारियों की कुछ मांगें तथा शिकायतें थीं ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा गया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० वृ० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अस्पताल कर्मचारी पंचायत ने बताया कि कर्मचारियों में उनकी पदोन्नति तथा अन्य सेवा सुविधाओं को लेकर असन्तोष व्याप्त है। क्षयरोग अस्पताल, महरौली, भारतीय क्षय रोग संस्था द्वारा चलाया जाता है जो कि एक रजिस्टर्ड निकाय है तथा इस अस्पताल के कार्यों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है। तथापि ऐसा समझा जाता है कि अस्पताल कर्मचारी पंचायत के महामंत्री ने भारतीय क्षयरोग संस्था के महासचिव तथा इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया था। इस अस्पताल के कर्मचा-

रियों की शिकायतों को यथासंभव दूर करना भारतीय क्षयरोग संस्था का काम है। भारतीय टी० बी० एसोसियेशन ने कुछ शिकायतों को पहले ही दूर कर दिया है तथा अन्यों पर विचार किया जा रहा है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं देना

1854. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी, नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या निकटवर्ती क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का चलता-फिरता औषधालय बन्द करने तथा इन क्षेत्रों में और जनकपुरी में स्थायी औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो किस तिथि तक ;

(ग) क्या सरकार यहां के निवासियों को निकटवर्ती बस्तियों के औषधालयों की सेवाओं का उपयोग तब तक करने की अनुमति देगी जब तक कि जनकपुरी में कोई नया औषधालय नहीं खुल जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकारी कर्मचारी अपने द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय को वापिस लेने के अधिकारी होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक औषधालय खोलने के लिए सामान्य मानदण्ड 2,000 से 2,500 परिवार है। जनकपुरी में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से यहां इस मान दण्ड के अनुसार एक औषधालय खोलना न्यायसंगत नहीं है।

(ख) और (ग). 16 नवम्बर, 1970 को पंखा रोड क्षेत्र के 'डी' ब्लाक में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक नियमित औषधालय खोल दिया गया है जो 'डी' ब्लाक और जनकपुरी के सी-6-बी० कालोनी में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(घ) जो क्षेत्र केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते उनमें रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सेवाएं चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निरन्तर कराते रहेंगे।

जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना

1855. **श्री निहाल सिंह** :

श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा

और उसके द्वारा नीलाम किये गये प्लाटों पर गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा हजारों मकान बनाये गये हैं ;

(ख) क्या जनकपुरी के निवासियों के लिये सुविधाओं, तथा पानी, यातायात, बिजली सफाई, स्कूल, चिकित्सा, पुलिस और डाकघर की व्यवस्था सम्बन्धी जांच पड़ताल करने के लिये केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच कोई समन्वय है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि तथा कथित समन्वय निकाय अब तक किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है तथा वहां के निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है ; और

(घ) क्या सरकार जनकपुरी के निवासियों के लिए यथाशीघ्र उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु सम्बद्ध अधिकारियों से कहेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : बस्ती में विभिन्न सुख और सुविधाओं की व्यवस्था का समन्वय कार्य उस संगठन का है जो उसका विकास कर रहा है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जो जनकपुरी के विकास के लिये उत्तरदायी है, सड़कों, पानी, सीवर और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । प्राधिकरण ने स्कूलों, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि की व्यवस्था के प्रश्न पर संबंधित अधिकारियों से कार्यवाही आरम्भ कर दी है तथा मामले के विषय में उनसे अनुरोध किया जा रहा है, ताकि इन सुविधाओं की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित हो सके ।

गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की हड़ताल

1856. **श्री लखन लाल कपूर :**

श्री दिनकर देसाई :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 1970 को गुजरात के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 15,000 से भी अधिक कर्मचारियों ने 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 6,491 कर्मचारियों ने 24 अक्तूबर, 1970 को सांकेतिक हड़ताल की थी ।

(ख) सांकेतिक हड़ताल आयोग की वर्ष 1969-70 के लिये 8% अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की घोषणा और केन्द्रीय सरकार के हाल ही के उन आदेशों जो इसके अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं, कि रूप रेखा पर अंतरिम सहायता की अदायगी के घोषित किये जाने के जाने विरुद्ध थी

(ग) कर्मचारियों की यूनियनों/एसोशियेशनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी और परिणामस्वरूप, अनुग्रहपूर्वक अदायगी और अंतरिम सहायता से संबंधित झगड़े सौहार्दापूर्ण रूप में तय हो गये हैं।

हिन्द चीन में शांति के लिए अमरीका, रूस तथा वियतकांग के शांति प्रयास

1857. **श्री अबिचल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द-चीन में शांति स्थापना के उद्देश्य से निक्सन-योजना, पैरिस-वार्ता में की गई वियतकांगियों की मांगों तथा रूसी प्रस्तावों का पूर्णरूपेण से अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक काय मत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) हिन्द-चीन समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से तय करने के लिये राष्ट्रपति निक्सन और मैडम बिन्ह द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है। इस संबंध में सोवियत संघ का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 9 नवम्बर 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर में भारत सरकार की स्थिति पहले ही सदन के सामने रखी जा चुकी है

दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री

1858. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के आह्वान के अनुसरण में विश्व राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री रोक दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की बिक्री रोक दी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सुरक्षा परिषद् ने 7 अगस्त 1963 के प्रस्ताव संख्या 181 (1963) और 18 जून 1964 के प्रस्ताव संख्या 191 (1964) में सभी देशों से निष्ठापूर्वक यह आग्रह किया है कि वे दक्षिण अफ्रीका को हथियार, गोला बारूद और सैनिक गाड़ियां देना बंद कर दें। इन प्रस्ताबों के क्रियान्वयन की रिपोर्टों में अधिकांश सदस्य देशों ने इस अनुरोध को मानने का संकेत दिया। अक्तूबर 1970 में महासभा ने सुरक्षा परिषद द्वारा प्रवर्तित एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें हथियारों के प्रतिबंध को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए कहा था और महासचिव की रिपोर्ट दिसम्बर 1970 तक मांगी थी। इस रिपोर्ट में इस मसले पर सदस्य देशों की अद्यतन स्थिति का पता लगाने की आशा है।

Percentage of persons belonging to other castes included in Regiments

1859. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state the percentage of persons belonging to other castes included in the Regiments named after particular sect or caste ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The position as regards inclusion of persons belonging to other categories in regiments named after particular sect/caste is as follows :

Name of Regiment	Percentage (approximate)
Sikh Regiment	10%
Sikh Light Regiment	10%
Mahar Regiment	60%
Maratha Light Infantry	7%
Rajput Regiment	48%
Jat Regiment	7%
Dogra Regiment	10%
Gorkha Regiment	10%

Percentage of Jawans Recruited from States

1860. **Shri Ram Sevak Yadav :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the State-wise percentage of the Jawans and officers recruited in the army ;

(b) whether there is a great difference in the percentage of the persons being recruited in the Army among the States and communities ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A statement showing percentage of distribution of recruitment in the Army by States during 1969-70 is enclosed. It will not be in the public interest to disclose actual intake of recruits.

(b) and (c). The recruitment of officers is made by open competition. In the case of other ranks, a majority is recruited irrespective of caste or community. The actual number recruited depends mainly on the number of volunteers forthcoming from different regions and their suitability as adjudged at the time of selection

STATEMENT

Statement Showing Percentage of Distribution of recruitment in the Army by States During 1969-70.

STATES	OFFICERS	JAWANS
1	2	3
Andhra Pradesh	4.0	3.7
Assam	0.7	3.2
Bihar	2.7	5.1
Delhi	9.7	0.8
Gujarat	0.6	1.2
Himachal Pradesh	3.6	4.5
Haryana	9.2	8.8
Jammu & Kashmir	2.5	2.5
Kerala	7.3	5.8
Madhya Pradesh	3.8	2.5
Maharashtra	4.8	7.5
Manipur	0.1	0.8

1	2	3
Mysore	2.7	2.4
Orissa	1.2	1.4
Punjab	17.3	14.7
Kajasthan	3.1	6.9
Ta nil Nadu	2.4	5.8
Uttar Pradesh	17.7	15.3
West Bengal	4.2	3.6
Others @	2.4	3.5
To al :	100.00	100.0

@ Includes Goa, Laccadive Islands, Nagaland, NEFA, Nepal and Tripura.

टोरंटो ग्लोब एंड मेल के विशेष संवाददाता को बीजा न देना

1861. **श्री घी० ना० देव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोरंटो ग्लोब एण्ड मेल के विशेष संवाददाता ने भारत की यात्रा करने के लिये वीजा मांगा था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने वीजा देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) उनके प्रवेश के निषेध का एक आदेश जारी किया गया था।

नेपथा पर आधारित नए उर्वरक कारखानों की स्थापना

1862. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार नेपथा पर आधारित चार नये कारखानों की स्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आगामी कुछ वर्षों में नैपथा की विश्व भर में संभावित कमी को देखते हुए, जैसा कि पहले बताया गया था, इस निर्णय का क्या औचित्य है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) मंगलौर में एक नई उर्वरक परियोजना यदि अन्तिम रूप में अनुमोदित हो गई तो, संभरण सामग्री के रूप में शायद नैप्था पर आधारित की जायें। इसके अतिरिक्त, तूतीकोरिन में अन्य नई परियोजना के लिए संभरण सामग्री के बारे में अभी तक विचार हो रहा है। इस परियोजना के लिये कौनसी संभरण सामग्री की इजाज़त दी जाएगी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) आगामी नैप्था आधारित उर्वरक परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये नैप्था की देशीय संसाधनों के पर्याप्त होने की आशा नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यक होगा, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर नैप्था के आयात की इजाजत दी जाएगी। जहां तक ज्ञात है, अगले दो वर्षों में नैप्था की विश्व व्यापी कमी होने की आशा नहीं है।

इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को मिग विमानों की सप्लाई

1863. **श्री देविन्द्र सिह गार्चा :** **श्री सामिनाथन :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडोनेशिया सरकार से उसके द्वारा पाकिस्तान को की गई मिग विमानों की कथित सप्लाई से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान इसी विषय पर लोक सभा में 9 नवम्बर, 1970 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या-59 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

पश्चिम एशिया के लिये रूसी योजना

1864. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम एशिया के झगड़ों का राजनीतिक निबटारा करने के बारे में रूसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : पश्चिम एशियाई संघर्ष के राजनीतिक दल से संबंधित सोवियत योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) पश्चिम एशिया में न्यायोचित और स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता है । पश्चिम एशिया के सभी देशों को अपनी सुरक्षित और स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व का अधिकार है । इसराईल द्वारा अधिकृत अरब क्षेत्रों की मुक्ति के बिना, युद्ध स्थिति को समाप्त किए बिना, इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच शान्ति की स्थिति कायम किए बिना और फिलिस्तीन के अरब लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान किए बिना स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती ।

(ii) प्रस्ताव में निहित है कि जून 1967 में कब्जा किए गए क्षेत्रों से इसराईली सैनिकों की वापसी का प्रथम चरण समाप्त होते ही युद्ध स्थिति की विधितः समाप्ति और शांति कायम होने की स्थिति प्रारम्भ होती है ।

(iii) प्रस्तावों में संपुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत के जरिए, सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर 1967 के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के ठोस उपायों का पता लगाने की दिशा में दोनों पक्षों के बीच सम्पर्क और पारस्परिक अनिवार्य समझौते की व्यवस्था है ।

(iv) प्रस्तावों में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की सभी अन्तर संबद्ध बातों के व्यावहारिक कार्यान्वयन अर्थात 1967 में कब्जा किए गए सभी अरब क्षेत्रों से इसराईल की वापसी और साथ ही साथ पश्चिम एशिया में न्यायोचित और स्थायी शांति की स्थापना की मांग की गई है ।

(v) प्रस्तावों में बहुत से स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों की तैनाती के लिए सीमा के दोनों ओर सैनिक रहित क्षेत्र की स्थापना और चार बड़े देशों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, अथवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सीधी गारंटी की व्यवस्था है ।

संसद सदस्यों तथा मंत्रियों की ओर किराये, फर्नीचर, बिजली तथा पानी के बिलों की बकाया राशियां

1865. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों तथा मंत्रियों की ओर किराये आदि के रूप में कितनी राशि बकाया है ;

(ख) उन संसद सदस्यों और मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार को 31-10-1970 तक किराये, फर्नीचर, बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान नहीं किया था ;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक व्यक्ति की पृथक-पृथक बकाया राशि कितनी-कितनी है;

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) उपर्युक्त सदस्यों के वेतन में से यह राशि क्यों नहीं काटी गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) संसद सदस्यों और मंत्रियों, जिसमें भूतपूर्व मंत्री और भूतपूर्व संसद सदस्य शामिल हैं, पर किराया, आदि की बकाया निम्न प्रकार है :—

	रुपये
(1) मंत्री (जहां तक बिजली, पानी और फर्नीचर के किराये का सम्बन्ध है, यह राशि 31 मार्च, 1970 के अन्त तक की अवधि के लिये है। 1970-71 के वर्ष के लेखे को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता।)	10,645-76
(2) भूतपूर्व मंत्री	7,208-21
(3) संसद सदस्य (यह राशि 30 सितम्बर, 1970 के अन्त तक की अवधि की है जिसमें बिजली और पानी के प्रभार भी शामिल नहीं हैं जिन्हें सम्बन्धित स्थानीय निकाय, अधिकांश मामलों में सीधे ही वसूल करता है। कुछ मामलों में जहां आरम्भिक अदायगी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाकर बाद में सरकार से वसूल की जाती है, अब तक प्राप्त बिलों के अनुसार बिजली और पानी की राशि उपरोक्त बकाया राशि में सम्मिलित है।	29,787-02
(4) भूतपूर्व संसद सदस्य	2,09,601-19
जोड़ :	2,57,242-18

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण, अनुलग्नक 1 से 4 तक, सभा पटल पर रख दिया है, जिसमें संसद सदस्यों और मंत्रियों के नाम, जिन्होंने बकाया राशि अदा नहीं की थी, बताये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4351/70]

(घ) और (ङ). मंत्री और कुछ संसद सदस्य देय राशि या तो चैक से या नकद अदा करते हैं। अन्य संसद सदस्य के बारे में कर निर्धारित करके उनके वेतन बिलों से वसूली के लिये उनके लेखा अधिकारियों को भेजा जाता है। सम्बन्धित मन्त्रियों, संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों से बकाया राशि की अदायगी के लिये बल दिया जाता है। सम्बन्धित लेखा अधिकारियों को जिन्हें कर निर्धारित करके भेजा जाता है, से भी अनुरोध किया जाता है कि वसूली शीघ्र की जाए। भूतपूर्व संसद सदस्यों के उचित मामलों में पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन आफ अन-आथोराइज्ड आक्यूपेंट्स) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई थी।

विदेशों में नियुक्त भारतीय अधिकारियों के लिये राष्ट्रीय पोषाक

1866. **शंकरराव माने :**
श्री जी० बाई० कृष्णन :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्त बहुत से कनिष्ठ भारतीय अधिकारी हिप्पियों जैसी पोशाक धारण करते हैं और लम्बे-लम्बे बाल रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी दूतावासों से सम्बद्ध भारतीय अधिकारियों के लिये राष्ट्रीय पोशाक निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल० एम० एफ० डिग्री प्राप्त डाक्टरों को राजपत्रित अधिकारी माना जाना

1867. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० एम० एफ० डिग्री-धारी डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्रों में इस वर्ष तक सेवा करने के बाद राजपत्रित अधिकारी माना जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन डाक्टरों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन अवकाश दिया जाता है ;

(घ) क्या कुछ डाक्टरों को कई महीनों तक एक-दिन की भी छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी जाती है ; और

ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ड.). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Violation of Publicity Rules by Foreign Embassies

1868. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether various Embassies in India are regularly violating the code of conduct meant for the propaganda of their publicity material ;

(b) whether the investigations being made by the Ministry of Home Affairs and by his Ministry in this regard have since been completed ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) No, Sir. Whenever any minor or major infractions occur; we draw the attention of the missions concerned.

(b) & (c) No occasion for any specific investigation has arisen.

Permission refused to Indian Officials to see the former President of U. A. R.

1869. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Ambassador in Cairo, who was to deliver the letter from the Prime Minister of India to the late President Nasser during the month of July, 1970, was not permitted to meet him ;

(b) whether the Foreign Secretary also tried to meet him at the time of going to Lusaka in the month of September, 1970 but was not permitted to meet him : and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. The Indian Ambassador handed-over the message of the Prime Minister to late President Nasser on July, 23, 1970.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पश्चिम जर्मनी के एक जनरल द्वारा गोआ, दमन तथा दीव को पुर्तगाली क्षेत्र माना जाना

1870. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व शान्ति परिषद की अध्यक्षीय समिति के एक सदस्य, प्रो० अल्बर्ट नोर्डन, के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 5 अक्तूबर 1970 को पश्चिम जर्मनी की एक पत्रिका 'डेर स्पीगेल' ने समाचार दिया है कि पश्चिम जर्मनी की वायु सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल स्टेनहोफ ने पुर्तगाल में नियुक्त (नाटो सेनाओं के एक भाग के रूप में) जर्मन सेनाओं को निदेश दिये हैं कि गोआ दमन और दीव पुर्तगाली क्षेत्र में शामिल हैं जिन्हें भारत ने अस्थायी तौर पर अपने कब्जे में कर रखे हैं ।

(ख) क्या इस बारे में पश्चिम जर्मनी की सरकार से बातचीत की गई है ताकि उक्त गलत जानकारी की शुद्धि की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेंद्रपालसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 5 अक्तूबर 1970 के 'डेर स्पीगल' के लेख में, जो 'पुर्तगाल में केन्द्रीय जर्मन सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'इन्स्ट्रक्शनल लीफ्लेट फार विजोटर्स आफ फेडरल डिफेन्स' का उद्धरण है, कहा गया है कि पुर्तगाली संविधान के अनुसार, पुर्तगाल के निम्नलिखित अंग हैं : (क) अजोर्स और मेडीना सहित मूल देश ; (स) ससुद्र पार अफ्रीकी प्रान्त : केपद्वीप समूह, पुर्तगाली गिनी, साओ तोम और प्रिंसाइप द्वीप समूह, अंगोला, मोजाम्बिक; एशिया में मकाओ; दक्षिण समुद्र में; तिमोर : भारत में (भारत के कब्जे में) दमन, दीव, गोआ। जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने कहा है कि ले० जन० स्टीनहोफ ने समुद्र पार की भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों के बारे में, विशेष रूप से गोआ, दमन और दीव के संदर्भ में, कोई वक्तव्य नहीं दिया । इसके अलावा जर्मन संघीय गणराज्य के अधिकारियों ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि जर्मन संघीय गणराज्य गोआ, दमन और दीव को भारत का अंग मानती है ।

उत्तर प्रदेश में कोयले पर आधारित खाद कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव

1871. **श्रीमती सुचता कृपलानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कोयले पर आधारित खाद कारखाना स्थापित करने का है, और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : उत्तर प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक सन्यत्र की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत के मुस्लिम सम्प्रदाय पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव

1872. **श्री एन० शिवप्पा** : **क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन योजना का ग्रामीण मुस्लिम सम्प्रदाय पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) प्रत्येक सम्प्रदाय में प्रतिशतता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन की क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सम्प्रदायों पर जिनमें मुसलमान भी सम्मलित हैं सन्तोषजनक है । परिवार नियोजन

को अपनाने वाले ग्राम या नगर वासियों के सम्प्रदायवार आंकड़े अभी तक नहीं रखे गए हैं। फिर भी, कुछ चुनींदा विशेष अध्ययन किए गए हैं और उनसे पता चलता है कि सभी सम्प्रदाय लगभग अपनी संख्या के अनुपात में परिवार नियोजन को अपना ही रहे हैं।

बेरोजगार इंजीनियरों को कार्य

1873. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इंजीनियरों को अपने मंत्रालय में कार्य देने का आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार दिया गया और कब ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि इस मंत्रालय ने बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार दिलाने के लिये कुछ योजनाएं बनाई हैं।

कोयली तेल शोधक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम में बाधा

1874. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पेट्रोलिय तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयली तेल शोधक कारखाने की क्षमता को 35 लाख टन से बढ़ा कर 55 लाख टन करने के प्रस्ताव को त्याग दिये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). गुजरात तेल क्षेत्रों से आगामी वर्षों में कच्चे तेल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एक कार्यकारी दल गुजरात शोधनशाला के विस्तार के विषय पर इस समय जांच कर रहा है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अध्यक्ष का वक्तव्य

1875. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष ने 14वें वार्षिक सम्मेलन में अपने भाषण में यह कहा था कि कारखाने के मूल खाके और उसकी क्षमताये अपर्याप्त सिद्ध हुई है, जिसकी बजह से उनमें सुधार और आयातित मशीनों की आवश्यकता है।

(ख) अध्यक्ष ने कारखाने के खाके में जिन त्रुटियों का उल्लेख किया है, उनका ब्यौरा क्या है ? और

(ग) त्रुटिपुर्ण डिजाइन के लिये कौन जिम्मेदार था, निगम को कितनी हानि हुई तथा क्या सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और त्रुटियों को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) निगस के तत्कालीन अध्यक्ष ने, नेवेली लिग्नाइट निगम की 14वीं साधारण वार्षिक बैठक में दिए गए अपने अपने भाषण में, अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता पर जोर देते समय संयंत्र-अभिन्यास और संयत्र की क्षमताओ के मूल डिजाइन से उद्भूत वित्तिय अपर्याप्तताओं को निर्देशित किया था। यह साधारण भाषण है तथा किसी प्रकार की विनिर्दिष्ट कमी या डिजाइन-त्रुटि को निर्देशित नही करता है।

(ख) व (ग). उक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नही उठते हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा क्लोरमफैनिकाल के आयात के लिए क्रयादेश देने में विलम्ब

1876. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह:** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व सरकार ने 40 मीट्रिक टन क्लोरमफैनिकाल आयात करने का निश्चय किया था और यह कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंपा गया था ;

(ख) क्या अपेक्षित क्रयादेश देने में राज्य व्यापार निगम की ओर से विलम्ब किया गया और इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्लोरमफैनिकाल की कीमत 20 डालर प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 डालर प्रति किलोग्राम हो गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण थे; और

(घ) क्या उन्होंने, विशेष रूप से वर्ष के प्रारम्भ में औषधि की बिक्री से निगम द्वारा काफी लाभ कमाये जाने की दृष्टि में रखते हुए राज्य व्यापार निगम को इस आशय का आदेश दिया है कि आयातित औषधियों के अधिक मूल्य का भार आम जनता पर न डाला जाये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हाँ:

(ख) जी नहीं। विलम्ब पूछताछ करने, प्रतियोगी कोटेशने स्वीकार करने आयात लाइसेंसों की प्राप्ति आदि आवश्यक औपचारिकताओं के पालन करने के कारण हुआ था। एक संयंत्र में हुए भारी विस्फोट के कारण एहतियाती उपाय के तौर पर संयंत्रों के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्लोरमफैनिकाल की कीमत बढ़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कभी अचानक और अप्रत्याशित जिस के बारे में पहले पता चलना असंभव था।

(ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। क्लोरमफैनिकाल उस नियंत्रित ('पूलड') कीमत पर बेचा जाता है जो किसी अवधि के बीच के देशीय उत्पादन और आयातित स्टाकों की भारित औसत को लेकर तय की जाती है। राज्य व्यापार निगम क्लोरमफैनिकाल की बिक्री से कोई मुनाफा नहीं कमा रहा है लेकिन उतनी ही आढ़त ले रहा है जितनी कि व्यापार करने वाली किसी भी फर्म को सामान्य रूप से मिलती है।

हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को 20 गेज के इस्पात बैरलों की सप्लाई

1877. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 18 गेज की आयातित इस्पात चादरों के बदले में हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी दवारा भारतीय तेल निगम को 20 गेज के बैरलों की सप्लाई के बारे में 13 अप्रैल 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 972 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब भारतीय तेल निगम ने हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्र0) लि० को 20 गेज की इस्पात चादर की सप्लाई नही की तो फिर हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी ने भारतीय तेल निगम को 20 गेज की इस्पात चादरों से निर्मित बैरलों की सप्लाई किस प्रकार की ; और

(ख) अगर हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि0 ने अन्य स्रोतो से प्राप्त 20 गेज की इस्पात चादरों से भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई की तो क्या इसका अर्थ 18 गेज बैरलों के स्थान पर 20 गेज के बैरलों को सप्लाई करने के वचन का खण्डन नहीं होता ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अन्य स्रोतों से फर्म द्वारा प्राप्त इस्पात की चादरों में से ही सप्लाई की जा सकती थी ।

(ख) जी नहीं ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को और अधिक टैंक देना

1879. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 अक्तूबर, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि अभी हाल ही की अमरीकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अमरीकी राष्ट्रपति से भेंट की और उन से और अधिक टैंकों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका पाकिस्तान को और अधिक टैंक देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी सरकार द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वे पाकिस्तान को टैंकों की और सप्लाई नहीं कर रहे हैं।

(ग) सरकार अनुभव करती है कि पाकिस्तान, जो पहले से ही अत्यधिक शस्त्र-सज्जित है, उसकी सेना शक्ति में कोई भी वृद्धि भारत के लिये प्रत्यक्ष खतरा है।

शांति स्थापना के लिये भारत से और अधिक प्रयत्नशील होने का अनुरोध

1880. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अक्तूबर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के इस समाचार की ओर सरकार

का ध्यान दिलाया गया है कि भारत में इसराइल के वाणिज्य दूत ने कहा है कि इसराइल देश की यह इच्छा है कि भारत शांति स्थापना के लिये और प्रयत्न करे ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) एशिया तथा विश्व के अन्य दूसरे भागों में शांति स्थापना के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है अथवा/या करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार पश्चिम की घटनाओं पर निगाह रख रही है। हम न्यायोचित शान्ति के आदर्श पर कायम है और इस उद्देश्य से, हाल ही में दूसरे देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा था जिसे महासभा ने 4 नवम्बर 1970 को स्वीकार किया था और जिसमें पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की अवधि तीन महीने के लिये और बढ़ाने की सिफारिश की गई थी ताकि सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर 1967 के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूटान में तेल की खोज

1881. **श्री एस० एम० कृष्ण**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूटान में तेल की खोज करने का कार्य प्रारम्भ करने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कोई आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और किन शर्तों पर वहां कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा दक्षिण-पूर्वी भूटान में तेल-सर्वेक्षणों के कार्य को हाथ में लेने के सम्बंध में, भूटान की राज-सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त सरकार के परामर्श से, प्रार्थना पर उचित विचार किया जा रहा है।

नारायणा रिहायशी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का विक्रय-मूल्य

1882. **श्री वे० कु० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 6111 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित 26,000 रु० और 23,000 रु० के 'विक्रय मूल्य' के स्थान पर नारायण रिहायशी योजना के फ्लेटों के द्वितीय किस्त में 150 वर्ग गज और 125 वर्ग गज के फ्लैटों के आवंटियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वास्तव में क्रमशः 27,000 रु० और 23,500 रु० वसूल किये हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब भी अधिक मात्रा में वसूल की गई राशि (150 वर्ग गज के मामले में 1000 रु० और 125 वर्ग गज के फ्लैटों के लिये 500 रु०) आवंटियों को वापस देने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) नारायणा में बिक्री के लिये पेश किये गए दूसरी किस्त के 150 वर्ग गज और 125 वर्ग गज के प्लाटों के फ्लैटों के निपटान की कीमत क्रमश: 27,000 और 23,500 रुपये थी। जून 1 जुलाई, 1969 में बिक्री के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विवरणिका में इन रकमों का भी उल्लेख किया गया था। तथापि, अप्रेल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6111 के भाग (ख) के उत्तर में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 26,000 रुपये और 23,000 रुपये के आंकड़े आसावधानी से लिपिक की गलती से दिखाये गये थे।

(ख) जैसा कि भाग (क) के सामने स्पष्ट किया है, आवंटियों से कोई अधिक रकम नही ली गयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में तेल की खोज हेतु छिद्रण कार्य के लिये किये गए करार

1883. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में, विशेषकर पश्चिम एशिया के तेल उत्पादन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये छिद्रण कार्य करने हेतु करार करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिग—21 का परिशोधित रूप

1884. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह:** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में मिग— 23 माला का विकास किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत मिग—23 विमानों के निर्माण के बजाय मिग—21 विमानों के परिशोधित रूप का उत्पादन करने के लिए क्यों प्रयत्नशील है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० च० सेठी) : (क) यू० एस्० आर० में मिग 23 क्रम के विमानों के विकास के बारे में हमें कोई पक्की सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

अनुसूचित जातियों के लिए प्लाटों तथा बने हुए मकानों का आरक्षण

1885. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्लाटों और बने हुऐ मकानों के आवंटन के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां. तो कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों को कितने मकान और प्लाट दिये गये तथा अलाट किये गये, कुल मकानों का यह कितना प्रतिशत था;

(घ) क्या औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था है, यदि हां, तो कितने प्लाट आवंटित किए गए और उनका प्रतिशत क्या था; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) निम्न तथा मध्यम आय के वर्ग 15 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को आवंटन के लिए सुरक्षित हैं। जहाँ तक मकानों का सम्बन्ध है, निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए बनाये गए मकानों का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों / जनजातियों, रक्षा कर्मचारियों की बिधवाओं, राजनीतिक पीड़ितों और भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) ऐसा कोई सुरक्षण नहीं है।

(ड.) बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और भूमि के निपटान की योजना के अन्तर्गत, औद्योगिक प्लाटों को (बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के) या तो नीलाम द्वारा बेचे जाते हैं या नान-कनफार्मिंग एककों को आवंटित किए जाते हैं, ताकि वे उद्योगों को, बृहत् योजना के उपबन्धों के अनुसार, अपने वर्तमान स्थान से हटा सकें, या उन लोगों को दिये जाते हैं. जिनकी भूमि दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिये अर्जित की गई है।

राष्ट्रपति मलेरिया उन्मूलन कार्य क्रम के बारे में प्रतिवेदन

1886. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री रबि राय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम की समीक्षा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के जिह दल को आमंत्रित किया था, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें, और निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 विशेषज्ञों, संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के छः विशेषज्ञों तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, परिषद के एक भारतीय वैज्ञानिक (नेता) के एक अन्तर्राष्ट्रीय दल ने 10 नवम्बर, 1970 को अपनी रिपोर्ट दी।

(ख) दल के मुख्य निष्कर्ष तथा सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4352/70]

(ग) दल द्वारा दिए गए सुझावों पर अभी सरकार ने विचार करना है।

Aid to States for House Building for their Employees

1887. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Health and Family Planning** and Works, Housing and urban Development be pleased to state :

(a) whether the Central Government give aid to the State Governments for their gazetted as well as non-gazetted employees for the purpose of house building ;

(b) if so, the State-wise annual details during the last three years ;

(c) the annual details of the progress of work made by various States in this regard ;

(d) whether some of the States have not utilized the amount received for the said purpose and have refunded it to Central Government ; and

(e) if so, the names of such States and State-wise details of the refunded amount and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning & Works, Housing & Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Yes, Sir. A Scheme called the Rental Housing Scheme for State Government Employees, financed through L. I. C. loans, has been in operation in various States since February, 1959.

(b) and (c) A statement giving the financial and physical progress of the Scheme in various States during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 is attached.

(d) The L. I. C. funds are allocated to the States, annually, in bulk for utilisation towards the various approved social housing schemes (loan schemes) of this Department, including the Rental Housing Scheme for State Governme.t employees. The State Governments are free to utilise any amount out of the bulk allocation of L. I. C. funds, for the implementation of the Rental Housing Scheme according to their requirements and priorities. Any amounts out of the bulk allocation not utilized during a year are carried over by the State Governments to the next year. There is, therefore, no question of the State Governments refunding any amount to the Central Government.

e) Does not arise.

STATEMENT

Statement showing the utilisation of funds by the States under Rental Housing Scheme for State Government Employees during 1967-68, 1968-69 and 1969-70.

Sl. No.	Name of State	1967-68		1968-69		1969-70	
		Amount (Rs. in lakhs)	No. of houses completed.	Amount (Rs. in lakhs)	No. of houses completed.	Amount (Rs. in lakhs)	No. of houses completed.
1.	Andhra Pradesh	3.00	2	—	59	7.69	62
2.	Bihar	12.00	—	5.00	—	4.99	48
3.	Gujarat	—	10	—	25	—	—
4.	Kerala	—	31	2.00	32	10.00	329
5.	Madhya Pradesh	5.00	11	5.00	14	5.00	127
6.	Mysore	23.00	126	—	643	24.00	23
7.	Maharashtra	20.00	32	—	32	—	—
8.	Orissa	46.00	1060	29.00	28	(Data not yet received from State Govt.)	
9.	Rajasthan	6.00	165	4.50	14	10.00	—
10.	Tamil Nadu	37.50	642	35.00	812	85.00	280
11.	West Bengal	—	16	115.00	480	90.00	—
		152.50	2095	195.50	2139	236.68	869

* Excludes information regarding Orissa.

चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान के स्नातकोत्तर विषयों का स्तर ऊंचा करने के लिए वित्त की व्यवस्था

1888. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान के स्नातकोत्तर विषयों का स्तर ऊंचा करने पर आने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार वहन करती है ;

(ख) यदि हां तो वित्त की यह व्यवस्था किसकी सिफारिश पर की जाती है;

(ग) क्या आसाम सरकार ने डिब्रूगढ़ मेडिकल कालेज मे स्नातकोत्तर अध्ययन के विषयों का स्तर ऊंचा करने की सिफारिश की थी और उसके लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था भी कर दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इन बात का पता लगा कि स्तर बढ़ाने के निमित्त दिया गया धन ठीक प्रकार से उपयोग में लाया गया था या वह पूरी राशि निर्माण कार्य पर खर्च कर दी गई थी; और

(ङ) धन का अनुचित उपयोग किए जाने के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्र पुरोनिधानित एक योजना

के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार मेडिकल कालिजों के खास खास विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए जिनमें चिकित्सा और शल्यक्रिया विभाग भी सम्मिलित हैं, राज्य सरकारों को सहायता देती है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का विचार है किन्तु योजनावधि के पांच वर्षों में प्रति विभाग यह राशि अधिकतम 10.00 लाख रुपये होगी। दर्जा बढ़ाने के ये प्रस्ताव राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के पास आते हैं और तकनीकी अधिकारियों द्वारा विधिवत संवीक्षा करने के उपरान्त दर्जा बढ़ाने की संस्वीकृति के आदेश जारी कर दिए जाते है तथा अपेक्षित धन राशि दे दी जाती है।

(ग) कुछ दिन हुए असम सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान असम मेडिकल कालिज, डिब्रूगढ़ के तीन विभागों का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की है। इस समय उनके प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने 1969-70 में अर्थात चौथी योजना के पहले वर्ष में किसी, विभाग का दर्जा बढाने का सुझाव नहीं दिया था।

(घ) और (ङ). चूकि 1969-70 और 1970-71 के बीच असम के लिए कोई विभाग संस्वीकृत नहीं किया गया है और चौथी योजना में अभी तक धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अतः ये प्रश्न ही नहीं उठते।

टैंक वेधक प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण करने के लिये फ्रांस के 'सूड एवियेशन' के साथ करार

1889. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसैंस के अन्तर्गत टैंक-वेधक प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण करने के लिए फ्रांस के 'सूड एवियेशन' के साथ कमार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). यह सूचना देना लोकहित में नहीं है।

तारा सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन

1890. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 3 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारा सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि आवंटित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस समिति को कब तक और किस स्थान पर भूमि आवंटित की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) समिति को शीघ्र ही शाहदरा में भूमि की पेशकश किये जाने की आशा है।

योल छावनी बोर्ड की सीमा

1891.**श्री हेम राज :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योल छावनी बोर्ड ने अपनी सीमा को मौजा नरवाना के चार टीकों अर्थात् खालूई कस्बा, नरवाना खास, टीका जोलोह के मार्ध भाग, जो बालचर का एक छोटा मौजा है, तक बढ़ा दिया है तथा मौजा टंगरोटी के दो टीके अर्थात् खास टंगरोटी और माटर तथा खाद दरूद उन्हें योल छावनी से अलग करते हैं ;

(ख) क्या इन टीकों तथा उनकी आबादी को हिमाचल प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों के लाभों से वंचित कर दिया गया तथा साथ ही छावनी बोर्ड ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है और उन पर कर लगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको तथा उनकी खेतिहर आबादी को छावनी बोर्ड क्षेत्र से अलग करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । सीमाओं का कोई प्रसार नहीं हुआ । नरवाना खास, खलोई वर्ग, कस्बा, जलोह, तंगरोटी, भटेर और बलहेर गांवों के हिस्से शुरू से ही छावनी में शामिल हैं ।

(ख) जी नही । उपरोक्त छावनी क्षेत्रों को भी नागरिक सुविधाएं दे दी गई हैं ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) छावनी सीमाएं सैनिक शिविर से एक किलोमीटर से आगे नहीं जातीं । अन्य बातों सहित स्वास्थ्य सुरक्षा और अनुशासन के युक्तिसंगत मानक बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिये उपरोक्त क्षेत्रों को छावनी सीमाओं के अन्तर्गत रखना वांछनीय समझा गया है ।

चीन के एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध

1892. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या बैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन प्रमुख एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध जोड़ने की योजना में गम्भीरता से व्यस्त है ।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास से इस सम्बन्ध में बिस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). यह चीन सरकार से संबद्ध मामला है और इस विषय पर सरकार कोई टिप्पणी नहीं कर सकती । पीकिंग स्थित हमारा राजदूतावास सरकार को सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करता रहता है ।

नेत्र बैंकों को नेत्रदान

1893. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में उन रोगियों के लिये नेत्रदान करना अनिवार्य बनाने के लिये कार्यवाही करने का है, जिनकी मृत्यु अस्पतालों में हो; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वर्तमान में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

'मिग' विमानों का उत्पादन

1894. **श्री वे० कृ० दासचौधरी : श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के नासिक कारखाने में भारत में बने पुर्जों से बना पहला मिग विमान तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विमान में किस हद तक विदेशी पुर्जों का उपयोग किया गया ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत में संयोजित पहला मिग विमान 1966 में वितरित कर दिया गया था । नासिक में खाम द्रव्यों से निर्मित संघटकों सहित पहले मिग विमान अक्तूबर 1970 में वितरित किया गया था ।

(ख) नासिक में संघटकों के निर्माण के लिए आवश्यक खाम पदार्थ आयात किए गए हैं । इसमें लगाया गया इंजन आयात संघटकों से सयोजित किया गया है । अधिकतम इलैक्ट्रानिक साजसामान भारत में ही आयात खाम पदार्थों से निर्मित किया गया है । अन्य साज़सामान और सहायक जो प्राय: किसी वैमानिक फैक्ट्री में उत्पादित नहीं किए जाते, आयात किये गये हैं ।

खनिज विकास के लिए समिति का गठन

1895. **श्री डंडपाणि :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पेट्रोवियन तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खनिज विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) यह समिति सम्भवत: कब गठित की जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) खनिज विकास के विभिन्न पहलुओं को समन्वित करने के लिए समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) समिमि की सदस्यता को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) समिति के शीघ्र ही गठित किए जाने की सम्भावना है ।

राजधानी में "इन्फ्लुएंजा" से मौतें

1896. **श्री दंडपाणि** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन और निर्माण, आवास **तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1970 में राजधानी में इन्फ्लुएंजा तथा अन्य प्रकार के ज्वरों में 237 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस फ्लू के इलाज के लिए डाक्टरों के पास दवाइयां नहीं थीं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विलिंग्डन अस्पताल को छोड़ कर जहां फ्लू के कारण संदिग्धवृद्पेशीशोथ (मायोकार्डिटिस) से दो मौतें हुई बताई जाती हैं, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम । नई दिल्ली नगर पालिका के प्रशासन क्षेत्र में आने वाले किसी भी अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं से अक्तूबर 1970 मास में इन्फ्लुएंजा के कारण किसी के मरने की कोई सूचना नहीं मिली ।

जहां तक अन्य ज्वरों से मरने का प्रश्न है ज्वर अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें किसी वर्ग विशेष में सम्मिलित नहीं किया गया है । इनसे तथा अन्य ज्वरों से जो मौतें हुई उनकी संख्या का पता नहीं ।

(ख) बीमारी के लिये अपेक्षित सभी दवाइयां दिल्ली के सभी अस्पतालों एवं संस्थाओं में तुरन्त उपलब्ध रहती हैं । परन्तु फ्लू के उपचार की अलग से कोई दवाई नहीं है ।

मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई क्षमता में वृद्धि

1897. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के हाथ में मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है ;

(ख) यनि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मजगांव डाक में कुल कितने फ्रीगेट बनाये जायेंगे ;

(घ) इन फ्रिगेटों पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(ड.) इन फ्रिगेटों का भारत में निर्माण करने से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). क्षमता के अधिक प्रसार के लिए एक प्रस्ताव मजागां डाक लि० के प्रबंध के पास

इस समय आरंभिक प्रावस्था पर विचाराधीन हैं, और इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव अभी सरकार को पेश नही किए गए।

(ग) इस समय मजागा डाक के पास 6 फ्रिगेटों के निर्माण के लिये आर्डर हैं।

(घ) मजगां डाक लि० द्वारा निर्मित किए जाने वाले इन छैं फ्रिगेटों की अनुमानित लागत लगभग 130 करोड़ रुपये है।

(ङ) इन 6 फ्रिगेटों के भारत में निर्माण से लगभग 53 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा में बचत प्रत्याशित है

लंदन में चल रहे मुकदमें में धर्म तेजा का वक्तव्य

1898. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने धर्म तेजा द्वारा लंदन के न्यायालय में किये गये इस दावे पर ध्यान दिया है कि उसने चीनी भारत युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर भारत की ओर से राजनयिक मिशन का कार्य किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन वक्तव्यों में कहां तक सच्चाई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं, लेकिन इस मामले पर लंदन कोर्ट की कार्यवाही अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इन बयानों में कोई सत्यता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हेलीकोप्टर विमानों की मरम्मत और सफाई के लिये परियोजना की स्थापना

1900. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैलीकोप्टर विमानों की मरम्मत और सफाई को सुविधा प्रदान करने वाली परियोजना की स्थापना से संबंधित विचाराधीन प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). एम० आई-4 हेलीकाप्टरों की सर्विस/ओवरहाल के लिये सुविधायें देश में स्थापित की गई हैं और अतीटो हेलीकाप्टरों के लिये प्रगतिशीलता से स्थापित की जा रही हैं।

आयुध कारखानों में कार्य कर रहे चार्जमैनों का स्थायीकरण

1901. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **प्रति रक्षा मंत्री** आयुध कारखानों में काम कर रहे चार्जमैनों के स्थायीकरण के बारे में 6 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जानकारी कब तक प्राप्त किये जाने की सम्भावना है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न संख्या 8779 के उत्तर में आवश्यक सूचना सहित एक पूर्ति विवरण 20 नवम्बर 1970 को संसद्रीय कार्यों के मंत्री द्वारा सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

रोजगार क्षमता वाले सहायक उद्योगों को आरम्भ करने का प्रस्ताव

1902. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने, विशेषकर रोजगार क्षमता की दृष्टि से, सहायक उद्योगों का आरम्भ करने के प्रस्ताव तैयार करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों को सहायक उद्योगों के बारे में, जिन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा उनके उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिये बिकसित किया जा सकता है,इस वर्ष के अन्त तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है । प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

अस्थमा से पूर्णत: रोगमुक्त होने के लिये बूटी का उपचार

1903. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित पटेल मेडिकल सेन्टर ने अस्थमा से पूर्णत: रोगमुक्त होने के लिये किसी बूटी के उपचार का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो रोगियों पर उसका कोई प्रयोग किया गया है तथा उससे क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अस्थमा के उपचार के लिये बल्लभभाई पटेल वक्ष रोग संस्थान में एक जड़ी पर क्लिनिकी परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) रोगियों पर प्रयोग नहीं बल्कि अवलोकन किया जा रहा है तथा परिणामों का मूल्यांकन संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा बम्बई पर मारो तथा भाग जाओ जैसे आक्रमण करने की योजना

1904. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान बम्बई पर आक्रमण करके तुरन्त भाग जाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). ऐस सम्भावनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। अपनी रक्षा योजनाएं बनाते समय ऐसी आकस्मिकताओं का ध्यान रखा जाता है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के भारतीय अधिकारियों तथा उनके समकक्ष रूसी अधिकारियों में कथित मतभेद

1905. **श्री नन्द कुमार सोनानी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के एन्टीबायोटिक्स यूनिट के भारतीय अधिकारियों तथा उनके समकक्ष रूसी अधिकारियों के बीच संयंत्र की क्षमता सहित कई मामलों पर मतभेद है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उनका ध्यान 12 सितम्बर, 1970 के "हिन्दू" के मुख पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रति क्रिया है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा०) चव्हाण) : (क) और (ख). 12 सितम्बर, 1970 के 'हिन्दू' में छपे समाचार को सरकार ने देखा है। यह कोई असाधारण बात नहीं हैं क्योंकि सह्योगी पक्षों में मद भेद उत्पन्न हो जाता हैं विशेष रूप से उस परिमाण की परियोजनाओं में, जो इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मत भेद मुख्यत: विभिन्न उत्पादों के लिए प्राप्य क्षमताओं के संदर्भ में हैं। संयंत्रों के वास्तविक कार्यकरण के बाद यह बात पाई गई कि निर्धारित क्षमताएं तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कुछ तकनीकी समस्याएं और उपकरणों की खामियां दूर नहीं होतीं। रूसी अधिकारी अपना सहयोग देते रहें हैं और क्षमताओं को प्राप्त करने में इन खामियों को दूर करने के लिये अपेक्षित कुछ उपकरणों की निःशुल्क सप्लाई करने और दोषपूर्ण उपकरण ठीक करने के लिए भी वे सहमत हो गए है। इसके अलावा, ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में अप्रचलन एक साधारण बात है। दोनों इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और उनके रूसी समकक्ष इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं कि उन

उपकरणों को, जिन्हें क्लोरोटैट्रासाइकलिन जैसी कुछ वस्तुओं (जो अब अप्रचलित हो गई है) के निमार्ण के लिए स्थापित किया था, उनका अब किस अच्छे ढग से इस्तेमाल किया जाये ।

डेवोलम में नौसेना के एक विमान का सैनिक इंजिनियरिंग सेवा के कर्मचारियों के समूह पर चढ़ जाना

1906. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या प्रति** रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अक्तूबर, 1970 को डैबोलिम नौसैनिक हवाई पट्टी पर नौसेना का एक विमान सैनिक इन्जीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों के ऊपर चढ़ गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए; और

(घ) इसमें मारे गए या घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में क्या राशि दी गई ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक नोसैनिक विमान जिसने डवोलिम नोसैनिक हवाई पट्टी पर आपाती स्थिति के कारण उतरना पड़ा था रनवे पर भटक गया था और वह रनवे के एक ओर काम कर रहे एम ई एस के कुछ कर्मचारियों में घुमता चला गया था ।

(ख) विमान को मशीनी त्रुटि के कारण उतरना पड़ा था ।

(ग) तीन व्यक्ति मारे गये थे, और कोई घायल नहीं हुआ था ।

(घ) मृतकों के प्रत्येक कटुम्ब को करुणामूलक अन्तरिम राहत के तौर पर एक हजार रुपये दिये गये हैं । वर्कमैन कमपेनशेसन के अनुसार उन्हें मुआवजा दिया जायेगा ।

रूस में भारतीय पर्यटकों को तंग करना

1907. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या रूसी अधिकारी हाल ही में रूस में फैले हैजे के लिए भारतीय पर्यटकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ;

(ख) क्या कई संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है ; और

(ग) क्या सही अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों पर यात्रा कर रहे भारतीयों पर इस प्रकार के आरोप लगाना उन्हे तंग करना नहीं है, तथा इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Discrimination in issue of Medicine by New Delhi Municipal Committee

1909. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning** and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discrimination is observed in the purchase of medicines by New Delhi Municipal Committee ;

(b) whether it is also a fact that costly medicines are meant for Officers only and common men as well as other staff are only provided with cheap medicines ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

रूस द्वारा अपने मानचित्र में भारत की सीमा को गलत दिखाने के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

1910. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस द्वारा अपने मानचित्र में भारत की सीमा को गलत दिखाने का मामला संयुक्त रास्ट्र संघ के रजत जयंती अधिवेशन में उठाया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक काय मत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह). (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसे मामले को उठाने के लिये संयुक्त राष्ट्र उपयुक्त मंच नहीं है ।

काश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेन्ट क्वार्टरों के अलाटियों को मकान खाली करने के नोटिस

1911. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर व्यापार आयुक्त के कार्यालय द्वारा किराया लेने से इन्कार किये जाने से पूर्व काश्मीर हाउस, नई दिल्ली के विवादग्रस्त सर्वेंट क्वार्टरों में रहने वाले व्यक्तियों को ये क्वार्टर आवंटित किये गये थे और अब तक निरन्तर रूप से इन क्वार्टरों पर उनका अधिकृत कब्जा था और क्वार्टर अलाट करने के बाद उनके अधिकृत निवासी थे

(ख) क्या वे मनीआर्डर द्वारा नियमित रूप से किराया भेजते रहे हैं, जिसे व्यापार आयोग ने स्वीकार करने से भी इन्कार कर दिया है ;

(ग) उनको ये क्वार्टर आरम्भ में किन परिस्थितियों में अलाट किये गये थे ;

(घ) क्या कुछ क्वार्टरों को, जिन्हे हाल ही में खाली करवाया गया था, इस बीच व्यापार आयोग जम्मू और काश्मीर दिल्ली बिल नम्बर 51 के० टी० सी० 166 तारीख 20

फरवरी, 1970 के अनुसार 30 रुपये अधिक किराये पर, फिर से अलाट कर दिया गया है; और यदि हां, तो पुनः आवंटन करने के क्या कारण हैं ; और

(ड) क्या विवादग्रस्त क्वार्टरों के अधिकृत निवासियों को कोई वैकल्पिक स्थान अलाट किये गये हैं ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी नहीं, सिवाये निम्नलिखित सीमा तक :

(i) सर्वेन्ट क्वार्टर संख्या 44, एक व्यक्ति को जबकि वह जम्मू और काश्मीर सरकार की सेवा में था, आवंटित किया गया था। बाद में वह सेवा छोड़ने से वास को रखने के लिये अपात्र हो गया, जिसके फलस्वरूप वह एक अनधिकृत दखलकार हो गया ;

(ii) सर्वेंट क्वार्टर संख्या 48 एक नाई को 21-9-1966 को 30 रुपये प्रति मास के किराये पर केवल अस्थाई रूप से आवंटित किया गया था, जो इस शर्त पर था कि आवंटन जम्मू और कश्मीर के ट्रेड कमिश्नर की इच्छा पर बिना नोटिस दिये रद्द किया जा सकता है। उससे क्वार्टर के किराये के रूप में 40-00 रुपये प्राप्त हुए (21-9-66 से 30-9-66 तक के लिये 10 रुपये और अक्तूबर, 1966 के माह के लिये 30 रुपये)। इसके बाद कई स्मरण पत्रों के बावजूद भी उससे कोई किराया वसूल नहीं हुआ अतः समझौते के अनुच्छेद 7 (जो नीचे उद्धृत है) के अन्तर्गत किरायेदारी समाप्त कर दी गई और उस पर 100-00 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया :

'महीने के बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर किराया न अदा करने के परिणामस्वरूप किरायेदार को बेदखली के साथ 100-00 रुपये प्रतिमास जुर्माना किया जायेगा।'

(iii) सर्वेंट क्वार्टर संख्या 10 एक माली के दखल में 1947 के पूर्व से था। उसकी मृत्यु हो जाने पर क्वार्टर अब उसके परिवार के अनधिकृत दखल में है।

(क) अदालत में उनके विरुद्ध मुकदमें दायर करने के पश्चात् जम्मू और कश्मीर सरकार के ट्रेड कमिश्नर के कार्यालय में कुछ अनधिकृत दखलकारों द्वारा 15 रुपये या 20 रुपये के मनीआर्डर भेजे गये थे। इन मनीआर्डरों को इस कारण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मामले न्यायाधीन थे।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, सिवाये 3 सर्वेंट क्वार्टरों के 14 में से शेष सभी 11 क्वार्टर 1948-49 में दखलकारों द्वारा जबरदस्ती कब्जे में लिए गए थे।

(घ) अनधिकृत दखलकारों ने किसी क्वार्टर को खाली नहीं किया है। इस प्रकार उनके किराये की ऊँची तथा पुनः आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिल क्वार्टर संख्या 48 के बारे में है जो कि एक नाई के अनधिकृत दखल में है। यह

बिल 30-00 रुपये का नहीं है, बल्कि 120-00 रुपये का है, जो 1-10-1966 से 31-1-1967 तक के चार महीनों के बकाया किराये के सम्बन्ध में है। क्वार्टर का पुनः आवंटन नहीं किया गया था।

(ङ) राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के अलावा, किसी और को वैकल्पिक वास की व्यवस्था का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती।

कुट्टानद (केरल) में पानी सप्लाई योजना

1912. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टानद में पानी सप्लाई योजना आरम्भ करने के बारे में सरकार को केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कुट्टानद क्षेत्र में जल के गंभीर रूप से दूषित न होने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पानी सप्लाई योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह कुट्टानद की जल पूर्ति योजना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता देने के लिये कहें। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भी वित्तीय सहायता के लिये भी अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके अन्तर्गत इस योजना के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके। जहां तक केन्दीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलने का प्रश्न है राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह इस योजना को राज्य के चौथे आयोजन में सम्मिलित करदें क्यों कि आयोजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता किसी योजना विशेष का उल्लेख किये बिना समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(ग) और (घ). इस योजना को राज्य के चौथे आयोजन में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उसमें इसके लिए 50 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए अशोधित तेल का आयात करने हेतु एक मात्र केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना

1913. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के मूल्यों सम्बन्धी समिति ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये अशोधित तेल का आयात करने हेतु एकमात्र केन्द्रीय एजेन्सी की स्थापना करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तेल मूल्य समिति द्वारा की गई सिफारिश को भविष्य में परिस्थितियों के अनुकूल उचित कार्यवाही के लिए ध्यान में रख लिया गया है ।

नेशनल इरैनीयन आयल कम्पनी के साथ डैरियस अशोधित तेल के करार का संशोधन

1914. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इरैनियन आयल कम्पनी के साथ किये गये करार के अन्तर्गत उस कम्पनी द्वारा मद्रास तेल शोधक कारखाने को सप्लाई किये जाने वाले डेरियस अशोधित तेल का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या इस अशोधित तेल का मूल्य अब घट गया है, और यदि हां, तो इसका वर्तमान मूल्य क्या है ;

(ग) क्या नेशनल इरैनियन आयल कम्पनी मद्रास तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल वर्तमान मूल्यों पर दे रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने, उस करार के इस विशिष्ट खण्ड के अन्तर्गत कि डेरियस अशोधित तेल के मूल्य का समय-समय पर इस प्रकार आयोजित किया जायेगा जिससे कि मूल्य क्रेता के पक्ष में हो जाए, क्या कार्ययवाही की है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नवम्बर, 1965 में भारत सरकार और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी तथा पैनिनटौल के बीच हुए अशोधित तेल विक्रय करार के अनुसार, इरानियन आयल कम्पनी तथा पैनिनटौल द्वारा मद्रास तेल शोधनाशाला को डैरियस अशोधित तेल 1.35 डालर प्रति बैरल की दर से सप्लाई किया जाता है ।

(ख) विश्व बाजार में डैरियस कच्चे तेल के मूल्य की नियमित कोटेशन्स नहीं हैं । परन्तु गत कुछ वर्षों में सामान्यता : कच्चे तेल के मूल्यों में कमी हुई है ।

(ग) नैशनल इरानियन आयल कम्पनी मद्रास शोधनशाला लि० को डैरियस कच्चा तेल 1.35 डालर प्रतिबैरल के मूल्य पर सप्लाई कर रही है ।

(घ) प्रश्न में उल्लिखत किस्म का कोई विशेष खण्ड नहीं है । परन्तु सरकार इस विषय के सारे पहुलुओं पर विचार कर रही है और सम्भाव्य कदमों के स्वरूप को इस समय बताना जन-हित में नहीं है ।

सरकारी विभागों को स्टील फर्नीचर की सप्लाई

1915. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों को लोहे और इस्पात के फर्नीचर सप्लाई करने के बारे में वर्तमान ठेका-दर प्रणाली क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान प्रणाली के बारे में कुछ विभागों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति मंत्री (श्री र० के खाडिकर) : (क) इस्पात और लोहे के फर्नीचर के लिए दर ठेकों के लिए खुले टेंडर मांगे जाते हैं। प्राप्त टेंडरों के आधार पर उन फर्मों को दर-ठेके दिए जाते हैं, जिनके मूल्यों को उचित समझा जाता है। उसके बाद सीधे-मांग अधिकारियों को यह छूट होती है कि वे, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के हस्तक्षेप के बिना ही सम्बद्ध फार्मों को सीधे ही पूर्ति आदेश देदें। इस प्रणाली से सीधे - मांग अधिकारियों को यह सुविधा होती है कि जब भी जरूरत हो वे फर्मों से सीधे ही फर्नीचर की खरीद कर सकते हैं। इस्पात और लोहे के फर्नीचर की कई मदों, जैसे कि इस्पाती मेजें, कुर्सियां, मानचित्र- पेटियां, एकतरफी रैकें किताबों की शेल्फें, किट-सन्दूकें, इस्पात की बेचें, इस्पात की पत्र रैकें, अस्पताल के फर्नीचर इत्यादि के लिए दर ठेके किए गए हैं।

(ख) दर ठेका प्रणाली के सम्बन्ध में तो कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु फर्नीचर की सप्लाई में बिलम्ब होने के बारे में शिकायत आई हैं।

(ग) इस्पात-फर्नीचर की सप्लाई में विलम्ब होने का मुख्य कारण यह है कि इस्पाती शीटों की अत्यधिक कमी है, और यह कठिनाई तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस्पाती शीटों की सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। तथापि इस पर निगरानी रखी जा रही है। सरकारी विभागों को भी यह सलाह दी गई है कि वे पूर्णतया इस्पात के फर्नीचर पर निर्भर न रहें और जहां भी सम्भव हो, लकड़ी के फर्नीचर आदि की खरीद के द्वारा इसका वैकल्पिक प्रबन्ध करें।

मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋणों का दिया जाना

1916. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आय की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री, (श्री परिमल घोष) : **(क) और (ख)**. जी, हां। मध्यम-आय वर्ग आवास

योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिए पात्रता की उपरी आय-सीमा 15,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।

नई कचारोड और चुरा चन्दपुर तिपाईमुख रोड का सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण

1917. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन द्वारा नई कचार रोड और चुरा चन्द्रपुर तिपाईमुख रोड के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) नई कचार रीड को कब चालू किया जायगा और क्या उसे जनता के उपयोग के लिए खोला जायेगा ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) नई कचार सड़क और चूरा चन्दपुर-तिपाईमुख सड़क पर 30-9-1970 तक हुए निर्माण कार्य की प्रगति इस प्रकार है:—

(।) **नई कचार रोड**

विरचना का वीस फुट की चौड़ाई तक चौड़ा करना	93·80	प्रतिशत
सोलिंग	31·75	,,
मेटलिंग	33·76	,,
कोलतार बिछाना	24.33	,,

इसके अतिरिक्त पांच पुलें, पुलियों और अन्य कई रक्षात्मिक कार्य भी सम्पूर्ण किये गये हैं।

(।।) **चूरा चांदपुर-तिपाईमुख सड़क**

नया निर्माण (वोस फुट की चौड़ाई)	0·67	प्रतिशत

(ख) सड़क के सम्पूर्ण हिस्से जनता के प्रयोग के लिए खुले मौसम में 3 टन यातायात के लिए पहले से खोल दिये गये हैं। खुले मौसम का एक सीधा मार्ग मई 1971 तक स्थापित किया जाना शक्य है।

मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के छंटनी किए गये कार्य प्रभारी कर्मचारियों को रोजगार देना

1918. **श्री एम० मेघ चन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में मनीपुर की सरकार ने मनीपुर लोक निर्माण विभाग के छंटनी किये गये कार्य प्रभारी कर्मचारियों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है, तथा अब तक मनीपुर लोक निर्माण विभाग ने कितने कर्मचारियों को पुनः रोजगार दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में

राज्य मंत्री(श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख) . जब कभी रिक्तियां होंगी, छंटनी किये गये कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का लगाए जाने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, मणिपुर द्वारा दो कर्मचारियों को पहले ही पुनः नियुक्त कर दिया है। छंटनी किये गये कर्मचारियों की सूचियां सीमान्त सड़क संगठन तथा लोकटक परियोजना को उन संगठनों में उन्हें लगाने के लिये भेज दी गई हैं ।

पिछले नगर पालिका बोर्ड द्वारा प्लाटों का वितरण

1919. **श्री एम० मेघ चन्द्र** : क्या **स्वास्थ् तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले नगर पालिका बोर्ड ने रूप महल के पश्चिम में और संविधान सभा के अहाते के दक्षिण पश्चिम में स्थित तालाब के क्षेत्र में दुकानों के प्लाट वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां तो उक्त दुकानों के प्लाटों का वितरण किस आधार पर किया गया और भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या नगरपालिका बोर्ड ने उक्त भूमि का वितरण अपना त्यागपत्र देने से कुछ समय पूर्व किया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्लाटों का वितरण करने के लिए नगर पालिका की बैठक किस तारीख को हुई थी और बोर्ड की उक्त बैठक में किस सदस्यों ने प्लाटों का वितरित किया जाना स्वीकार किया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ

(ख) ये प्लाट उनको दिये गये जिनके पास प्लाट नहीं थे । उन व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण (परिशिष्ट-I) में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4353/70]

(ग) जी नहीं ।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (परिशिष्ट - II) में दी गई है ।[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 4353/70]

उपयोग में मिलाये जाने वाले हवाई अड्डों का विघटन

1920. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोहरेवाई और पलेल स्थित अप्रयुक्त दो हवाई अड्डों के विघटन के मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी सूचना मनीपुर सरकार को देदी है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कोयरंग और पलेल के व्यक्त हवाई अड्डों को रक्षा उद्देश्यों के लिये रखने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीदे गये सामान का मूल्य

1921. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार जांच आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये सरकार इस प्रकार से खरीदारी करे कि उससे छोटी फर्मों को लाभ हो; और

(ख) एकाधिकारी जांच आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के बाद इण्डिया टोबैको लिमिटेड तथा अन्य सिगरेट निर्माताओं से सीधे अथवा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय के माध्यम से कितने-कितने मूल्य की खरीदारी की गई ?

पूर्ति मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) सरकार ने 5 सितम्बर, 1966 को, एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के विषय में एक प्रस्ताव जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि औद्योगिक क्षेत्र में लघु-उद्योग यूनिटों की वृद्धि के लिये सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देना भारत सरकार की नीति है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय 166 वस्तुओं की खरीद केवल लघु क्षेत्र के यूनिटों से ही करता है। समय-समय पर विचार करने के बाद केवल इन्हीं यूनिटों से खरीदने के लिये और कुछ वस्तुएं भी सूची में शामिल कर दी जाती हैं। जिन वस्तुओं के लिये क्रय-प्रस्ताव लघु तथा बड़े दोनों यूनिटों से प्राप्त होते हैं, उनके विषय में लघु उद्योग यूनिट पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की ओर से अलग अलग टेंडरों के मामलों में 15 प्रतिशत तक का मूल्य अधिमान पाने के पात्र हैं। पंजीकरण, जमानती जमा-राशि में छूट, नमूनों के परीक्षण आदि दूसरे अनेक तरीकों से भी लघु उद्योग यूनिटों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। वस्तुतः नीति के एक आयोजित कार्य के रूप में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय क्रय-प्रक्रिया का नवीनीकरण किया गया है, ताकि देश में लघु-उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1967-68 में और उसके बाद तम्बाकू और सिगरेट की कोई खरीद नहीं की गई है।

नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में "बरात घरों" की बढ़ती हुई मांग

1922. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों के निवासियों में "बरात घरों" के लिए बढ़ती हुई मांग की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि निवासियों को पुनः पुनः आश्वासन देने के बाद भी इन बस्तियों के समाज सदनों को बरात प्रबन्ध हेतु उपयोग करने के लिये नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार बरात-घरों की व्यवस्था करेगी, अथवा उस उद्देश्य के लिये प्राथमिक योजना के रूप में सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, सेवा नगर के समाज सदनों का उपयोग करने देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परमिल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) विवाह के उद्देश्यों के लिये समाज सदनों के प्रयोग की अनुमति इस कारण नहीं है कि छतवाले सीमित स्थान सामान्य आवश्यक कल्याण-कार्यक्रमों के लिये मुश्किल से प्रर्याप्त हैं। तथापि, वे क्वार्टर जो आवंटन की प्रक्रिया में है, विवाह के उद्देश्यों के लिये उन सरकारी कर्मचारियों को, जो सामान्य पूलवास के दखल में हैं, अथवा, उन्हें जो उनके साथ वास में रह रहे हैं, सामान्यतः किराये की अदायगी पर उस अवधि के लिये दिये जाते हैं, जो एक सप्ताह से अधिक न हो।

(ग) फ़िलहाल सरकारी कालोनियों में बरात घरों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। समाज सदनों को पूर्व कथित कारण से इस उद्देश्य के लिये उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय ब्लाक का निर्माण

1923. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजनी नगर, नई दिल्ली में "जैड" ब्लाक और आर्य समाज मन्दिर के बीच छोड़ी गई जगहमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय ब्लाक का निर्माण करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वाई—342—348 में स्थित औषधालय को प्राप्त सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त हैं और इससे बड़ी असुविधा होती है; और

(ग) क्या दीवार लगाकर इस जगह को औषधालय के लिये सुरक्षित रखने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिससे कि कोई इस पर कब्जा न कर सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) सरोजनी नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय के लिए "वाई" ब्लाक (न कि जेड ब्लाक) के अन्त और आर्य समाज मन्दिर के बीच का स्थान उद्दिष्ट है। दिल्ली नगर निगम से नक्शे की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। विस्तृत प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

(ख) सरकारी क्वार्टर न० बाई 342-348 में फ़िलहाल केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा औषधालय सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। औषधालय की वर्तमान सुविधाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(ग) इस स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तथापि चाहर दीवारी बनवाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

नेता जी नगर, नई दिल्ली के 'सी०', 'डी०' और एफ० ब्लाकों के निवासियों की शिकायतें

1924. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेता जी नगर के 'सी' 'डी' और 'एफ' ब्लाक के निवासियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि इन निवासियों के क्वार्टरों के दरवाजों खिड़कियों, रोशनदानों और बरामदों में वर्षा से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रसोईघर में रोशनदान की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण होने के कारण इन लोगों को धूयें की समस्या का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इन लोगों की असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) निवासियों की कुल संख्या मालूम नहीं है । तथापि इन ब्लाकों में 1480 क्वार्टर हैं जो निम्नलिखित हैं :—

	टाइप—1	टाइप 11	कुल
सी ब्लाक	432	40	472
डी ब्लाक	488	128	616
एफ ब्लाक	—	816	816
	920	984	1904

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस उद्देश्य के लिये निधियों की उपलब्धता के अनुसार क्वार्टरों के दखलकारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये समय समय पर परिवर्तन । परिवर्द्धन करने के लिये कदम उठाये जाते हैं ।

नई दिल्ली के नेताजी नगर में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति का लगाया जाना

1925. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेताजी नगर, नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति के लगाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ग) प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह मामला स्वतन्त्रता सेनानियों की प्रतिमाओं, को दिल्ली में उचित स्थानों पर लगाने की सिफ़ारिश करने के लिये गठित की गई प्रतिमा समिति के विचाराधीन है ।

श्रीलंका के एक नेता द्वारा भारत के विरुद्ध विस्तार वाद का आरोप

1926. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ब्रेसीलोन पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट के नेता ने एक वक्तव्य में भारत पर विस्तारवाद और धमकी देने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रति क्रिया है ; और

(ग) उक्त गलत फहमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित वक्तव्य की रिपोर्ट देखी हैं ।

(ख) और (ग). सरकार ऐसा नहीं अनुभव करती है कि किसी एक व्याक्त क विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करे क्योंकि वह यह समझती है कि सही स्थिति श्री लंका में सर्वविदित है ।

खेतड़ी ताँबा परियोजना में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी

1927. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) कितने मामलों में खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कीं अवधि 22 दिसम्बर, 1969 के बाद समाप्त हो गयी थी ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालयों को वापिस भेज दिया गया है ; और

(ग) शेष प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की सेवाये उनके मूल विभागो को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) खेतडी ताम्र प्रायोजना में प्रतिनियुक्ति पर बीस व्यक्तियों की अवधि का 22 दिसम्बर, 1969 के पश्चात् अवसान हो गया है ।

(ख) प्रतिनियुक्ति पर तीन व्यक्तियों को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है ।

(ग) अवशेष 17 प्रतिनियुक्तों की सेवाएं निम्नलिखित कारणों से उनके मूल विभागों के सुपुर्द नहीं दी गई हैं :

1. एक प्रतिनियुक्त को स्थाई रूप से कम्पनी की सेवा में आमेलित कर लिया गया है ।

2. 12 व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 31 दिसम्बर, 1970 तक विस्तारित कर दिया गया था । उनकी विस्तारित अवधि के अवसान पर उनको उनके मूल काडरों पर प्रतिवर्तित कर दिये जाने की सम्भावना है ।

3. प्रतिनियुक्ति पर ऐसे दो व्यक्ति, जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि का हाल ही में अवसान हुआ है, उनके मूल विभागों को प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिये विस्तार करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

4. कम्पनी की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित करने के लिये अवशेष दो प्रतिनियुक्तों के मामले विचाराधीन हैं ।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति की नेपाल-यात्रा

1928. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षेत्र से नेपाल-पाकिस्तान व्यापार के लिये कथित अनुमति न दिये जाने के कारण पाकिस्तान के राष्ट्रपति की सितम्बर, 1970 में नेपाल-यात्रा के समय भारत की बहुत आलोचना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

प्रधान मंत्री का राष्ट्र संघ महासभा में भाषण

1929. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अभी हाल ही के अपने भाषण में चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत विरुद्ध आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने अपने उक्त भाषण में वियतनाम में अमरीकी आक्रमण का उल्लेख किया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). महासभा के स्मारक अधिवेशन में ऐसे मामलों को उठाना अनुपयुक्त था ।

(ग) उन्होंने यह सुझाव दिया कि अगर सभी विदेशी सेनाओं को पूर्ण रूप से हटा लिया जाए, और इसकी शुरुआत अमरीकी सेना हटाने से हो तो इससे अर्थपूर्ण बातचीत हो सकेगी ।

चण्डीगढ़ के पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च के स्थानिक सर्जनों और हाउस सर्जनों के वेतनमानों में पुनरीक्षण करने की मांग

1930. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईन्स एण्ड रिसर्च के स्थानिक सर्जनों और हाउस सर्जनों को केवल 370 रुपये प्रति मास मिल रहे हैं जबकि वे पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट अस्पताल में चिकित्सा सेवा सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने वेतनमानों में वृद्धि करने की मांग की है और इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) उनकी मांगों के बारे में यदि कोई उत्तर दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आवसिक तथा हाउस सर्जन 370 रुपये प्रतिमास नहीं बल्कि 300 रुपये प्रतिमास ले रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संस्थान की वित्त समिति ने संस्थान के हाउस अफसरों तथा अधि-स्नातकों की वृत्तिका 300 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 330 रुपये करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को शासी निकाय तथा संस्थान निकाय ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

चण्डीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करना

1931. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र में 1967—68 से 1970—71 (अक्तूबर, 1970) तक के वर्षों में परिवार नियोजन लक्ष्यों के प्राप्त करने में हुई प्रगति का एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4354/70)**

(ख) चण्डीगढ़ के नगर और ग्राम क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। रेडियो, समाचार-पत्र फिल्मों आदि जैसे प्रचलित प्रचार साधनों के अतिरिक्त प्रदर्शन-प्रचार के सभी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। प्रधान स्थलों पर

स्थानीय भाषाओं में होर्डिन्ग और भीत्ति-चित्र लगाये गये हैं । संघ शासित क्षेत्र में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये रिक्शा प्लेटों/धातु प्लेटों/ प्रदर्शन बोर्डों जैसे अन्य प्रदर्शन साधनों को भी पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

Allocations of Funds for Development of Allopathic and Ayurvedic Systems of Medicines

1932. **Shri Om Prakash Tyagi ;** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount allocated by the Central Government during Fourth Five Year Plan period for each type of work concerning the development of allopathic and ayurvedic system of medicines ;

(b) the amount allocated for research works concerning allopathic and ayurvedic system of medicine ; and

(c) the expenditure being incurred at present on research works regarding ayurvedic and allopathic systems of medicines separately ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The programme-wise distribution of the Fourth Plan out-lay for development of Allopathic and Ayurvedic Systems of Medicine is as follows :-

	PROGRAMME	OUTLAY (Rs. in Crores)
1.	Control of Communicable Diseases.	Rs. 127.01
2.	Education, Training and Research.	Rs. 98.22
3.	Hospitals and Dispensaries.	Rs. 89.29
4.	Primary Health Centres.	Rs. 76.49
5.	Indigenous Systems of Medicine including Homoeopathy.	Rs. 15.82

(b) A provision of Rs. 1100.00 lakhs and Rs. 359.00 lakhs (Provisional) has been made for allopathic and ayurvedic research respectively.

(c) The budget estimates for 1970-71 for the Indian Council of Medical Research and the Central Council for Research in Indian Medicine including Homoeopathy are Rs. 175.00 lakhs and Rs. 60.00 lakhs respectively.

Moolchand Kharaiti Lal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi

1933. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to the Unstarted Question No. 2137 on the 10th August, 1970 regarding Moolchand Kharati Lal Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi and state :

(a) whether the information asked in Part (c) of the above question has since been collected by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is contained in the attached statement. **[Placed in Liberary See. No. L. T. 4355/70]**

(c) Does not arise.

हिन्द महासागर के तल से निक्षेपों का विदोहन

1935. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **पेट्रोलियन तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या आधुनिक खान विज्ञान की सहायता से हिन्द महासागर के तल से निक्षेपों के विदोहन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) और (ख). 1965 में स्थापित, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समुद्रीय भूविज्ञान एकक, भारतीय महासागर में प्रतितट क्षेत्रों में समन्वेषण कार्य कर रहा है। अब तक किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप, लक्कादीव द्विपों में दो समुद्रतालों में 160 लाख मैट्रिक टन उच्च श्रेणी चूर्णमय बालू को साबित किया जा चुका है । प्रतितट-क्षेत्रों में सर्वेक्षण संपूरित होने के उपरान्त ही, समुद्र-सतह में खनिज निक्षेपों के समुपयोजन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

नई दिल्ली में बच्चों के लिये नैदानिक केन्द्रों की स्थापना

1936. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षयरोग की टिकटों की बिक्री से प्राप्त धन से नई दिल्ली में बच्चों के लिये नैदानिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना कहाँ की जायेगी और इस कार्य पर कितना खर्च होगा; और

(ग) उक्त केन्द्र के क्या मुख्य कार्य होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली टी० बी० एसोसियेशन, दिल्ली में टी० बी०सील विक्री अभियान से एकत्र धन में से बच्चों के छाती के रोगों के लिये एक नैदानिक तथा उपचार केन्द्र चलाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) इस केन्द्र का प्रस्ताविक स्थान लोदी रोड, नई दिल्ली के संस्था-क्षेत्र में होगा। अभी तक अनुमानित खर्च का हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(ग) प्रस्तावित केन्द्र का कार्य बच्चों के छाती के रोगों का निदान तथा उपचार होगा ।

ब्रिटेन में भारतीय भिक्षुणियां

1937. **श्री मणि भाई जे० पटेल**: क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के उच्च कैथोलिक नेता ने कहा है कि, भिक्षुणियां विशेषत: केरल की, वहाँ पर प्रसन्न हैं ;

(ख) क्या इस बारे में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हा । ब्रिटेन के रोमन केथालिक चर्च के अध्यक्ष ने ऐसा वक्तव्य दिया था ।

(ख) और (ग). यूरोप में मठों (कान्वेंटों) में सम्मिलित होने के लिये भारत से भेजी गई लड़कियों के मामले की सरकारी जांच चल रही है । जांच-पड़ताल पूरी होने पर उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कर दिया जाएगा ।

संतति निरोध का प्रभावशाली साधन

1938. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र पापुलेशन ट्रस्ट के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने एक ऐसी गोली का प्रयोग करने की सिफारिश की है जो उनके मतानुसार संतति निरोध के लिये भारत में अधिक प्रभावशाली साधन सिद्ध होगी ;

(ख) क्या उसने यह भी कहा है कि अमरीका भारत को पूरी आवश्यकता भर गोलियां सप्लाई कर सकता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? और

(घ) क्या सरकार गोली के प्रभाव के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विश्वस्त है और क्या इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) संयुक्त राष्ट्र पापुलेशन फंड के जनरल ड्रेपर ने हाल ही में भारत का दौरा किया था । उनकी राय में खाने वाली गोली भारत में एक प्रभावकारी गर्भनिरोधक सिद्ध होगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने खाने वाली गोली की 447 मार्गदर्शी परियोजनाएं अनुमोदित की जिनमें से 331 परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं । इस गोली के उपयोग को कहां तक अपनाया जाता है और भारतीय महिलाओं पर इसके क्या अतिरिक्त परिणाम होते हैं यह जानने के लिए गहन अध्ययन किये जा रहे हैं । अंतिम परिणामों के जनवरी, 1971 में प्राप्त हो जाने की आशा है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध इजराईली किस्म की मार तथा भाग जाओ वाली लड़ाई की तैयारी

1939. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत के विरुद्ध "इजराइली किस्म की मारो तथा भागजाओं" वाली थोड़े समय की लड़ाई की तैयारियां कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, बड़ौदा, दिल्ली और लखनऊ जैसे बड़े शहरों को सम्भावित पाकिस्तानी हवाई हमले से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या कथित तैयारियों के संबंध में पाकिस्तान को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). पाकिस्तान की सैनिक तैयारी, उसके पैदा होने वाले संकटों और जो स्वरूप उनको धारण करवाना संभाव्य है उनकी सरकार को ज्ञात है। अपने रक्षा प्रबंध करते समय इनका ध्यान रखा जाता है। इन मामलों के संबंध में राजनीयक विरोध पत्रों द्वारा कार्यवाही करना न तो प्रथागत है न वांछनीय ही।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

1940. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडो चीन की वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग क्या कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या भारत ने इस आयोग को पुनः सक्रिय बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है जिससे यह अधिक उपयोगी और प्रभावी बन सके ; और

(ग) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वियतनाम, लाओस और कम्बोदिया में अलग-अलग तीन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग हैं। 1954 और 1962 के युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत इन आयोगों की स्थापना की गई और उन्हें यह काम सौंपा गया कि वे इन समझौतों से संबद्ध पक्षों द्वारा इसके क्रियान्वयन की देख रेख करें। वियतनाम में परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे जेनेवा समझौते के अंतर्गत कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां युद्ध विराम होने के बजाय खुलकर युद्ध हो रहा है। कम्बोदिया सरकार के अनुरोध पर 31 दिसम्बर 1969 को कम्बोदिया आयोग अनश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संबद्ध पक्षों में लड़ाई होने के कारण लाओस आयोग पहले सक्रिय नहीं रहा है। लेकिन वह लाओसी पक्षों की बातचीत में सहायता देने में समर्थ हो सकता है और इस दिशा में वह सभी संभव प्रयास कर रहा है।

(ख) और (ग). अंतर्राष्ट्रीय आयोगों को और अधिक प्रभावशाली और लाभदायक बनाने के लिए भारत सरकार सभी संबद्ध पक्षों और सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जेनेवा करार में उन स्थितियों को फ़िरसे लाने की जो व्यवस्था की गयी थी. उसके संबंध में इन पक्षों में सहमति का अभाव है। लेकिन यह सच है कि लाओस या वियतनाम में कोई भी पक्ष इन आयोगों को बंद करना नहीं चाहता. इसलिए यह संभव है कि ये आयोग शांति के प्रतीक बने रहें।

पश्चिमी एशिया में संकट

1941. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री अजमल खां :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम एशिया क्षेत्र में संकट की स्थिति में सुधार करने के लिये भारत ने कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेष रूप से अरब प्रदेशों पर इज़राइल द्वारा अधिकार जमाये रखने और 22 नवम्बर 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का क्रियान्वयन न करना, विश्व शान्ति के लिए खतरा है ।

(ख) और (ग). हाल में भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा, जिसे 4 नवम्बर 1970 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्रहण कर लिया गया जिसमें यह कहा गया कि नवम्बर 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से और शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये डा० जारिंग के तत्वावधान में बातचीत फिर से शुरू करने के उद्देश्य से युद्ध विराम की अवधि तीन महीने और बढ़ाई जाए । महा सभा का प्रस्ताव इस बात को भी मान्यता देता है कि न्यायोचित और स्थायी शान्ति की स्थापना में फिलस्तीन वासियों के अधिकारों का सम्मान करना एक अनिवार्य तत्व है ।

देश में भवन निर्माण कला के अध्ययन के लिये संस्था की स्थापना

1942. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त सुविधाओं की कमी होने के कारण देश में भवन तथा निर्माण कला के विशेषज्ञों की कमी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में भवन निर्माण कला के लिये शीघ्र संस्था स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र संघ जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल पर व्यय

1944. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती अधिवेशन में भाग लेने हेतु न्यूयार्क जाने के लिये एक चार्टर्ड विमान बुक किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अन्य आवश्यकताओं पर बड़ी धनराशि खर्च की गयी थी और यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल पर हुए कुल व्यय का कोई अनुमान लगाया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। दिल्ली से न्यूयार्क और लौटते समय जेनेवा से दिल्ली के उड़ना के लिये।

(ख) विमान-अपहरण और बम के खतरों को देखते हुए, सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से प्रधान मंत्री के लिये यह वांछनीय समझा गया कि वे कुछ क्षेत्रों में चार्टर्ड विमान से यात्रा करें।

(ग) जी नहीं। न्यूयार्क में प्रधान मंत्री और उनके दल पर अनुमानित खर्च एक लाख चौहत्तर हजार रुपये था।

विदेशी समाचार पत्रों में भारत विरोधी प्रचार

1945. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए कुछ शत्रु तत्व भारत की घटनाओं का गलत प्रचार कर रहे हैं;

(ख) क्या विदेशी समाचार-पत्रों में भारत की केवल उन्हीं घटनाओं को प्रकाशित किया जा रहा है जिनसे भारत की बदनामी हो जबकि भारत द्वारा की गई प्रगति के बारे के उनमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और विदेशों में भारत के प्रति धारणा को ठीक करने के उद्देश्य से सच्ची स्थिति को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। विदेशों में भारत सम्बन्धी प्रचार, पक्ष में भी रहा है और विपक्ष में भी।

(ग) सरकार इस मामले को हमेशा अपने ध्यान में रखती है।

पश्चिम बंगाल में सामाजिक आवास योजनाओं के संबंध में प्रगति

1946. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सरकार की सामाजिक आवास योजनाएं लागू करने की दिशा में भारत भर की सबसे प्रगति प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गन्दी बस्ती सुधार और अन्य आवास योजना सहित सामाजिक आवास योजना के सम्बन्ध में, इनके लागू होने से लेकर अब तक, कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निमाण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस विभाग की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत, राज्यवार वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति के दो विवरण (अनुलग्नक । तथा 11) संलग्न हैं । वास्तविक प्रगति का विवरण राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुए प्रगति रिपोर्टों पर आधारित है ।

वित्तीय प्रगति का विवरण राज्य सरकारों द्वारा 1968-69 तक ली गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दर्शाता है 1969-70 से आरम्भ हुई चतुर्थ योजना अवधि के दौरान, राज्यों के सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों, जिममें सामाजिक आवास योजनाएं सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सहायता, खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष विकास से संबद्ध नहीं है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपनी प्राथमिकता और आवश्यकताओं के अनुसार किसी कार्यक्रम के लिये निधियों का नियतन करें । 1969-70 के दौरान विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं पर उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता का योजनावार ब्यौरा विभिन्न राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । **[ग्रंथालय में रखे गया** । देखिये संख्या एल० टी० 4356/70]

भारत-रूस के सहयोग से बनी परियोजनाओं के कक्षों में केवल रूसी नेताओं के चित्र लगाना

1947. **श्री समर गुह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणकेश एन्टी बायोटिक्स प्लान्ट में काम कर रहे रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विश्राम कक्षों में केवल रूस के वर्तमान तथा भूतपूर्व नेताओं के चित्रों को लगाया जाता है ;

(ख) क्या अन्य सभी स्थानों में जहां रूसी विशेषज्ञ भारत-रूस सहयोग बनी परियोजनाओं में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे विश्राम कक्षों में केवल रूसी नेताओं के ही चित्र लगाये गये हैं ;

(ग) क्या हमारे देश में इन रूसी विश्राम कक्षों में राष्ट्रपिता अथवा अन्य किसी भारतीय नेता के चित्र को नही लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय भूमि पर रूसी राजनयिक मिशनों के कार्यालयों की सीमा के बाहर स्थित इन रूसी विश्राम कक्षों में केवल रूसी नेताओं के चित्रों को लगाने की प्रथा भारतीय राष्ट्रीय भावना और राजनयिक सौहार्द के विरुद्ध है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित रूसी प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

पश्चिमी बंगाल में तेल के लिये सर्वेक्षण

1948. **श्री समर गुह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी यह राय व्यक्त की है कि पश्चिम बंगाल में तेल प्राप्त होने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा आरम्भ की गई नवीनतम योजनाएं क्या हैं ; और

(ग) जहां प्रारम्भिक खोज आरम्भ कर दी गई है उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा तेल प्राप्त होने के अन्य सम्भावित क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये क्या योजना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बोदरा संरचना पर एक अन्वेषी कुआ 4,197.5 मीटर की गहराई तक व्यधित किया गया था। इसने उस संरचना पर व्यापारिक हाइड्रोकार्बन्स की विद्यमानता के अनुकूल चिन्ह नहीं दर्शाये। आगामी व्यधन स्थगित कर दिया गया क्योंकि अब तक किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों ने उस क्षेत्र में व्यधन के लिए कोई अन्य उपयुक्त संरचना इंगित नहीं की। वर्तमान क्षेत्रीय मौसम में, पश्चिमी बंगाल के भूगर्भीय के रूप से आशानुकूल क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय दलों के प्रयोग से विस्तृत आगामी भूकम्पीय अन्वेषण के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा, जटिल अंकीय भूकम्पीय उपकरण और दित्ता तैयार करने की पद्धति को प्राप्त किया जा रहा है। दो अंकीय भूकम्पीय यूनिट पहले ही पहुंच गए हैं और उन्हें चन्द एक सप्ताहों में क्षेत्रीय परिचालन में लगाया जायेगा। वर्तमान क्षेत्रीय मौसम के दौरान दो और यूनिटों के प्राप्त होने की आशा है। जटिल उपकरण सहित इन विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षणों से, व्यधन के लिये उपयुक्त संरचना के मालूम होने के शीघ्र बाद व्यधन कार्यों को पुनः चालू किया जाएगा।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के लिये विकास योजना

1949. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के लिये विकास योजना के बारे में 24 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा कोटला मुबारकपुर की जिस पुनर्विकास योजना को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन ने अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रशासन द्वारा उक्त योजना के कब तक अनुमोदित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा हाल ही में अन्तिम रूप से दी गई उक्त योजना के अन्तर्गत तत्कालीन स्वीकृत 'त्रिलोकी' कालोनी के उन प्लाट-धारियों को, जिनके प्लाटों को अर्जित करने के लिये प्रशासन ने कई वर्ष पहले अधिसूचना जारी कर दी थी, वैकल्पिक प्लाट देने के लिये काफी बड़ा क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उस विशिष्ट क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जहां उपर्युक्त श्रेणी के शेष व्यक्तियों को बसाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) दिल्ली नगर निगम ने पुनर्विकास की छोटी मोटी विशेषताएं देते हुए केवल एक प्लान तैयार किया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक विस्तृत प्लान तैयार कर रहा है। इस बीच में, प्राधिकरण ने क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था पर 2 लाख रुपये व्यय किये हैं।

(ख) कोई निश्चित तिथि बताई नही जा सकती। तथापि प्राधिकरण मासले में शीघ्र कार्यवाही कर रहा है।

(ग) तथा (घ). जब तक प्राधिकरण द्वारा विस्तृत पुनर्विकास प्लान को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है, उसका ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में घटिया किस्म की औषधियाँ बेचने के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की जाने वाली जाँच

1950. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने सरकार से दिल्ली के औषधि बाजार में घटिया किस्म की औषधियां बेचे जाने के बारे में कराई जाने वाली जांच में सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसी सहायता प्रदान कर दी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Central Assistance to Madhya Pradesh for Housing Schemes

1951. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had asked for any Central assistance for any housing schemes during the last three years ;

(b) if so, the amount of assistance asked for during each of the last three years ; and

(c) the amount of assistance given by the Central Government, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh): (a) to (c). Prior to the Fourth Five Year Plan, Central assistance for various housing schemes was being drawn by the State Governments on the basis of actual expenditure incurred subject to the approved plan outlay. During the years 1967-68 and 1968-69, the Government of Madhya Pradesh had drawn central assistance amounting to Rs. 29.75 lakhs and Rs. 34.79 lakhs against the approved outlays of Rs. 35.80 lakhs and Rs. 39 lakhs, respectively. From the beginning of the Fourth Plan Central assistance for various State Plan Schemes (including housing schemes) is being given to the States in the form of 'block loans' and 'block grants' without being tied to any particular head of development or programme. The State Government are free to utilize any amount under various State plan schemes keeping in view their own requirements and priorities. The Government of Madhya Pradesh have reported an expenditure of Rs. 83.55 lakhs under various housing schemes during 1969-70, out of the total block assistance of Rs. 46.70 crores allocated by the Government of India during the year. In addition, L. I. C. loans amounting to Rs. 60 lakhs. 50 lakhs and Rs. 55 lakhs were made available to the Government of Madhya Pradesh during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 respectively for being utilized under various social housing schemes of this Department.

Setting up of Children's Ward in the District Hospital of Madhya Pradesh

1953. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted a proposal for establishing Children's Ward in all the District Hospitals of the State ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the estimated expenditure likely to be incurred on the implementation of this proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Opening of Homoeopathic Dispensaries in Madhya Pradesh.

1954. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government has made a demand to open Homoeopathic dispensaries in that State on the lines of Allopathic dispensaries ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). No. Opening of dispensaries is a State subject, and this Ministry has impressed upon all State Governments including Government of Madhya Pradesh to start homoeopathic dispensaries in the rural areas.

Mobile Units for Medical College in Madhya Pradesh

1955. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether some Medical Colleges in Madhya Pradesh have been provided with the mobile Medical Units ; and

(b) if so, the names thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Under C. R. Das Centenary Celebrations one Mobile Hospital has been allotted to Madhya Pradesh. The State Government has not yet communicated its decision regarding the actual location of the Hospital.

नई दिल्ली स्थित विट्ठल भाई पटेल भवन में अग्नि काण्ड

1956. **श्री क० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अक्तूबर, 1970 को विट्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली की दूसरी मंजिल में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा दमकल को आग लगने की सूचना दी गई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यालय दिवाली के उपलक्ष में बन्द था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) हानि की लागत लगभग 375 रुपये है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली में इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति

1957. **श्रीरवि राय :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की प्रस्तावित मूर्ति का 'माडल' चुनने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई थी और यदि हाँ, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या समिति ने मूर्तिकारों से कहा है कि उक्त मूर्ति की स्थापना इंडिया गेट पर निश्चित रूप से किंग जार्ज की मूर्ति की स्थान पर की जायेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार कब तक अपना निर्णय देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां। समिति के निम्नलिखित सदस्य थे :—

1- डा० पी० बी० गजेन्द्रगड़कर	— अध्यक्ष
2- डा० जीवराज एन० मेहता	— सदस्य
3- डा० मुल्क राज आनन्द	— सदस्य
4- श्री जे० आर० भल्ला	— सदस्य
5- श्री सत्यजीत रे	— सदस्य
6- श्री विट्ठल भाई झावेरी	— सदस्य
7- श्री सी० शिवारामामूर्ति	— सदस्य
8- श्री ए० पी० कनविन्डे	— सदस्य
9- श्री एच० रहमान	— सदस्य-सचिव
10- श्री सी० एम० कोरिया	— सहयोजित सदस्य

(ख) महात्मा गांधी की प्रतिमा के डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए चुने गये मूर्तिकारों को यह कहा गया था कि मूर्ति इन्डिया गेट के समीप उसी स्थान पर स्थापित की जायेगी जहां से किंग जार्ज पंचमी की मूर्ति हटाई गई थी और समिति को इस शर्त का ज्ञान था।

(ग) मूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी डिजाइन को समिति ने उचित नहीं समझा और समिति के इस विचार को सरकार ने मान लिया है। नये डिजाइन प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है !

सुन्दरगढ़ जिले में की गई भूभौतिकीय जांच

1958. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रासायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारतीय भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा 1966-67 में सुन्दरगढ़ में सर्गीपल्ली के पुराने कार्यकरण की भूभौतिकीय जाँच की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष निकला ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान जिंक लि० ने लोह अयस्क के उपयोग करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये अपना एक अधिकारी भेजा था; और

(घ) क्या सम्बद्ध अधिकारी ने इस विषय पर उड़ीसा सरकार से विचार-विमर्श किया था और यदि हां, तो वह किस निष्कर्ष पर पहुँचा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप; सुन्दरगढ़ जिले के सर्गोपल्ली क्षेत्र से 47.40 लाख मैट्रिक टन सीसा-अयस्क की उपलब्ध राशियां प्राक्कलित की गई हैं।

(ग) और (घ) . हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड के एक आफिसर ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

राजनयिक और व्यापार मिशनों में नियुक्तियां

1959. **श्री आदिचन** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनयिक तथा व्यापार दूतावासों में इस समय कितने कितने प्रतिशत पदों पर इसकी सेनाओं और राजनीतिक क्षेत्र से लिये गये व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उक्त दोनों श्रेणियों के लोगों को किन आधारों पर यह कार्य दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस समय 83 राजनयिक और व्यापार मिशन प्रमुख ऐसे हैं जो सेवाओं से लिए गए हैं और 10 ऐसे जो सार्वजनिक क्षेत्र से लिए गए हैं।

(ख) इस तरह के पदों को बांटने का कोई फार्मूला स्थिर नहीं किया गया है, उपयुक्तता के आधार पर नियुक्तियां कर ली जाती हैं।

पश्चिमी तट पर पनडुब्बी केन्द्र

1961. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट पर कोई पनडुब्बी केन्द्र नहीं है ;

(ख) हवाई सैनिक अड्डों की भांति पाकिस्तान की सीमा के पास कोई नौसेना क्यों नहीं है ;

(ग) क्या विशाखापत्तनम नौसेना अड्डे को केवल रूसी पोतों के लिये सुरक्षित रखा गया है तथा इन पोतों को किसी अन्य अड्डे पर ले जाना वर्जित है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर नौसेना के लिए अड्डे की सुविधाएं ऐसे स्थानों पर पैदा की गई हैं जो नौसैनिक दृष्टिकोण से अधिकाधिक लाभकर हैं। यह अड्डे सभी प्रकार के नौसैनिक पोतों के लिये प्राप्य हैं। बेड़े की नियुक्ति नौसेना का सक्रियात्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उत्पादन

1962. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र को इस समय प्रतिरक्षा उत्पादन का कितने प्रतिशत कार्य सौंपा जाता है तथा पिछले 4 वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न आया रक्षा आवश्यकताओं की तय्यार मदों के उत्पादन के सम्बन्ध में है या खाख द्रव्यों और संघटकों के संबन्ध में कि जो तय्यार मदों में लिए ज ते हैं। तय्यार आयुधों और गोलावारुद का निर्माण, औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में आता है, और इसलिए उसे निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाता। कई फाल्तू पुर्जों और संघटकों का निर्माण ही केवल निजी क्षेत्र को सौंपा जाता है और वह भी जहाँ उनके उत्पादन की क्षमता रक्षा उत्पादन उपस्करों में विद्यमान वहाँ होती। निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादन उपस्करों को खान द्रव्य और उपभोज्य जैसे कि रंग रोगन, इत्यादि सप्लाई करत हैं, परन्तु यह रक्षा उत्पादन के लिये सीधे अंशदाश नहीं है । यदि फाल्तू पुर्जो, संघटकों खान पदार्थो फिर उपभोज्यों इत्यादि के रूप में निजी क्षेत्र द्वारा की गई सप्लाईयों के मूल्य का लगाया जाना है, और कुल रक्षा उत्पादन उसका प्रतिशत का पिसाब करना वाछित हो तो इसमें भारी समय और श्रम दरकार होगा। जो प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा।

प्रतिरक्षा कारखानों में बेकार क्षमता

1963. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा कारखानों में कितने प्रतिशत क्षमता वेकार पड़ी है और क्या इसका निरन्तर मूल्यांकन करने और इसके लिए उत्पादन योग्य अन्य वस्तुओं की खोज के लिये कोई पद्धति है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बेकार क्षमता की समस्या अधिकतम सेवाओं से क्रमश: कम प्राप्त हो रहे आर्डरों के परिणाम स्वरूप आर्डनेस क्लोथिंग फैक्टरियों से संबन्धित है। इस स्थिति का सामना करने के लिए फैक्टरियों में उत्पादन को विभिन्नोकृत किया गया है और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सैनिक विभागों से आर्डरों की मांग की गई है और कुछ आर्डर प्राप्त हुए हैं। निर्यात मार्किट तथा अन्दरूनी मार्किट में भी तैयार वस्त्रों के विक्रय के लिये प्रवेश करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। जहाँ तक अन्य आर्डनेस फैक्टरियों का संबन्ध है खाम द्रव्यों के अभाव के कारण कभी-कभी फाल्तू क्षमता पैदा हो सकती है, और जब ऐसा होता है जैसा आवश्यक हो प्रतिकारी कार्यवाही की जाती है।

2. जहां तक रक्षा राजकीय क्षेत्र के उपस्करों का संबन्ध है इंजिनयरी उद्योग में व्यापक मंदे के कारण बेकार क्षमता पैदा हुई है, विशेषकर प्रागा टूल्ज लिमिटेड में, इस उपस्कर ने विभिन्नीकरण कार्य क्रम आरम्भ कर दिये हैं और उपस्कर मार्किट के विभव और जुकावों का सर्वेक्षण करता है।

3. चूंकि सक्टरी से फैक्टरी में और एक ही फैक्टरी में समय-समय पर तैयार क्षमता विभिन्न होती है उसके प्रतिशत का हिसाब लगा पाना संभव नहीं है। फाल्तू क्षमता का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और उसका कार्यभार को अपेक्षा के आधार पर किया जाता है।

न्यूयार्क में भारत तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की वार्ता

1964. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई के बारे में भारत के प्रधान मंत्री से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). हमारे प्रधान मंत्री की हाल की न्यूयार्क यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री ऐडवर्ड होथ उनसे मिले थे और उनके साथ विचार विमर्श किया था। यह विचार विमर्श निजी था और इन दोनों नेताओं को बातचीत के ब्यौरे को बताना उचित नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका को हथियार देने के ब्रिटेन के इरादे पर भारत सरकार के विचारों से सदन भली भांति परिचित है।

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय तेल निगम द्वारा एक ठेकेदार को अग्रिम धन मंजूर करने के सम्बन्ध में की गई कथित अनियमितताये

1965. **श्री देवकी नन्दत पाटोदिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपां करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय तेल निगम ने एक ठेकेदार को एक बहु मंजिली इमारत की तीन मंजिलों के निर्माण के लिये 28 लाख रुपये की अग्रिम धन राशि दिया था और उक्त मंजिले अभी भी तैयार नहीं हुई हैं;

(ख) क्या धन अनिश्चित तरीके से दिया गया था; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इमारत को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) करार के अनुसार भारतीय तेल निगम ने, नवम्बर-1, थेयटर रोड, कलकत्ता बहु-मंजिली इमारत के मालिक को 27.96 लाख रुपये की कुल अदायगी की थी; जिसमें 26.31 लाख रुपये अग्रिम-धन के रूप में और 1.65 लाख रुपये जमानत जमा के रूप में शामिल हैं। 26.31 लाख रुपये के अग्रमि-धन पर प्रतिवर्ष 8-1/2 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। भारतीय तेल निगम ने उक्त इमारत में तीन मंजिले ली हैं और पूर्वी ब्रांच के दफ्तर वहां चले गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) मालिक के अनुसार, बिजली की सप्लाई न होने से देरी हुई।

जारिंग शान्ति मिशन को स्थगित करना

1966. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्यपूर्व सम्बन्धी जारिंग शान्ति मिशन को स्थगित कर दिया है;

(ख) क्या उक्त मिशन को स्थगित करने का अभिप्राय मध्यपूर्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की शान्ति सम्बन्धी गतिविधियों की समाप्त करना है;

(ग) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से इस बात का पता लगा सका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से तथा स्वीकृत समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में डा० जारिंग की नियुक्ति हुई थी। हाल में, 4 नवम्बर, 1970 को संयुक्त राष्ट्र की महा सभा में जो प्रस्ताव ग्रहण किया गया उसमें सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया गया है जिसमें विवाद से संबद्ध पक्षों से आग्रह किया गया है कि वे महा सचिव के विशेष प्रतिनिधि से फिर से संपर्क स्थापित करें जिससे 22 नवम्बर, 1967 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में वे समर्थ हो सकें।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इंडोनेशिया द्वारा पाकिस्तान को मिग विमानों का कथित उपहार

1967. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को 8 मिग विमान उपहार स्वरूप दिये थे;

(ख) क्या सरकार ने 20 अक्तूबर, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की सत्यता की जांच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सत्यता क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान को 1965 में इण्डोनेशिया की तत्कालीन सरकार से कुछ मिग-19 विमान प्राप्त हुए थे किन्तु भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद। सरकार ने इंडोनेशिया सरकार के इन आश्वासनों पर विश्वास किया है कि हाल में उसने पाकिस्तान को कोई सैन्य सामग्री नहीं दी है।

सैगोन का सरकारी शिष्टमंडल

1968. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1970 में मंत्रालय के उच्च स्तरीय अधिकारियों को वियतनाम युद्ध के दोनों पक्षों में समझौते के लिए समान आधारों का पता लगाने के लिए सैगोन

भेजा गया था ताकि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को जिसका भारत अध्यक्ष है, शान्ति लाने में प्रभावशाली भाग अदा करने के लिये सक्रिय बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा मंत्रालय को भेजे गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या प्रतिवेदन के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के लिये वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही करना सम्भव हुआ है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी, अक्तूबर 1970 के दौरान वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के भारतीय प्रतिनिधि मंडल और भारतीय मिशन के सामान्य निरीक्षण के लिये सैगोन गया था। वह समझौते के आधारों का पता लगाने अथवा आयोग को पुनः सक्रिय बनाने के किसी विशिष्ट कार्य से नहीं गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में रिक्त राजनयिक पद

1969. **श्री दे० अमात** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में रिक्त राजनयिक तथा अन्य ऊंचे पदों का ब्यौरा क्या है तथा वे कितने समय से इस प्रकार खाली पड़े हैं; और

(ख) उन पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है तथा उनके लिये प्रस्तावित पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). राजनयिक मिशन/केन्द्र प्रमुखों के इस समय रिक्त पदों के ब्यौरे तथा अन्य अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण के क्रम संख्या 1 से 3 और 5 से 7 तक में दिए गए पद सम्भवतः शीघ्र ही उनके सामने वर्णित अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे। क्रम संख्या 4 में वर्णित पद को भरने का प्रश्न विचाराधीन है।

विवरण

क्रम सं०	देश/स्थान	भारतीय मिशन में पद	तारीख जिससे रिक्त है	पद के लिए चुने गए अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1.	जर्मन संघीय गणराज्य	राजदूत	7—11—1970	श्री केवल सिंह

1	2	3	4	5
2.	मदगास्कर	राजदूत	10—12—1969	श्री एन० केशवन
3.	पोलैण्ड	राजदूत	12—10—1970	श्री के० नटवर सिंह
4.	स्विटज़रलैण्ड	राजदूत	8—10—1970	नियुक्ति विचाराधीन
5.	तन्ज़ानिया	हाई कमिश्नर	13—11—1970	श्री जे० एस० मेहता
6.	बर्लिन (ज० ज० ग०)	प्रधान कोंसल	नव निर्मित	श्री जे० सी० अजमान
7.	मंगोलियाई जन गणराज्य	परामर्शदाता/ अन्तरिम कार्य-नायक	नव निर्मित	श्री सोनम नारब

इन्डेन गैस और गैस सिलेंडर की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

1970. **श्री मंगलाथु माडम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लोगों में विशेषकर बड़े-बड़े नगरों की सरकारी कालोनियों में इंडेन गैस में सिलैण्डरों तथा गैस की बिक्री बढ़ाने के लिये प्रस्तावित प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : इण्डेन गैस और गैस सलैण्डरों के विक्रय में वृद्धि के लिए कोई प्रोत्सहन योजनाएं चालू नहीं की गई हैं।

निषेधात्मक शुल्क के कारण चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

1971. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि निर्धारित मूल्य में मामूली कमी के बावजूद भी चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं जैसे किसी अस्वस्थ व्यक्तियों के लिये खाद्य पदार्थों, प्रोटीन और प्रौटीनेक्स, थ्रांपटिन, काम्पालन आदि जैसी विटामिन युक्त वस्तुओं के विद्यमान बाजार मूल्यों में निषेधात्मक शुल्क लगाये जाने के कारण बहुत वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) औषधी (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 और उस आदेश के अनुसरण में जारी किये गये अन्य आदेशों के प्रभाव के प्रारम्भिक अध्ययन से प्रतीत होता है कि अधिकांश औषधियों के विक्रय मूल्यों में या तो कमी हुई है या उनके मूल्यों का मई, 1970 में प्रचलित मूल्यों के स्तर पर रखा गया है। 'काम्पलान' और 'थ्रपटिन' आदि कुछ उत्पादों के मूल्यों में शायद वृद्धि हो गई हो, किन्तु ये खाद्य पदार्थ हैं और औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के तात्पर्य से इन्हें 'औषधियां' नहीं समझा जाता।'प्रोटिनैक्स'के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है। प्रश्न में

उक्त शुल्क की किसी परिभाषा और उसमें दी गई वस्तुओं के नाम जाने बिना प्रश्न के पिछले भाग के उत्तर में कोई निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किरिबुर खान से लौह-अयस्क की उत्पादन लागत तथा उसके निर्यात से हुई हानि

1972. **श्री मृत्युन्जय प्रसाद :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 अक्तूबर, 1970 के टाइम्स आफ इण्डिया के प्रकाशित 'मोस्ट एफीसियेंट माइन एजजिंग प्रोपोजीशन' समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि किरिबुर खान पर लौह अयस्क की उत्पादन लागत लगभग 16 रुपया प्रति टन के हिसाब से आती है तथा इसके सम्पूर्ण उत्पाद 62 रुपये प्रति टन के हिसाब से जापान को निर्यात किया जाता है फिर भी देश को लगभग 4 रुपये प्रति टन का घाटा होता है;

(ग) यदि हां, तो इस खान को कुल कितना घाटा हुआ, इसके क्या कारण हैं तथा घाटा दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या 'फाईस' नामक अयस्क, जिसकी जापान को आवश्यकता नहीं है, का उपयोग बोकारो इस्पात कारखाने में उसके चालू होने पर किया जायेगा ; और

(ङ) क्या जिस समवाय को जिन मूल्यों पर ये वस्तु सप्लाई की गई थी उसी के समान दूसरे समवाय से जापान द्वारा अस्वीकृत की गई इस वस्तु के अपेक्षाकृत बहुत अधिक मूल्य मांगे जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1969-70 के दौरान नौतल-पर्यन्त निःशुल्क अभिवहन लागत 61.25 रुपये प्रति टन थी। नौतल पर्यन्त निःशुल्क अभिवहन आपत 56.94 रुपए पति टन था जिसके परिणाम-स्वरूप 4.31 रुपए प्रति टन का घाटा हुआ।

(ग) अब लौह अयस्क का विक्रय नौतल-पर्यन्त निःशुल्क अभिवहन के आधार पर है। निर्यात से प्राप्त विक्रय मूल्य में से, रेल भाड़ा, पत्तन प्रभार, निर्यात शुल्क और एम० एम० टी० सी० कमीशन भी संदत होता है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को केवल शेष राशि मिलती है। यह राशि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उपगत उत्पादन लागत से कम है और इस-लिए निगम को हानि उठानी पड़ती है। प्रायोजना ने प्रारम्भण से 31 मार्च, 1970 तक लौह अयस्क के निर्यात में 552.08 लाख रुपयों की संचित हानि उपयोग की है।

एम० एम० टी० सी० को लौह अयस्क रेल पर्यन्त निःशुल्क पर बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्तोगत्वा, किरीबुर से लौह अयस्क को बोकारो इस्पात संयंत्र को व्यपवर्तित किया जाना है। आशा की जाती है कि इन कदमों से हानि विलुप्त हो जाएगी।

(घ) और (ङ). किरीबुर से लौह अयस्क के निर्यात के लिए संविदा केवल आकारित अयस्क के बारे में है। तथापि, निर्यात के लिए आकारित अयस्क के उत्पादन के दौरान, 'सूक्ष्म' उत्पन्न किये जाते हैं। यह वर्तमान एकत्रित स्टाक राशि पर है। बोकारो इस्पात संयंत्र इन सूक्ष्मों के प्रयोग के लिए भी रूपांकित हैं।

लौह अयस्क का यह विक्रय मूल्य जिसपर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र को दिया जाएगा अभी भी वार्ता के अधीन है।

उत्तर वियतनाम के साथ राजनयिक सम्बन्ध

1973. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) और (ख). भारत सरकार वियतनाम लोक गणराज्य से अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के पक्ष में है। इसके लिए विभिन्न उपायों एवं तरीकों पर, वियतनाम में अपने अन्य उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे कारखानों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास

1974. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स का प्रस्ताव है कि वह अपने कुछ कारखानों के लिये, जिनकी स्थापना की जानी है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास आरम्भ करे; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स लि० ने पूना स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा विकसित तकनीकी के आधार पर एसिटनिलाइड संयंत्र स्थापित किया है। उनका राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की तकनीकी पर आधारित मोनोक्लोरोबेन्जीन संयंत्र स्थापित करने का विचार भी है। इसके अतिरिक्त उनका निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में तकनीकियों का विकास करने का प्रस्ताव है :

1. ओ—टोलूआइडाइन।
2. पी—टोलूआइडाइन।
3. ओ—एनिसिडिइन।
4. पी—एनिसिडिइन।
5. बेटा—नेपेथोल।

6. पी—एमिनोफिनोल ।
7. पी—न.इट्रांफिनोल ।
8. एम—फीनाइलिन डाइमीन ।
9. नाइट्रो एनिसोल्ज ।
10. पी—फैनेसिडीन ।

परमाणु शक्ति का शिखर सम्मेलन

1975. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर 1970 में नई दिल्ली के 'टाईम्स आफ इण्डिया' में 'चाइरा प्रोपोजड न्यूक्लियर समिट' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नाभिकीय अस्त्रों के निषेध और नाश पर विचार विमर्श के लिए विश्व के सभी देशों का एक सम्मेलन बुलाने के लिये प्रस्ताव सबसे पहले चीन ने 1963 में रखा था ।

सरकार का विश्वास है कि सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण की और खासतौर से नाभिकीय निरस्त्रीकरण की समस्या आज संसार के समक्ष जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनमें से एक है । हमने ऐसे सभी प्रस्तावों का लगातार समर्थन किया है जिससे पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक सन्धि को अंतिम रूप दिया जा सके ।

नागपुर के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना

1976. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के किसी सामाजिक संस्था ने केन्द्रीय सरकार से कैंसर के इलाज के लिये एक अस्पताल की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां,तो उस संस्था के क्या नाम है और वह कब से यह अनुरोध करती आ रही है; और

(ग) उसके इस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). कैंसर रिलीफ सोसायटी, नागपुर ने महाराष्ट्र सरकार से सहायतार्थ अनुरोध किया है । भारत सरकार के पास कोई प्रार्थना पत्र अनिर्णीत नहीं है ।

अगस्त 1970 में उनसे मिली सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने अब तक इस प्रयोजन के लिये इस सोसायटी को कुछ सरकारी भूमि दी है । उस सरकार से आगे कोई सूचना नहीं मिली है ।

रूसी से पनडुब्बी और नौसैनिक जलयान खरीदना

1977. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से पनडब्बी और नौसैनिक जलयान खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विशेषकर शत्रु देशों से खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार इन वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रही है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) नौसैनिक पोता क.देशीय निर्माण का विकास और इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता का विकास करना सरकार की नीति है।

मकानों को खाली करवाने सम्बन्धी नीति

1979 **श्री लखन लाल कपूर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन मकानों को खाली करवाने के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाली नीति के सम्बन्ध में फरवरी, 1968 में या उसके आस-पास कोई निर्णय किया था और प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुमति से उसे सेना मुख्यालय द्वारा परिचालित कराया था: और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इशारा शायद मुख्याधिकरणों (कमांड्ज़) के सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श का अनुसरण करते हुये सेना मुख्यो द्वारा कमानों को लिखे गये 23 फरवरी 1968 के पत्र की ओर है। यह पत्र सेना मुख्यालयों द्वारा अपने तौर से जारी किया गया था और उसमें वह पहलू दर्शाये गये हैं जिन पर कमानों को बिशेषतौर पर विचार करना चाहिये और वह ढंग दर्शाया गया था कि जिसने किराये से विमुक्त मकानों की हालतों में कमानों द्वारा सूचना दी जानी चाहिये, कि सेना मुख्यालय उस पर विचार कर सके।

(ख) उपरोक्त (क) के समक्ष प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त वह पत्र अन्दरूनी प्रशासनिक मामलों से सम्बन्ध रखता है।

पटना विश्व विद्यालय में चिकित्सा शिक्षा के बारे में झाला आयोग का प्रतिवेदन

1980 **श्री मृत्यु जय प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना विश्वविद्यालय द्वारा एम० बी० बी० एस० की डिग्री दिये जाने तथा मेडिसिन और सर्जरी के अध्यापन के सम्बन्ध में इंडियन कौंसिल के झाला आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या अन्य मेडिकल केन्द्रों की ऐसी ही जाँच की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) झाला समिति के प्रतिवेदन पर भारतीय चिकित्सा परिषद् विचार कर रही है ।

(ग) जी हां । परिषद ने बिहार विश्वविद्यालय द्वारा 1965 में ली गई मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान) की परीक्षा के परिणामों में एक अनियमितता बतलाई थी और उसके फल-स्वरूप उक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने इस गलत परीक्षाफल को रद्द कर दिया था ।

Formation of Special Guerilla Forces by Pakistan

1981. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether special guerilla forces have been formed by the Pakistan Government to occupy Kashmir and there is every possibility that Pakistan would adopt guerilla warfare against India in future ; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : **(a) and (b).** Pakistan has been arming and imparting training to a large number of irregular forces styled Mujahidas and other para military forces in Pakistan-occupied-Kashmir in guerilla tactics, sabotage and other subversive activities. The developments in this regard have been taken into account in making our Defence arrangements.

Construction of Air Strips and Roads by China on the Indian Borders

1982. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether China has constructed a large number of air strips and roads on Indo-Tibetan and Sikkim border, particularly in Nathula and Chola, and has also concentrated her forces there in large number ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the details of the steps taken to meet this danger ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : **(a) and (b).** Government are aware of the construction of roads and air strips by China on the Indo-Tibet and Sikkim border and also of the location of sizable Chinese Forces across the borders. There have however, been no significant changes in the position of these forces recently. All these factors have been taken into account in making our defence arrangements.

Repatriation of Indians Living in Burma

1983. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the details in regard to the efforts made by the Indian Government to bring the helpless Indians from Burma to India ;

(b) whether there are some Indians in Burma who desire to come to India but have been refused permission for it ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) the arrangements of livelihood made for the Indians coming from Burma; and

(e) the arrangements made in regard to the properties left over in Burma by these Indians ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government of India have made special arrangements for the repatriation of those Indians who wish to return to India. Special sailings are arranged every year. Subsidised rates are also being given for air travel.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Rehabilitation assistance in the following forms has been given.

(i) Business loans ;
(ii) Employment in Central Government and State Government offices ;
(iii) Allotment of agricultural land ;
(iv) Allotment of sites for business premises, houses, etc. ;
(v) Allotment of fair price shops and other licences ;
(vi) Old-age pensions ;
(vii) Ad-hoc grants for rehabilitation and
(viii) Educational concessions.

(e) The question of compensation of assets is still under the consideration of the Governments of India and Burma.

Opening of Military College in Madhya Pradesh

1984. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government are considering the need to open Military Colleges in the military centre Mhow and in the dacoit infested areas such as Bhind, Morena, Datia towns in Madhya Pradesh ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) There is no requirement for any new Military Training Establishment in Madhya Pradesh.

ऐनकों, दांतों तथा आंखों की निःशुल्क सप्लाई के लिये विधेयक

1985. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय के लिये आवश्यकता के समय ऐनकों, दांतों तथा आंखों की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ।

कालकाजी, नई दिल्ली के निकट गोविन्दपुरी ऐक्सटेंशन में बने मकानों का गिराया जाना

1986. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने कालकाजी केनिकट गोविन्दपुरी एक्सटेन्शन नई दिल्ली के लोगों को लिखित रूप में यह आश्वासन दिया है कि 1967 से पूर्व बने मकानों को नहीं गिराया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुनर्वास मंत्रालय 1967 से बहुत पहले बने कुछ मकानों को गिराने के लिये जोर दे रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि एक मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासनों को दूसरे मंत्रालय द्वारा भंग न किया जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) अप्रैल, 1969 में हुई चर्चा के दौरान गोविन्दपुरी कालोनी ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों को यह बताया गया था कि गोविन्दपुरी एक्टेन्शन कालोनी की सारी भूमि अर्जित की जायेगी तथा प्लाटों को उनके मालिकों को पट्टे पर दे दिया जायेगा, यथा संभव बनी हुई संरचनाओं को गिराये जाने से रोका जायेगा, जब तक कि उनकी भूमि सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक न हो। यह 1-2-1967 से पहिले बनी अनधिकृत कालोनियों पर कार्यवाही करने के लिए दिल्ली प्रशासन की नीति के अनुसार है।

तथापि यह सूचना मिली है कि पुनर्वास विभाग द्वारा 1949 में अर्जित की गई उस भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया था जो कि उनके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कालकाजी में विकसित किया था। सार्वजनिक भूमि पर ऐसे अतिक्रमण अनधिकृत अनधिवास हैं और उन पर झुग्गी और झोंपड़ी हटाओ योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। तदनुसार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालोनी के स्थान को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है और हटाये गये लोगों को उक्त योजना के अन्तर्गत पुनः बसा दिया गया है।

जैसे कि स्पष्ट किया गया है दोनों मामले पृथक पृथक हैं और एक मंत्रालय द्वारा दूसरे मंत्रालय के आश्वासन की अपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं है।

डच निर्माताओं के सहयोग से जेट लड़ाकू विमानों का निर्माण

1988. **श्री बलराज मधोक :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या फोकर फ्रैन्डशिप बिमानों के डच-निर्माताओं ने भारत में जेट लड़ाकू विमान बनाने के लिये भारत से सहयोग करने की पेशकश की है ; और ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव की वास्तविक शर्तें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के लिये किराया खरीद आधार पर मकान

1989. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दशाब्दियों तक दिल्ली में सरकारी कालोनियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के पश्चात् आवास के अभाव के कारण स्वयं को बेघर पाते हैं; और

(ख) क्या सेवा के समय तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनको किराया खरीद आधार पक्के मकान देने की सरकार की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी के पुत्र,पुत्री, पत्नी पति अथवा पिता जैसे निकट सम्बन्धी को सामान्य पूल से तदर्थ आधार पर वास आवंटित किया जाता है यदि उक्त सम्बन्धी सरकारी कर्मचारी हो, और सरकारी वास का पात्र हो तथा वह सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के साथ सेवा निवृत तिथि से कम से कम छः मास पहिले से रह रहा हो।

(ख) सरकारी कर्मचारी निम्न तथा मध्यम वेतन आवास स्कीम के अन्तर्गत विक्री-खरीद के आधार पर मकान लेने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज को उनके सदस्यों के लिये भूमि आवंटित की जाती है तथा उक्त सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए अग्रिम धन अथवा कर्ज ले सकते हैं।

दिल्ली की झुग्गी, झोपड़ी, कालोनियों तथा अन्य गन्दी बस्तियों में औषधालय

1990. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की झुग्गी, झोंपड़ी,कालोनियों तथा अन्य गन्दी बस्तियों में औषधालयों की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में औषधालय खोलने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित स्थानों में 9 औषधालय खोलने का विचार है :—

1. सीलमपुर ।
2. पांडू नगर ।
3. नांग्लोई ।
4. वजीरपुर ।
5. हस्तसाल ।
6. सीमापुरी ।
7. मादीपुर ।
8. मदनगीर ।
9. बुद्ध नगर ।

सीलमपुर, पांडुनगर और नांग्लोई में पहले ही औषधालय खोल दिये गये हैं । इनके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 10 और औषधालय खोलने का विचार है । उनके लिये स्थानों का प्रश्न विचाराधीन है ।

2. दिल्ली नगर निगम, नगर के मुख्य भागों के गन्दे क्षेत्रों में अनेक औषधालय चला रहा है । इनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक औषधालय सम्मलित है । इन औषधालयों के अलावा, प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र भी रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

नगर निगम द्वारा प्लान स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष निगम क्षेत्र में चुनीदा स्थानों पर 13 आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालय और 7 उपकेन्द्र खोलने का विचार है । इनमें से 7 औषधालय निम्नांकित स्थानों पर खोलने का विचार है :—

1. वख्तावर पुर ग्राम ।
2. ताकरी खुर्द ग्राम ।
3. पटौदी हाउस दरियागंज ।
4. अजमेरी गेट और लाहौरी गेट के मध्य ।
5. चाह इन्दरा फव्वारा ।
6. कोटला मुबारकपुर ।
7. राजा गार्डन ।

शेष औषधालयों और उपकेन्द्रों के लिये स्थान तय किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरुद्ध अमरीका के हथियारों के प्रयोग की कथित धमकी

1991. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1970 के 'संडे स्टैंडर्ड' में प्रकाशित न्यूयार्क स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा न्यूयार्क टाइम्स में लिखे पत्र के बारे में, जिसमें यह धमकी दी गई है कि पाकिस्तान काश्मीर के मामले को हल करने हेतु भारत को बाध्य करने के लिये अमरीकी हथियारों का प्रयोग करेगा, की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस पत्र से हमारा यह कहना स्पष्टतः न्यायोचित सिद्ध होता है कि पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद का उनकी आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आक्रामक रुख और दुराग्रही रवैया अपनाने में सहायता देने के लिए है।

पाकिस्तान शत्रु-सम्पत्ति विभाग का समाप्त किया जाना

1992. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पत्ति और आस्तियों के बेचे जाने के पश्चात पाकिस्तान शत्रु-सम्पत्ति विभाग समाप्त कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार का कौनसा विभाग इन मामलों को अब निबटा रहा है और भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति को रोके हुए है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री निवासपुरी, नई दिल्ली के 'एच' टाइप क्वार्टरों के बारे में शिकायत

1993. **श्री दे० अमात** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार को श्री निवासपुरी कालोनी, नई दिल्ली में 'एच' टाइप क्वार्टरों के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) कितने मामलों में निर्णय ले लिया गया है और प्रत्येक मामले में किया गया निर्णय क्या है; और

(ग) कितने मामले विचाराधीन हैं और क्वार्टरों की संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) 1-11-1968 से 31-10-1970 की दो वर्ष की अवधि में 13,919 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) और (ग). अधिकांश शिकायतें प्रतिदिन के रख रखाव से सम्बन्धित थीं, और ऐसी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की गई। प्रतिदिन की शिकायतों के अतिरिक्त, श्री निवास पुरी कल्याणकारी संस्था ने सभी क्वार्टरों में कतिपय सामान्य सुविधाओं के लिये कहा था और ऐसी 18 मांगों में से, 9 की स्वीकृति दे दी गई थी तथा 6 को रद्द कर दिया गया। मांगों में से 3, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। स्वीकृत की गई सुविधाएं निम्नांकित हैं :—

1. बरसाती पानी के निकास के लिए सीमेंट के पाइपों की मरम्मत, बदलना।
2. पानी की टंकियों की मरम्मत।

3. छतों और पोर्चों की मरम्मत ।
4. टूटी चिमनियों के ढक्कनों को बदलना ।
5. बन्द पड़े नलों का बदलना ।
6. ग्राउन्ड फ्लोर के किरायेदारों की असुविधा दूर करने के लिये ऊपरी मंजिल की बालकोनी से पानी की दिशा परिवर्तन ।
7. कुछ कमरों में खराब ढलावों का सुधार ।
8. रोशनदानों में शीशे लगाना ।
9. दीवारों के प्लास्टरों की मरम्मत ।

Opening of C. G. H. S. Dispensaries at Meerut and Kanpur

1995. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the Central Government with a view to open C. G. H. S. dispensaries at Meerut and Kanpur, had conducted a survey of these places ;

(b) if so, when the said survey was conducted ;

(c) whether it is also a fact that a dispensary has been opened in Meerut after the survey ;

(d) whether it is also a fact that the dispensary has not so far been opened in Kanpur ; and

(e) if the reply to part (d) above be in the affirmative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). A survey was conducted during 1968-69 with a view to open C. G. H. S. dispensaries at Meerut and Kanpur. A fresh survey is, however, being conducted in respect of Kanpur city as only partial information is available.

(c) It is proposed to extend the Central Government Health Scheme to Meerut by January, 1971 provided suitable accommodation is found.

(d) and (e). The scheme is being extended to selected cities in stages. After the Scheme is extended to Meerut, Kanpur will be taken up. It is tentatively proposed to extend the Central Government Health Scheme to Kanpur during 1971-72. Information from the Survey regarding Kanpur, now being conducted is awaited.

Proprietory Rights to Allottees of Quarters in Refugees Colonies in Delhi

1996. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Executive Councillor of Delhi has requested the Government to give proprietory rights to the allottees of Quarters in the refugees colonies ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Yes, Sir.

(b) It was not found possible to agree to the proposal.

Compensation to C. G. H. S. Employees for attending duty on National Holidays

1997. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have issued an order to give compensation to C. G. H. S. employees for attending their duty on National Holidays viz. Republic Day, Independence Day and Mahatma Gandhi's Birthday ;

(b) if so, when ;

(c) the number of employees who attended their duties on the National Holidays and how many of them were paid compensatory pay ; and

(d) if such employees were not paid compensatory pay the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Yes Sir, on 27th November, 1969.

(c) and (d). 538 non-gazetted C. G. H. S. employees in Delhi (including night duty Chowkidars) attended duty on the three National Holidays during 1970. 39 of them have so far preferred their claims for overtime allowance. These are being processed.

Information regarding the position in Bombay and Allahabad is being ascertained.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मचारी

1998. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर द्वारा जनवरी और जून 1965 में निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुभाग अधिकारी तथा केयर टेकर तक के स्तर के जो गैर औद्योगिक कर्मचारी स्थायी सेवा में है, वे केवल उन्हीं छुट्टियों के अधिकारी हैं जो कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दी जाती है ; और

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि दिल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रीकल सर्कल नं० 1 और दिल्ली सेंट्रल सर्कल नं० 2 के अधीन कतिपय डिवीजनों में अनुभाग अधिकारी अथवा केयर टेकर तक के स्तर के गैरऔद्योगिक कर्मचारी जो स्थायी हैं उन्हें मास के दूसरे शनिवार के दिन छुट्टी दी जा रही है जबकि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को यह छुट्टी नहीं दी जा रही है और यदि हां तो. इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) . आदेशों में यह व्यवस्था है कि केवल ओवरसियर (जिसमें इ एण्ड एम सुपरिन्टेन्डेट तथा केयर टेकर भी सम्मिलित हैं) तक के अनौद्योगिक कर्मचारी वर्ग जो नियमित सामान्य सिब्बंदी में हैं, जिनकी उपस्थिति, औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा सामान्य उत्पादन-स्तर बनाये रखने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उन्हें केवल वे छुट्टियां दी जानी चाहिए जो कार्य- प्रभारित सिब्बदी को प्रदान की जाती है। शेष सामान्य सिब्बंदी के अनौद्योगिक कर्मचारियों को वही छुट्टीयां प्रदान की जाती हैं जो सरकार के सामान्य कर्मचारियों को दी जाती हैं अतः उन अनौद्योगिक कर्मचारियों को जिनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी जाती, उन्हें दूसरे शनिवार की छुट्टी दी जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चिट्ठा कर्मचारी

1999. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 और 1970 वर्षों में प्रतिमास पहली तारीख को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 'बी' डिवीजन और पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन के प्रत्येक सेक्शन में कितने श्रमिक चिट्ठा कर्मचारियों के रूप में अथवा मजदूरी पर नियुक्त किए गए ;

(ख) क्या ऐसे पदों पर जो एक वर्ष से अधिक समय तक मस्टर रोल पर बने रहते हैं, कार्य-प्रभारित अथवा स्थायी रूप से पद-निर्माण करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ख) और (ग). मस्टर रोल कर्मचारियों को केवल आकस्मिक प्रकार के कार्यों तथा कम अवधि के लिए लगाया जाता है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे कर्मचारियों को कभी लम्बी अवधि के लिए नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है। तथापि, जो कार्य एक वर्ष से अधिक निरन्तर चलते रहें उन पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों को लगाये जाने के निर्देश हैं। **(ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी० 4357/70)

नीम-हकीमों को पंजीकृत डाक्टरों के रूप में लाइसेंस देने के बारे में विधेयक

2000. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीम-हकीमों को पंजीकृत डाक्टरों के रूप में लाईसेंस देने के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, जिसमें राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं सावधानी से विचार करने के बाद यह सिफारिश की है कि बिना समुचित शिक्षा-प्राप्त चिकित्सकों को, जो कतिपय शर्तें पूरी करते हों, सीमित आधार पर चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति दे दी जायें। तदनुसार बिना समुचित शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों के नाम लिखने के एक प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के परामर्श लेते हुए विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). बिना समुचित शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों के पंजीकरण के आम विरोध को देखते हुए अब ऐसे चिकित्सकों के नाम एक अलग सूची में लिखने का प्रस्ताव है जिसे राज्यों

के मुख्य चिकित्साधिकारी रखेंगे । वे उस रजिस्टर में सम्मलित नहीं होंगे जिसमें चिकित्सास्नातक रजिस्टर किये जाते हैं ।

4 मार्च 1970 में अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Statement Counceting answer to unstarred question No 1476 dated 4-3-1970.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 4 मार्च 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के भाग (क) के उत्तर में कहा गया था कि 1944-45 के दौरान आई० एन० ए० के विभिन्न पदों के कई बैज स्कांधिकाएं, आयुध तथा गोलावारूद और आजाद हिन्द फौज द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाएं पकड़ी गई थीं और वह रक्षा मंत्रालय के ऐतिहासिक अनुभाग में रखी गई थीं ।

2. अब पता चला है कि यद्यपि आई० एन० ए० के कुछ बैज और स्कांधिकाएं तथा आई० एन० ए० द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं की प्रतियां ऐतिहासिक अनुभाग के अधिकार में हैं, आई० एन० ए० प्राप्त आयुध और गोलाबारूद उस अनुभाग के अधिकार में नहीं हैं । इस विलम्बित प्रावस्था में उन आयुधों और गोलावारूद के अन्तिम निपटारे का पता लगा पाना सम्भव नहीं हो पाया ।

आई० एन० ए० द्वारा प्रयोग में लाए गए आयुध और गोलावारूद जापानी सेना द्वारा प्रयुक्त आयुधों इत्यादि के समान थे । यह आयुध और गोलावारूद तत्काली नीति के अनुसार ट्राफियों के तौर पर विभिन्न मैसों और यूनिटों को वितरित कर दिए गए थे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार में बैंकों के समाशोधन केन्द्रों (क्लियरिंग हाउस) के बन्द हो जाने और उसके फ़लस्वरूप वहाँ उद्योग-धन्धे और कारोबार ठप्प हो जाने का समाचार

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I call the attention of the **Minister of Finance** to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

> "Reported closure of clearing houses of banks in Bihar resulting in industries and trade coming to a standstill".

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : Work in the clearing house in Patna came to be suspended from the last week of August 1970. This was on account of the employees of most of the banks in Patna refusing to accept the instruments of the State Bank of India, which had suspended four of its employees for alleged acts of indiscipline. The clearing work at some other places in Bihar was also affected. The suspension of clearing work put the trade and commerce in Bihar to considerable inconvenience.

The Assistant Commissioner of Labour (Central), Patna, mediated in the matter but did not succeed in his efforts.

The State Bank of India, after consulting recognised union, has reviewed the position and withdrawn orders of suspension on the four employees. Normal working in the clearing houses is also expected to be resumed immediately.

I appeal to the Hon'ble House to extend its [illegible] strengthening the atmosphere of goodwill and understanding created in the [illegible] of the latest developments, so that full banking facilities are available to the people and particularly trade and commerce in Bihar as early as possible.

Shri Ramavatar Shastri : Just now the hon. Minister has stated that four employees of State Bank were suspended for alleged acts of indiscipline. But the fact is that the strike took place in connection with the effort of the employees to safeguard the rights of the union: After this bureaucrats began to work despoticaily and they were not prepared for compromise and the result was that the work of clearing houses came to a standstill from 28th August in Patna and other cities. Clearing houses in Ranchi, Jamshedpur, Jharia, Dhanbad, Bhagal Pur, Mujjafar Pur, Patna and all other cities came to standstill.

I met the hon. Minister and told him that it is not proper to punish four employees and create in convenience to the people of Bihar. Business in Bihar should not be allowed to come to a standstill. Chhota Nagpur Chamber of Commerce also called the attention of the hon. Prime Minister, hon. Home Minister and other Ministers by sending them telegrammes contents of the telegram is as under :—

> "Trade and Commerce paralysed due to closure of clearing houses in Bihar. Huge consignments of goods, lying with Railways uncleared. Shortage of consumer goods and public difficulty mounting. Request immediate intervention for restoration of normal banking services".

By this telegram the house should understand the gravity of the situation. It is good that this situation is on last legs and orders of suspension are being withdrawn without condition. May I know from the Government whether they will anounce that suspended employees will be given full pay for the suspension period ?

There are three different scales prevailing in the bank. First scale is of State Bank employees. Second scale is of the other Bank employces, who are getting the scales according to bi-partite agreement made between Indian Banks Association and All India Bank Employees in October. Third scale is of the employees of Bihar Bank, which was amalgamated in State Bank. May I know whether keeping in view the present situation Government are prepared to give the scales of State Bank employees or scales which were fixed under bi-partite agreement. I would request that offices should not resort to such course of action which may affect the people. What steps Government are contemplating in this regard so that such situation may not arise in Bihar or any other State in future ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने अन्त में कुछ प्रश्न पूछे हैं परन्तु उनका पहला वक्यव्य बहुत बड़ा था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जहां तक निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बित कार्यवधि के लिए वेतन देने का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि जब निलम्बन समाप्त कर दिया जाएगा तो बैंक गुण दोष के आधार पर मामले पर विचार करेगा। भविष्य में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं उन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करूंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य तथा उनके साथियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि वे इस ओर ध्यान दें कि बैंकों के कार्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और मान्यता प्राप्त संघों और अल्पसंख्यक संघों के बीच अच्छे सम्बन्ध बने रहें। यदि वे मामले में रुचि लें तो समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है।... (व्यवधान)

मैं समस्या को सुलझाने में प्रयत्नशील रहूँगा परन्तु बहुत कुछ संघ के नेताओं पर निर्भर करता है।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) ; Custodian of Banks and high officials are having bureaucratic attitude and therefore they are not keeping good relations with their employees. They do not consider any of their genuine demands. Agent of State Bank in Motihari, district Champaran has taken bribe from people. Are Government aware of the difficulties arising out of such situation ? What steps Government are contemplating to transfer them and remove the difficulties of people ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कहा है कि अधिकारी वर्ग तथा कर्मचारी वग के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिये । मैं उनके इस मत से सहमत हूँ ।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि पहले के बिहार बैंक के इन कर्मचारियों को द्विपक्षीय समझौते के अधीन विशेष वेतन-मान मिल रहा था ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार बैंक के स्टेट बैंक में विलय के बाद इन कर्मचारियों को हानि नहीं होगी बल्कि लाभ होगा ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : इस सम्बंध में मेरे पास कोई ब्यौरा नही है लेकिन यह ऐसे मामले हैं जो प्रबंधकों और संघों के बीच सुलझाये जाते हैं ।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : According to the statement given by the hon. Minister the suspension orders of four employees have been withdrawn and the work of clearing houses will be normal. I want to know about the terms of agreement when Bihar Bank was amalgamated into State Bank. Will the hon. Minister assure the House that he will ask the officers to comply with the terms of agreement ?

Secondly, the position of Bihar is this that people of Bihar get 25 percent credit facility of the deposits of Nationalised Banks. Closure of clearing houses have created many difficulties. May I know whether he will take steps to remove difficulties in regard to credit facilities ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक उद्योगों तथा व्यापार को हो रही असुविधा का प्रश्न है, यह हम सब के लिए खेद का विषय है । जब माननीय सदस्य मुझसे मिलने आए तो मैंने उन्हें बताया था कि सरकार इस मामले में रुचि ले रही है । मेरे विचार में समस्या कितनी ही उलझी हुई क्यों न हो, उसे रचनात्मक कार्यों द्वारा सुलझाया जा सकता है । अतः माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है । कि समस्या को सुलझाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए और यदि प्रयत्नों में सफलता न मिले तो उस स्थिति में श्रमिक संघ, श्रमिक संघ अधिनियम के अधीन कार्य कर सकता है । मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह सजग हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न हों और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं श्रमिक संघों के अखिल भारतीय नेताओं से सम्पर्क बनाए रखने के बारे में प्रयत्न-शील हूँ ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने कलकत्ता में पुलिस द्वारा 11 युवकों की हत्या करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था । परन्तु आपने उसे अस्वीकार कर दिया । ** हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए ।

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

****Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष मोहदय : मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे बैठा नहीं सकते । मैं आपकी बात नहीं सूनूँगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा । माननीय सदस्य अचानक उठ कर क्यों चीख रहे हैं ?

ज्योतिर्मय बसु : आपने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है । **पुलिस ने वहां आतक मचाया हुआ है··· (व्यवधान)

श्री हेम बरुआ : मैंने आपको 11 मृत व्यक्तियों की लाशें पाए जाने के बारे में लिखा था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक समय में एक माननीय सदस्य बोले ।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) ऐसी घटना तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुई थीं ।

श्री ही ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : पश्चिमी बंगाल में एसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया है । हमने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिए थे । सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए । 11 युवकों की हत्या की गई है और आरोप है कि ये हत्याएं पुलिस ने की । पुलिस भयानक घातक हथियारों से लैस होती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ** (व्यवधान)

श्री ही० ना० मुकर्जी : संसद को इस बात की जांच करनी है । मैं चाहता हूँ कि डा० रामसुभग सिंह तथा सभी विपक्षी नेता तथा सतारूढ़ दल के नेताओं को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या जांच की जा रही है और कौन से सुधारात्मक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप उनको संरक्षण दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

अध्यक्ष महोदय : आप सदन की कार्यवाही में बिना कारण विघ्न डाल रहे हैं ।

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

****Expunged as ordered by the Chair.

****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

****Expunged as ordered by the chair.

श्री ज्योतिर्मय बसु ** (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रति दिन लोगों को मौत के घाट उड़ाया जा रहा है। कलकत्ता में गुरिल्ला युद्ध हो रहा है।

डा० रामसभग सिंह (बक्सर) : यह वीभत्स हत्याओं का मामला है। पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। यदि कोई स्थायी उपाय न किए गए तो ये घटनाएं घटती रहेंगी। अतः इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए क्योंकि इसमें सरकार का दोष है। कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को फिर से कायम करना तथा युवकों के जीवन को सुरक्षित बनाना देश के लिए चिन्ता का विषय है। अतः एक स्थायी उपाय किया जाना चाहिए और सबसे पहले मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रतिदिन हत्याकांड की घटनाओं के कारण पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। अतः माननीय मंत्री को सदन में वक्तव्य देना चाहिये। यह आरोप लगाया गया है कि ये हत्याएं पुलिस द्वारा जानबूझकर की गई और इसमें अन्य दलों का भी हाथ है। माननीय मंत्री को स्पस्टीकरण देना चाहिए उसके बाद ही इस मामले पर चर्चा की जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ** (व्यवधान)

श्री त्रिदीब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : यह एक गम्भीर मामला है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें सन्देह है कि इन हत्याओं के पीछे पुलिस का हाथ है।

आये दिन वहां ऐसा होता रहता है और जिस प्रकार इस के बारे में पश्चिम बंगाल का गृह विभाग और पुलिस अपने बयान देती है उससे तो हमें यह संशय होता है कि तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है। यह वास्तव में एक बहुत गम्भीर मामला है और यदि यह संसद इसके बारे में कुछ नहीं करेगी तो समूची बंगाल में विद्रोह खड़ा हो जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलिपुर) : जहां यह लाशें प्राप्त हुई हैं, उस क्षेत्र के लोगों से हमें पिछले ही दिनों दर्जनों तार आ चुके हैं। उस क्षेत्र के लोग इन हत्याओं से काफी उत्तेजित हैं। इस तरह की हत्यायें तो कभी अंग्रेजी शासन काल में भी नहीं हुई थी। वहां के लोग पुलिस पर शक करते हैं। पुलिस वहां मनमाने ढंग से अत्याचार कर रही है। हम मांग करते हैं कि इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

****अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया**

****Expunged as ordered by the chair.**

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : वहाँ जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही गम्भीर है। लोगों को गोली मार कर सड़क पर एक ओर फेंक दिया जाता है। सभी ने इस प्रश्न पर चर्चा की अनुमति मांगी है। समझ में नहीं आता कि इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति क्यों नहीं दी जाती। जब लोग उत्तेजित होंगे, तो फिर उन्हें रोकना किसी की बल का रोग नहीं होगा।

श्री ज्योतिमय बसु : 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक उन्होंने 19 व्यक्तियों को गोली का निशाना बनाया है।**

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, आप भला क्यों चुप हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत खेद पूर्ण बात है, आखिर हद होती है .....

ज्योतिर्मम बसु : कोई हद नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह शब्द वापिस लेना पड़ेगा। मैं श्री गोपालन से निवेदन करूंगा कि इन्हें कुछ समझायें। गम्भीर से गम्भीर विषय इस सदन में उठाये जाते हैं। परन्तु हर बात का एक तरीका होता है।

श्री ज्योतिमय बसु, आप कृपया यह शब्द वापिस ले लीजिये। मैं यह सभा पर छोड़ देता हूँ कि वह क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उन्हें यह वाक्य वापिस लेना चाहिए या फिर उन्हें बाहर फेंक दिया जाये।

श्री अ० कु० गोपालन : बंगाल में जो कुछ हुआ है उससे वहां के सदस्य बहुत उत्तेजित है। मैं उनके स्थान पर यह शब्द.....

डा० राम सभग सिंह : यह शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुःख की बात है। हम एक दूसरे से तर्क वितर्क कर सकते हैं परन्तु इस गरिमामय सभा में बोलने का यह कोई तरीका नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker. Sir, it is evident from the news coming from Calcutta that innocent youngman are bein; shot by police in the name of Naxalites. It has appeared in todays newspapers that Preventive Detention Act has been signed by the President. This House should be given an apportunity to discuss this issues.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : There are two types of news about these murders. In one news item it has been alleged that police has committed these murders. In another news item it is stated that these murders have been committed by Marxists themselves and those people were involved in it who wanted to disclose their secrets. It is therefore necessary a commission of inquiry should he to go into this case. As regards Adjournment, it is upto the Speaker to accept it. I have got no objections even if discussion is allowed.

****अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as orderded by the Chair.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह एक अभूतपूर्व घटना है। ग्यारह शव विभिन्न स्थानों पर फेंके गये। ये समस्त हत्याएं षड़यन्त्र पूर्ण ढंग से की गई है। मैं इनसे इतना खिन्न हो गया था कि आज डाक्टर के आदेश का उल्लंघन करके यहां आ गया हूं। चाहे इन हत्याओं के कारण कुछ भी हों, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है और इस पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर, तुरन्त चर्चा की जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि या तो आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें या इस पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। इस विषय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये, केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसके लिए काफी नहीं है क्योंकि इन निर्मम हत्याओं से सम्पूर्ण बंगाल की आत्मा को ठेस लगी है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायं) : पश्चिम बंगाल में बारासत में जो 11 शव मिले हैं, उससे भारी उत्तेजना फैल गई है। यह प्रश्न प्रमुख नहीं है कि उनकी हत्या किसने की है अपितु प्रश्न यह है कि उनकी हत्या तो की ही गई है। वह केवल 15 से 17 वर्ष तक के युवक हैं। इस सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिए और सरकार को सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha (Mhdhubani) : Mr. Speaker, Sir, it is evident from the number of 11 youngmen that there is no President Rule in West Bengal but the rule of bullets is there.

Sir, the President has signed a legislation today, but we were not given an opportunity to discuss the same. The acts of this Government before that the Prime Minister is not interested in democracy and wants the rule of bullets to continued. That is why I want that adjournment motion, brought before the House should be accepted.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : क्या सरकार के पास इस विषय में कहने को कुछ भी नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है। ये नवयुवक उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा मारे गये या पुलिस द्वारा ?

Shri Bhagaban Das (Ausgram) : The murder of 11 youngmen in West Bengal is a matter of great concern and this House should be allowed to discuss the same in the form of an adjournment motion.

श्री रणधीर सिंह : मेरा विचार है कि इस सम्पूर्ण मामले की न्यायिक जांच करायी जानी चाहिये ताकि जो भी व्यक्ति अथवा एजेन्सियां इस प्रकार के कार्यों में भाग लेती हैं, उनका पता चल सके और सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर): यह वास्तव में एक बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि हत्यायें ही भयंकर तथा बर्बरता पूर्ण ढंग से की गई हैं। इनके बारे में विभिन्न भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकार इस सारे मामले की एक न्यायिक जांच कराने की घोषणा करे। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक गम्भीर मामला है

सभा के सभी सदस्यों को इस पर दुःख हुआ है और यह भारी चिंता का विषय है। हम निश्चय ही इसके बारे में सूचना एकत्रित कर रहे हैं और कल इस पर वक्तव्य दिया जायेगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं आज शाम को ही सभी तथ्य सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने इन हत्याओं के बारे में सुना था तो मुझे भी भारी दुःख हुआ था। परन्तु इन सभी बातों पर चर्चा करने का एक ढंग है, एक तरीका है। इस प्रकार के विषयों पर पहले भी कई बार चर्चा की अनुमति दी गई है और भविष्य में मैंने इन पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसी घटनायें तो होती ही रहती हैं। परन्तु माननीय सदस्यों को इस प्रकार उत्तेजित नहीं होना चाहिये। ऐसा करने से कोई भी लाभ नहीं होता।

जब यह प्रस्ताव मेरे समक्ष आया, उस समय ही मैंने सोचा था कि इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। मुझे मालूम नहीं था कि सरकार की स्थिति क्या है। आमतौर पर मुझे तो सभी तरफ से पता लगता रहता है। फिर यह तो एक ऐसी घटना है जिसे सुन कर हमारे सिर शर्म से झुक गये हैं। हमें इस पर चर्चा करने के लिए किसी न किसी प्रकार समय निकालना चाहिए और अगर सभा के लिए सुविधा पूर्ण हो तो आज ही इस पर विचार किया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : श्रीमान जी, जब यह मामला सभा के समक्ष आया है तो मैं प्रधानमंत्री से इस विषय में विचार-विमर्श करना चाहूंगा। यदि आप चाहें तो मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे सकता हूं।

श्री अ० कु० गोपालन : श्रीमान जी आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की पहले इस पर वक्तव्य देने दिया जाये, तत्पश्चात् हम इसके बारे में निर्णय करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बरौनी स्टेशन पर लगी आग में बारे के वक्तव्य

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) मैं श्री नन्दा की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी स्टेशन पर 11 नवम्बर 1970 को लगी आग के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। (**ग्रन्थालय म रखा गई। देखिये** एल० टी० संख्या 4348/70)

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I want to say something about the statement regarding Barauni fire of 11th November. Shri Limaye was also to say something but then a statement came from Minister. In this way we are deprived of the apportunity of cross-examining the Minister. Members must be given an apportunity to ask questions from the Minister.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In the first instance the apportunity to speak should be given to the Members who tabled the calling attention motion before the Minister is called for his statement.

Mr. Speaker : But it has appeared on agenda paper.

पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियों का निवारण) अधिनियम

यह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियों का निवारण) अधिनियम, 1970 (1970 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 19) की एक प्रति, जो दिनांक 22 नवम्बर, 1970 की भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूँ। (**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4349/70**

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे वायु निगम (संशोधन) विधेयक 1970 की एक प्रति भेजने का निदेश मिला है जिसे राज्य सभा द्वारा 17 नवम्बर 1970 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया है,।

वायु निगम संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

AIR CORPORATIONS AMENDMENT BILL ON PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन, मैं राज्य - सभा द्वारा पास किये गये रूप में वायु निगम (संशोधन) विधेयक 1970 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अधिवक्ता दूसरा संशोधन विधेयक

Advocates Second Amendment Bill

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : महोदय, मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किये गये विधेयक को जिसे राज्य सभा ने 16 दिसम्बर 1968 को पारित किया था तथा 18 फरवरी 1969 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था, वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ। सदन ने मेरे प्रस्ताव पर राज्य सभा से विधेयक वापिस लेने के लिये स्वीकृति दे दी थी अतः मैं इस प्रस्ताव को नियम 110 के दूसरे उपबन्ध के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I rise on a point of order. It is given in Rule 110 that after the motion is adopted by the house and concurred by the council, the member incharge shall move for leave to withdraw the Bill.

The other rule is when a Bill pending in Lok Sabha is sought to be withdrawn by Government, a statement containing the reasons for which the Bill is being withdrawn shall be circulated to Members by the Ministry concerned sufficiently in advance of the date on

which the motion for withdrawal is sought to be made. But he has not given the reasons as to why he wants to withdraw the Bill. It is against the Rule and therefore I oppose the motion.

श्री जगन्नाथ राव : मैंने पिछले सत्र में विधेयक की वापसी का प्रस्ताव रखा था और माननीय सदस्यों को इस विषय में सूचित भी किया था।

श्री बलराज मधोक : (दक्षिण दिल्ली) मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई संकल्प सदन के समक्ष रखा जाता है तो उसे सोच समझ कर रखा जाये। बेकार ही धन और समय को व्यर्थ न गंवाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उपरोक्त विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक वापिस लेता हूँ ।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : विधेयक वापिस लिया जाता है । समिति मे विचार के समय अनेक बातें उठती हैं। वह बुरी बात नहीं है। यदि उन्होंने वापिस लिया तो अच्छा किया है। लेकिन भविष्य में जब सरकार एक विधान पेश करनी है तो बाद में ये बातें उठ सकती हैं...

श्री जगन्नाथ राव : क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूँ ? जब यह विधेयक राज्य सभा में पारित होने के बाद लोक सभा में रखा गया तो कुछ सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा, और इस सदन द्वारा एक प्रवर समिति बनाई गई जिसमें न केवल इसके सस्यों द्वारा अपितु कई बार एसोसियेशनों द्वारा कुछ नए संशोधन सुझाए गए किन्तु वे संशोधन और सुझाव इस विधेयक – के सीमा क्षेत्र में नहीं आ सकते अत: तत्कालीनविधि मंत्री विधेयक को वापिस लेने के लिए मान गए ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री हनुमन्ताय्या के 17 नवम्बर 1970 के प्रस्ताव पर जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों/जनजातियों को सम्मिलित करने तथा कुछ को उसमें से निकालने के लिए संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार करने के लिए कहा गया था, आगे विचार करेगा ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Five minutes past Fourteen of the clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति देश (संशोधन) विधेयक-जारी

SHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री इन्दजीत गुप्ता (अलीपुर) : मैं दो महत्वपूर्ण मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे यह निश्चित किया जा सके कि उन पर किस प्रकार चर्चा की जाए। इनमें से एक अमरीका द्वारा उत्तरी वियतनाम पर फिर से बमबारी आरम्भ करना है और दूसरा राजस्थान में देवली के पू० बंगाल के शारणार्थी शिविर में 150 शरणार्थियों के मरने का समाचार है।

सभापति महोदय : मुझे आशा है सदस्यों ने इसकी उपयुक्त सूचना भेज दी होगी। यदि हां तो क्या इस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, five thousand college teachers and eight thousand non-teaching staff in Bihar are on strike. I want that Government schould give a statement in this regard.

सभापति महोदय : हमें इस समय अनुसूचित जाति विधेयक पर विचार करना है। श्री मोलहू प्रसाद बोलें, उपस्थित नही है। श्री भण्डारे अपने विचार व्यक्त करें।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मदय) : इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। एक यह कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की गणना के लिए दो सुचियां दो और दूसरा निर्वाचन आयुक्त को इन सूचियों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन में सहायता देना है। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद मेनन ने किसी जाति को सूची में शामिल करने की सरकारी नीति घोषित करते हुए कहा था कि सरकार और अधिक समुदाय इन सूचियों में शामिल नहीं करना चाहती है बल्कि उन समुदायों को इन सूचियों में से निकालना चाहती है जिन्होंने कुछ विकास कर लिया है किन्तु इस विधेयक से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सूची में नई जातियां जोड़ने की होड़ लगी हुई है। इस सूची को तैयार करने में निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया गया। इस सूची में उस व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो अस्पृश्यता का शिकार होने के कारण अकेला पड़ गया है। दूसरा आधार निर्धनता भी है। कुछ सदस्यों को यह गलतफहमी भी हो गई लगती है कि शहरों में अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। हो सकता है कुछ स्थानों पर शारीरिक छूआ-छूत कम हो गया हो किन्तु अस्पृश्यता की भावना अभी भी बनी हुई है। गाँवों में तो अभी यह पूरी तरह से विद्यमान है। अभी भी गांवों में सवर्ण हिन्दू और अन्य जातियां गांव के एक ओर तथा अनुसूचित जाति के लोग दूसरी ओर रहते हैं।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है इसके लिए उनक निवास स्थल, भौगोलिक अलगाव ही मुख्य आधार होते हैं। इसके साथ ही उस समुदाय के आदिम लक्षणों तथा पिछड़ेपन को भी देखना होता है। सदन में तथा इससे बाहर विवाद चल रहा है कि ईसाई मत को अपनाने वाली जनजातियों को संविधान में प्रदत्त सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु इस मामले में धर्म को आधार नहीं बनाया जाना चाहिये। कोई जनजाति तो जनजाति ही रहेगी क्योंकि पिछड़ापन ही उसका चिन्ह है और जंगल ही उनका निवास स्थल है, जहाँ ऊंची जाति के लोगों ने उनकी ज़मीन को लूट लिया है। अनुसूचित जातियों के लिए हिन्दुत्व अथवा वर्ण व्यवस्था अर्थात-अस्पृश्यता आधार हो सकती है किन्तु अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण के लिए धर्म कभी आधार नहीं रहा। उनके आदिम लक्षणों को ही, जोकि रीति रिवाज़ों, विवाह, जन्म, वंश, पूजा, व्यवसाय तथा निवास स्थल आदि में निहित होते हैं, आधार बनाया जाना चाहिए।

इस विधेयक का उद्देश्य सभी प्रकार के क्षेत्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करना था। हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जातियां अथवा जनजातियां भले ही कश्मीर में रहें या केरल में, अनुसूचित जातियां/जनजातियां ही रहेंगीं। किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से ही उनकी यह मान्यता समाप्त नही हो जाती। अनुच्छेद 341 और 342 की शब्दावली निश्चित उद्देश्य और निश्चित अर्थ को लिए हुए है। इनमें क्षेत्रीय प्रतिबंध की बात इसलिए कही गई थी ताकि कोई व्यक्ति सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में न चला जाए।

सरकार इस विधेयक द्वारा कई जातियों को सूची में शामिल करने या उसमें से निकालने के लिए लगभग 330 संशोधन ला रही है। इस विधेयक से कई जातियों के साथ अन्याय हुआ है। हमें वडार और कई खानाबदोश जातियों को इस सूची से निकाल कर उनके जीवन से नहीं खेलना चाहिए। अतः मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे किसी जाति को शामिल करने अथवा उसे सूची से बाहर निकालने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पौन्नाणि) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ किन्तु साथ ही मैं कुछ बातों की ओर ध्यान भी दिलाना चाहता हूँ। केरल की पणियन जाति को प्रवर समिति ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है किन्तु सरकार उसे सूची से हटाने का संशोधन प्रस्तुत कर रही है। यह बात न्याय संगत नहीं है क्योंकि यह जनजाति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तथा राजनैतिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

मेरी दूसरी बात का संबंध दूसरी अनुसूची के भाग 2(क) से है। यह सच नहीं है कि ईसाई जनजातियों के लोग उन्नत सभ्य या धनवान हो गए हैं। ईसाई होते हुए भी वे सभी प्रकार से पिछड़े हुए हैं। अतः दूसरी अनुसूची में 2 क रखना न्याय संगत नहीं है।

इस तरह मैसूर की भोवी जाति को भी प्रवर समिति ने अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

राजगोंडों के बारे में भी यह सत्य नहीं है कि उनका सम्बंध राजपरिवार से है ये राजगोंड आदिवासी हैं । इन्हें भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए ।

श्री सोनावने (पंढेरपुर): मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ और संयुक्त प्रवर समिति द्वारा इस विधेयक पर किए गए निर्णय की प्रशंसा करता हूँ । स्वर्गीय श्री गोविन्द मेनन ने भी अनुसूचित जातियों/जनजातियों की दशा सुधारने के लिए ईमानदारी से काम किया था ।

इस विधेयक में दो बातें स्वागत योग्य हैं । उनमें से एक वह उपबंध है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई स्त्री अनुसूचित में उल्लिखित जाति के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो वह पति की अनुसूचित जाति से सम्बन्धित समझी जाएगी किन्तु मैं इसका दूसरा पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ । मान लीजिए अनुसूचित जाति की कोई स्त्री किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो उसे किस जाति का समझा जायेगा और यदि उनमें तलाक हो जाता है, तब क्या होगा । उस स्त्री को सभी वे सुविधाएं दी जानी चाहिए जो अनुसूचित जाति की स्त्री को मिलती हैं ।

दूसरी बात अनुसूचित जातियों के स्थान बदलने की है । एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को अब मान्यता मिल गई है । यह स्वागत योग्य कदम है ।

श्री सिद्दय्या (चामराज नगर) : सरकार ने इससे संबंधित उपबंध को स्वीकार न करने के लिए संशोधन रखा है ।

श्री सोनावने : यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे स्वीकार करे अथवा नहीं क्योंकि संसद प्रभुसत्ता सम्पन्न है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न जातियों को शामिल करने के लिए ये अधिकारी उतावले क्यों हो रहे हैं । मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक कोई जाति इन निर्धारित मानदण्डों पर खरी नहीं उतरती उसे न तो सूची में शामिल ही किया जाए और न ही बाहर निकाला जाए । इस विषय में मंत्री महोदय को अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों की बैठक बुलाकर उनसे परामर्श करना चाहिए ।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में निर्धारित मानदण्डों को भविष्य में मार्गदर्शन के लिये विधेयक में समाहित किया जाना चाहिए ।

***श्री मंगलाथुमाडम** (सवेलिक्करा) : श्रीमन, सामान्य तौर पर मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ । इस विधेयक से स्पष्ट सिद्ध होता है कि सरकार देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के संरक्षण और उत्थान में कितनी रुचि रखती है । यह विधेयक अगस्त 1967 में पुरः स्थापित किया गया और अब 40 माह बाद यहाँ इस पर विचार करना आरम्भ किया गया है । क्या इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान में सरकार की रुचि का पता नहीं चलता ?

इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का निर्माण आगामी आम चुनावों से पूर्व किया जाना है । साथ ही 1971 के आरम्भ में जनगणना का कार्य भी होना है । अतः

*** मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित**

Translated from English version of malayalam Text

इस विधेयक के इस समय अधिनियम बन जाने पर भी अगले आम चुनावों से पूर्व इसे लागू नहीं किया जा सकेगा ।

स्वयं मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये 130 संशोधनों से भी यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार ने इस विधेयक को तैयार करते समय गंभीरता से कार्य नहीं किया क्योंकि सरकार जानती है कि यह तो देश के गरीबों और पिछड़े लोगों से सम्बन्धित विधेयक है ।

मंत्री महोदय द्वारा प्रवर सामति की इस सिफारिश में संशोधन का मैं पूरा विरोध करता हूँ कि यदि अनुसूचित जाति का अनुसूचित जन जाति का कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाकर वहां रहना आरम्भ कर दे तो भी उसे अनूसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य समझा जाना चाहिए । साथ ही उनके इस संशोधन का समर्थन करता हूँ जिसमें यह मांग की गई है कि अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई या मुसलमान बत जाने पर भी उन्हें उक्त जाति का माना जाना चाहिये । मैं प्रवर समिति के इस मत से सहमत नहीं कि अब तक दी जा रही इस सुविधा को एक दम समाप्त कर दिया जाये । अनुसूचित जातियों को केवल हिन्दू या सिख समुदाय तक ही समिति नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि बौद्ध तथा ईसाई धर्म अपनाने वालों को भी उक्त सुविधा दी जानी चाहिये । भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र है अतः यहां किसी जाति विशेष के आधार पर पिछड़े वर्गों का श्रेणी करण नहीं किया जाना चाहिये ।

कहा जाता है कि इस सूची में 1700 जातियों के नाम हैं परन्तु मुझे सन्देह है कि यह सूची अब भी पूर्ण है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि केरल तथा उड़ीसा में क्षेत्रीय भाषाओं में नियुक्त नाम जब इस सूची में आते हैं तो अनेक कठिनाईयां पैदा होती हैं क्योंकि यह सूची अंग्रेजी भाषा में हैं । जातियों के नाम ग़लत लिख दिये जाने से भी कई जातियों को इस सूची में होने का लाभ नहीं मिल पाता । शायद यह इसलिए भी होती है कि वर्तमान विधि मत्री केरल की अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के बारे में नहीं जानते अन्य केरल का पानिया समुदाय भी इस सूची में शामिल होता ।

श्रीमन् इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमारे समाज का जो भी वर्ग अनुसूचित जातियों/जन जातियों में शामिल किये जाने का पात्र हो, उसे केवल इस कारण उक्त सूची में शामिल किये जाने से वंचित न रखा जाये कि अंग्रेजी भाषा में उसके नाम को किस प्रकार लिखा जाता है । यह बात मैं इस लिये कह रहा हूँ कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भूल से बचे वर्गों को बाद में शामिल कर लेने की व्यवस्था नहीं है ।

अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगा कि केवल नाम की लिखावट के आधार पर उस वर्ग को इस सूची में शामिल किये जाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिये । पानिया समुदाय को अवश्य ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए ।

Shrimati Minimata, Agam Dass Guru (Janjgir) : Mr. Chairman, Sir, I support this amendment Bill. The Government has spent a lot of money in preparing this Bill

and the committee appointed for this purpose had also put in quite much labour and visit. If the Govt. pays proper attention towards its implementation also, it is sure to benefit all the Harijans and Adivasi communities.

However, a little bit adjustment are necessary in this Bill. In some States many people have been converted into christianity and many are being converted. I propose that the facilities which were being extended to them when these people were belonging to various scheduled cas es tribes, should be withdrawn forth with, and the same should be increased for those who have not been converted and continue to be backward.

The tribes which have made advancements are none but those who have become christians and 24 to 30 per cent of them are educated. This shows that those who did not change their religion and continue to maintain their old culture, customs and way of living, are comparetively much backward and one cannot find more than two percent of them as educated. Bastar District of Madhya Pradesh comprises of Adivasis and all these people are very much backward in the field of education. So, such poor and backward people should be provided with more and more facilities instead of providing to those who have already made enough advancement by convesting into christanity ?

Then, certain Adivasis who have taken to christianity still claim to belong to their original caste and claim to worship the same Gods and Godnesses. But the facts are con rary to that. This is simply to mislead the poor Harijan people and encourage them to came to the christian told. Virtually they are christiasn but claim to belong to their earlier scheduled caste tribe only to get poli tical and other benefits. In this House also quite a number of such, hon-Members are factually christians but claim to belong to the backward classes. A clear distinction should be made in these groups of people and the facilities provided under this Act should be given to those tribals only who have not joined christianity. Let their facilities be given to persons coming from Pakistan most of whom belong to Harijans and others backward communities and who could live in Pakistan had they agreed to change their religion.

Then, in Madhya Pradesh, there is community 'Rajgaud' which has been a community of rulers and Kings. They had no relation or connection whatsoever with the other community namely the Gauds. The Rajgauds make us matrimonial relations with the Gauds. So these two communities i. e. the Rajgauds and the Gauds are quite d fferent to each other and the former have been rulers and kings and at present also they are quite advanced where as the latter. i. e. the Gauds are poor and backward. The Chhatisgarh Palace in Madhya Pradesh also speaks of the history when that area was ruled by 36 Gauds who were called Rajgauds because of their belonging to ruler community. In 1923 these Rajgauds anyhow got themselves declared as Thakurs by paying Rs. 20,000 in a conference of Thakurs. And now they call themselves Rajputs. This is in brief the background history of these two communities. So, only the poor Gauds should be given the benefit of these provisions.

In case the Government want to give this benefit to the Rajgauds and the converted christians also, let a separate group be formed for them. We have no objections.

The number of Harijans in Assam is said to be 7,23,084 but it does not include the Harijans of the Tea Gardens there. I too am the daughter of a Tea Garden worker and 90 to 95 per cent workers these are Harijan Adivasis, who had come there from different State abouts 100 years ago. According to the custom in Assam. Harijan Adivasis work in Tea Gardens they live on agriculture. The workers in Tea Gardens are quite illiterate. and you will not find any boy or girl to have studied upto matriculation. They are not getting any facilities that are available to the members of sheduled castes and scheduled tribes; and therefore are not able to educate their children. I, therefore, request that the workers of these Tea Gardens should also be included among scheduled castes/ tribes. Three or four castes have been totally eliminated from this list.

It is wrong to suggest that the customs of Harijans, Adivasis continue to be same even after converting themselves into a different religion. This is misleading and is motivated only to get political gains. The administration is also giving facilities to such converted people, and the poor and backward Harijans Adivasis are given no hed. Therefore necessary amendments should be made to give benefits to these backward people.

Shri Shinkre (Panjim) : The Congress Members Shri Sonavane said, in crosswords, that the Govt. has tabled hundreds of amendments because of a lot of pressure from different quarters. May I know whether this pressure is from Ministers or congress indicate or the oppositions ?

When hundreds of amendment come from the Government side, it clearly proves from the Select Committee has gone into this Bill and also what prevails there within the congress (R) fold. We generally real in the Newspapers about the differences between Smt. Indra Gandhi and Shri Jagjivan Ram. Is it a fact that Shri Jagjivan Ram has got particular interests in this Bill ? He is the leader of the Harijans and the Tribals.

The amendment regarding Banjara Community probably has big politics behind it. The Chief Minister of Maharashtra belongs to Banjara Community and the Select Committee has not included this community in the list of scheduled castes and Scheduled Tribes. And that is only the Government under pressure, has tabled the amendment so as to include this particular community. I, being an Independent Member have nothing to do with their politics. However it is a matter of concern that after the clearance of the Bill by the Select Committee the Government have tabled several hundred amendments. That shows that the members of the Select Committee have not devoted to this Bill and did nothing in this regard. All these amendments are to be considered here in this House.

A large number of hon. Members have spoken on whether the Tribals or Adivasis who have converted their religion should be given these facilities or not. In this regard, I have to submit about a particular case in Goa. Portugese came to Goa in the sixteenth century and converted about 25 percent of Gawda tribes into christians who did not get these facilities since there was no classification of scheduled castes and Scheduled Tribes prior to 1967. However, no Harijans and the tribes people would be getting those facilities. But my point is that those converted people got converted once again into the Hindus in the Gawada Community. It is considered as the greatest defect of the catholic religion in the world since these converted people experienced no improvement in their living conditions while they observed all christian customs and routines. And after coming back to their original Ganwada Community they formed a separate group or class although these converted people have the same customs, faith and other things as the non-converted original Ganwadis have. My submission is that both of these groups should be included in the list of Scheduled Tribes and they should be given all the facilities which they did not get earlier.

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० च० जमीर): इस संविधान संशोधन विधेयक में अनेक बातें बहुत ही अच्छी हैं तथा स्वागत योग्य हैं क्योंकि इसके अधीन उन अनेक जातियों को भी शामिल कर लिया गया है जो पहले इसमें शामिल नहीं की गई थी । अब इन जातियों को बहुत लाभ पहुँचेगा ।

एक खण्ड पर प्रवर समिति द्वारा किए गए संशोधन से बिलकुल सहमत नहीं और उसका बड़ी कड़ाई से विरोध करता हूँ । प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि जो आदिवासी व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अथवा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं उन्हें किसी अनुसूचित जन-जाति में शामिल नहीं माना जायगा । यह एक अत्यन्त खतरनाक खण्ड है और मुझे आश्चर्य है कि

माननीय सदस्यों तथा राष्ट्रीय नेताओं से युक्त प्रवर समिति ऐसे खतरनाक खण्ड को क्यों शामिल किया। आप हम इस खण्ड को स्वीकार कर लेंगे तो इस्लाम अथवा ईसाई धर्म अपना लेने वाली अनुसूचित जन-जातियों पर इसकी तीव्रतम प्रतिक्रिया होगी। हमारा देश धर्म-निर्पेक्ष देश है और आप हम धर्म के आधार पर जातियों या अन्य बातों का निर्धारण करते हैं और यदि हम किसी जाति के पिछड़े हुए होने के लिये धर्म को मानदण्ड मानते हैं तो हम एक ऐसी परम्परा स्थापित करेंगे जो सारे देश की एकता और अखण्डता के लिये बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी। संविधान सभा ने इस बात का ध्यान रखा था और ऐसा खण्ड संविधान में नहीं आने दिया था क्योंकि उन संविधान-निर्माताओं का मत था कि देश के पिछड़े और अविकसित लोगों को चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान या ईसाई, उन्हें समाज के अन्य विकसित और समृद्ध लोगों के स्तर पर लाया जाये। आज यह सभा जिसके हाथ सारे देश का भाग्य जुड़ा है, स्वतन्त्रता के 20 वर्ष के बाद क्या यह देश के लिये घातक निर्णय करेगी ? इससे तो देश में बड़ी भ्रांति फैलेगी तथा देश की एकता और अखण्डता को भयानक खतरा पैदा होगा। हमारे देश का हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखता हो, इस देश का नागरिक है, भारतीय है।

दूसरी सिफारिश यह है कि जो आदिवासी अपने-अपने धर्म का प्रतिपालन नहीं करते,उन्हें अनुसूचित जन-जातियों को मिलाने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यह गलत है। न जाने यह सिफ़ारिश क्यों की गई है ? यदि देश को उन्नति करनी है तो देश के पिछड़े तथा उपेक्षित वर्ग को भी देश के शेष राष्ट्रीय स्तर तक लाना होगा। इसमें धर्म के आधार पर किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये।

ईसाई धर्म एक बहुत प्राचीन धर्म है जैसे कि हिन्दू धर्म है, या वह देश के लोगों के विभिन्न धर्मों में से एक है। ईसाई लोग अनेक कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा उन्होंने अनेक स्कूल,अस्पताल चिकित्सालय तथा धर्मार्थ संस्थान स्थापित किये हैं तथा इन संस्थाओं व संगठनों से केवल ईसाई ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के लोग समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म निरपेक्ष होकर हर जरूरतमन्द आदमी की सहायता करें। अतः यदि आप लोग इस विधेयक में ईसाई धर्म के विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार करते हैं तो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक खतरनाक बात होगी।

मैं एक बहुत नाजुक क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जहां मीजो और नागा विद्रोही विद्रोह कर रहे हैं। उन्हें विद्रोही मत कहिये, वे भी हमारे ही देशवासी हैं, हमारे अपने आदमी हैं। वे देश विरोधी बातें केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे सदियों से उपेक्षित रहे हैं और देश के शेष विकसित वर्ग की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ नागा लोग देश से अलग होने की बात करते हैं उसका भी यही कारण है। जिस समय उन लोगों ने वर्ष 1960 में सरकार के साथ करार किया उस समय मैं उस दल का सचिव था। वर्ष 1960 से ही हम लोग औपचारिक रूप से इस देश के नागरिक बने। हम जब भी वहां जाते हैं तो देश की अखण्डता की बात करते हैं तथा स्वयं को भारत संघ का नागरिक होने का दम भरते हैं, परन्तु आप लोग हमें वे सुविधायें नहीं देना चाहते जो संविधान सभा ने दी थीं। आप उन सुविधाओं को हम से छीनना चाहते हैं।

यदि आप देश की एकता, भावात्मक एकता को बनाये रखना चाहते हैं तो हमें देश के कमजोर वर्ग की दशा सुधारनी होगी। ईसाई धर्म लोगों को ज्ञान की रोशनी देता है यहाँ के अनेक माननीय सदस्यों ने ईसाई संस्थानों में शिक्षा पाई होगी। हमारे धर्म की शैक्षणिक संस्थायें जिन्हें मिशनरी लोग चलाते हैं देश में सर्वोत्तम संस्थायें मानी जाती हैं। इन संस्थाओं ने देश में बड़े-बड़े विद्वानों को जन्म दिया है। हम इन संस्थाओं के आभारी हैं। मिशनरियों द्वारा संचालित अस्पतालों तथा चिकित्सालयों में रोगी को रोगी समझकर उसका उपचार किया जाता है किसी धर्म विरोध का व्यक्ति समझकर नहीं।

अतः इस प्रकार की भेदभाव पूर्ण बात को विधेयक में शामिल करने से देश के विभिन्न वर्गों में दुर्भावना पैदा होगी। सरकार को यह याद रखना चाहिये कि ईसाई लोग भी भारत के लोग हैं जैसे 6 करोड़ मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं। यदि भूल से ऐसी गलती हम कर बैठे तो देश के टुकड़े हो जायेंगे। अतः हम इस खतरनाक खण्ड को भूल जायें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें जिसमें इस खण्ड को हटाने की मांग की गई है।

अंत में मैं यही कहूँगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का निश्चय करते समय धर्म को बीच में न लायें। धर्म विरोध को आधार न माने। क्योंकि धर्म का संबंध आत्मा से है अन्य किसी चीज से नहीं। देश की एकता को सर्वोपरि रखकर हमें इस विधेयक पर विचार करना चाहिये। यहां का कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो या ईसाई हो, वह भारत का नागरिक है। इन्हीं दृष्टि से इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिये।

Shri Ram Swaroop Vidyarthi (Karolbagh) : Shri Jamir has admitted that the religion should not be made the basis for considering such things. It may also be justified that a convent should also be given the right to progress. But we feel grieved when we find that about five per cent converted tribal people take away the rights and other facilities of the rest of the 95 per cent tribals. Can Shri Jamir quote even a single person among these 95 per cent tribals who could deliver a speech like that of him, who is as much educated as he himself is ?

These facilities are meant only for those people who could not come to the level of other advanced and progressed people. The purpose is to bring up those backward communities and tribals upto the level of other advanced communities, and not that these facilities should be enjoyed by those who are already advanced.

So, if the Government want to give protection to those non-converted and backward tribals, then let the suggestions made by the Joint Select Committee be accepted. But in case the Government comes under some pressure and get it passed, it is sure to prove harmful for the Scheduled Tribes. These Scheduled Castes and Schednled Tribes, in general, have not received the facilities and preveleges which were meant for them and they are still very much backward. All these benefits were taken away by those converts who have already made adequate advancement. So the Govt. should pay more attenation towards these 95 percent backward and poor people. In case the Government receives some objections in the name of secularism, then let a separate group be formed of these 5 percent people and give them these facilities on the basis of their percentage.

There are certain good things in this Bill and I welcome them. But what pains me is that inspite of Government's statement that they have accepted what the Joint

Select Committee has recommended, they have tabled more than 242 amendments. What is the reason therefor ? I believe that there is some pressure on the Government. When certain criteria has been accepted by them why then they ignore it ? Government is adequately empowered under clause 341 and 342 to include caste-even-the Brahmin caste-in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if so desired. Then do the Government hesitate to include the said criteria in the Bill itself ? If the Government is honest and do not want to bring politics therein let them make this criteria also the part of the Bill and accept my amendment in this behalf so that there may be some guidelines for future.

I thank the Government for making the provision to the effect that a scheduled caste person will be treated as a member of that scheduled caste even if he goes to some other State. But the scheduled caste members working in Tea Gardens have not been given these facilities. I submit that those poor persons should also be given these benefits. The Scheduled Caste/Tribes in Assam do not agree to work in Tea Gardens ; therefore the persons who come there from other States should not be victimised by excluding them from the list.

The Government say that they have climinated from the list certain names which appear insulting. It is not understood whether those castes have lost their name, and no other names have been given to them, and if so, how those people will be accounted for in the census 1971 ? The hon. Minister may kindly take special care to explain this point while giving his reply. Also whether the suggestion for changing such insulting names came from these castes itself and, besides Dhadh, Chandal, Charal, Panchma and Prayan, whether Chamar and Chuda are also not insulting ?

What is meant by this fact ? What is their caste ? How they are related ? All these questions must be clarified otherwise lakhs scheduled castes will not be able to get themselves registered as Scheduled Castes and will be deprived of their rights. It has already been opposed by Kerala, Madras and Andhra Pradesh Governments. Therefore, I request that Govt. should reconsider this.

A lot has been said about Banjara Community. No descrimination should be made between the Banjaras of Maharashtra, Mysore or Andhra Pradesh. If the Banjara Community in the country is placed is in the list of Scheduled Tribes, the Banjaras of Delhi should also be placed with them instead of placing under scheduled castes. Similarly, like the Meenas of Rajasthan, Delhi Meenas should also be listed among Scheduled Tribes.

That is all what I have to say.

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियाल गुड़ा) : सभापति महोदय, मैं बिधेयक के कुछ पहलुओं के वर्ष में टिप्पणी करना चाहूँगा । आन्ध्र-प्रदेश को विभिन्न ज़िलों में मछुवों के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, परन्तु सूची में केवल अग्निकुल क्षत्रियों को ही सम्मिलित किया गया है जबकि गंगोत्री जलर, बोया तथा अन्य कई जातियां जो कि मछुओं की ही होती हैं, उन्हें सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । मेरा विचार यह है कि समस्त मछुओं की चाहे वह अग्निकुल के क्षत्रिय हो या गंगोत्री, बोया, जलर या बेस्ता के, उन्हें सूची में सम्मिलित किया ही जाना चाहिए, क्योंकि वह सभी एक ही व्यवसाय के व्यक्ति हैं । मेरे इसी मत का समर्थन पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों में देखा जा सकता है । ये लोग भी सभी तरह से पिछड़े हुये हैं और इन्हें सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है ।

मैसूर राज्य की ओडर जाति भी सम्पूर्ण भारत की पिछड़ी हुइ जात ह । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये लोग इतने पिछड़े हुये हैं कि इनकी औरतों के पास

पहनने के लिए चोली तक नहीं होती। अतः इस जाति के लोग भारत में जहाँ कहीं भी रहते हों, उन्हें सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये, और उन्हें वे सभी सुविधायें दी जानी चाहियें, जिनके वे अधिकारी है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

हमें अपने लोकतन्त्रीय संविधान पर गर्व है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हम एक दूसरे के धर्म में (कोई अन्तर नहीं मानते अतः धर्म) आधार पर कुछ ईसाई जन जातियों के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। अतः कुछ लोगों का यह कहना कि हम ईसाई जन जातियों की सुविधायें देकर, अन्य जनजातियों की सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, पूर्णतया गलत है। हमें ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय अपने निहित हितों की पूर्णतया एक ओर रख देना चाहिये।

चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों की जनजातियों की सूची से अलग कर दिया गया है, यह उचित नहीं है। चाय-बागानों में काम करने वाली जनजातियों को अनसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये और उन्हें वे सभी सुविधायें दी जानी चाहियें चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी धर्म से क्यों न हो।

माननीय सदस्या श्रीमती मिनीमाता ने यह मत व्यक्त किया है कि जो भी लोग पाकिस्तान से आते हैं उन्हें ये सुविधायें दी जानी चाहिए मैं भी यही कहता हूँ कि कि चाहे पाकिस्तान से ईसाई ही क्यों न आयें, उन्हें ये सुविधाये दी जानी चाहियें क्योंकि ये लोग तो पहले ही कुछ राज्यों में अयोग्यताओं के शिकार बने हुये हैं। अतः ये सभी प्रकार की अयोग्यतायें समाप्त की जानी चाहियें। केरल सरकार ने सबसे पहले इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया है और मैं उसे इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ। मद्रास सरकार भी इसी दिशा में प्रयत्नशील है। मेरा अनुरोध है कि अन्य राज्य सरकारों को भी इसी दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। जब भारत के सभी राज्यों में इसी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जायेगा, तो हम निश्चय ही अपने आप पर और अपने संविधान पर गर्व कर सकेंगे।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करते हुये वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। बहुत से माननीय सदस्यों ने नौकरियों के प्रश्न को उठाया है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो पद आरक्षित होते हैं, उन्हें कभी भरा नहीं जाता। यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए भी, अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। यह भारी खेद की बात है कि उच्च शिक्षा प्राप्त अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी शिक्षा संस्थानों में नौकरियां नहीं मिलती इसके क्या कारण हैं? इस का कारण केवल यही होता है कि वह हरिजन होते हैं। अतः मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब तक उन लोगों के रवैये में परिवर्तन नहीं किया जाता, जिन्हें इस प्रकार कि नियुक्तियां करनी होती हैं, जिन्हें अधिकार दिये गये हैं, तब तक आप कितने भी विधान

क्यों न बनालें इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है । न जाने इस समाज का क्या होगा ? यह सब कुछ हिन्दू समाज ही कर रहा है, वही मनुष्य को मनुष्य से घृणा करना सिखाता है ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : यह बिल पर विचार हो रहा है या हिन्दू धर्म की आलोचना की जा रही है ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : He does not know anything about Hindu religion. He has got no right to condemn Hindu religion.

Mr. Chairman : You are correct, but speaker can deviate a hit. I will request the hon. Member to concentrate himself on the Bill.

डा० रानेन सेन : यदि मैंने कुछ माननीय सदस्यों की मान्यताओं पर आघात किया है तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं ।

श्रीमन् आप का सम्बन्ध हजारी बाग-राँची क्षेत्र से है । आपको मालूम है कि हज़ारों अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लोगों को भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया गया है यद्यपि हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की रक्षा का अधिकार दिया गया है, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं देता । यह एक महत्वपूर्ण मामला है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए । केवल असुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों पर 6 करोड़ रुपया व्यय कर देने से कुछ होने वाला नहीं है । सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये कि हरिजन मजदूरों को अन्य मजदूरों की अपेक्षा कम मजदूरी न मिले ।

नामसूह लोगों को लीजिए, यह लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, परन्तु इन्हें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित नहीं समझा जाता । वास्तविकता यह है कि वे लोग अनुसूचित जातियों के स्तम्भ हैं । उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान छोड़ दिया है, केवल इसी आधार पर उनसे अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों से सम्बन्ध रखने का अधिकार छीनने का कोई औचित्य नहीं है । ऐसा करना उनके साथ अन्याय करना है और इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

आरम्भ में छोटा नागपुर की जन-जातियों के लोगों की उत्तरी भारत के चाय बागानों में मजदूर भर्ती किया जाता था । यह लोग मुण्डा और कोल दोल लेल जन-जाति समुदायों की हुआ करते थे । आज जब कि यह लोग पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम कर रहे हैं तो उन्हें अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य माना जाता है परन्तु यदि वे लोग आसाम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं, या किसी अन्य धन्धे में लगे हैं, तो उन्हें अनुसूचित जन-जातियों का सदस्य क्यों नहीं माना जाता । इन लोगों का सम्बन्ध तो वास्तव में जन-जातियों से ही है अतः उन्हें अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य माना ही जाना चाहिए ।

मेरा सम्बन्ध पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से है और यह सच है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है,उन्हें कुछ ऊंचा दर्जा प्राप्त हो गया है । परन्तु केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर उन्हें इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए । हमें उनका अधिकार उन्हें सहर्ष देना चाहियें क्योंकि धर्म तो एक व्यक्तिगत

मामला है, जिसका कि जाति तथा जनजाति से कोई सम्बन्ध नहीं : अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां विकासशील भारतीय समाज का एक आवश्यक अंग हैं और हमें उनके हितों की सदा रक्षा करनी चाहिए ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : सभापति महोदय, जब मंत्री महोदय विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने इसके उद्देश्य के बारे में भी कुछ शब्द कहे थे, परन्तु वह इसे पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाये और न ही उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है कि सरकार इसमें क्या संशोधन करना चाहती है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह कुछ ऐसे मानदण्ड निर्धारित करें जिनके आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि किन लोगों को अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों या अन्य जातियों में शामिल किया जाये । परन्तु न तो स्वयं विधेयक में और न ही मंत्री महोदय के भाषण में ही इस प्रकार के मानदण्ड का कोई उल्लेख किया गया है । जो लोग या समुदाय सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, सरकार को उनके बारे में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से उन्नत समुदायों से पृथक रूप में विचार करना चाहिये । ऐसा मालूम होता है कि सरकार स्वयं इस मामले में पूर्णतया स्पष्ट नहीं है और यदि ऐसी ही बात है तो सरकार को पहले इसके बारे में अपनी स्पष्ट धारणा बनानी चाहिए और अगले सत्र में विधेयक पेश करना चाहिए ।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने सभा के समक्ष जो पाँच बातें प्रस्तुत की हैं, वे इस प्रकार हैं :—(i) अनुसूचित जन जातियों के उन लोगों की समस्यायें जिन्होंने ईसाई, इस्लाम या कोई अन्य धर्म अपना लिया है; (ii) आसाम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की समस्यायें; (iii) एक राज्य में पंजीकृत अनुसूचित जनजातियों के लोगों का दूसरे राज्य में स्थानान्तरण करना जहां उन्हें अनुसूचित पंजीकृत नहीं किया गया; (iv) इस विधेयक के पास होने के बाद कुछ अन्य कार्यवाहियां; तथा (v) जब अनुसूचित जनजाति की कोई लड़की, किसी गैर-अनुसूचित जाति के लड़के से विवाह कर लेती है । इन पांचों में से अन्तिम दो को छोड़कर मैं शेष तीनों की चर्चा करना चहता हूँ ।

श्रीमान जी, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जन-आदिम जाति के लोग ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाते हैं, तो उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होता । मैं उनका यह तर्क स्वीकार करता हूँ और मुझे इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है । परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि सरकार को दोहरा स्तर नहीं अपनाना चाहिये । जब अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, फिर भला सरकार उन्हें इन सुविधाओं से वंचित क्यों कर देती है, और जब पहाड़ी आदिम जातियों के लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, तो सरकार उन्हें ये सुविधायें क्यों देना चाहती है ? यह दोहरा स्तर क्यों ?

क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? मंत्री महोदय ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षवाद संविधान का मूलाधार है । लेकिन जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो सरकार उसे विशेष सुविधाओं और विशेषाधिकारों से वंचित क्यों कर देती है ? स्पष्ट है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है । अनुच्छेद संख्या 19 (1) ड. तथा च में

भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी भाग में जाने और स्वेच्छा से व्यवसाय अपनाने का अधिकार है। जब मध्य प्रदेश बिहार या उड़ीसा से कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आसाम में जाता है और चाय बागान श्रमिक का व्यवसाय अपना लेता है तो सरकार यह क्यों कहती है कि वह अब अनुसूचित जाति का नहीं रहा ? क्या उसको मूलभूत अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है ? जो अनुसूचित जाति के लोग दूसरे राज्यों में जा बसते हैं जहां वह जाति अनुसूचित नहीं कही जाती, तो उनको अनुसूचित जाति का नहीं माना जाता । क्या यह संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 (1) (ड.) तथा (च) के विरुद्ध नहीं है जिसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में जा बसने का पूरा अधिकार है ? मंत्री मोहदय को इस पहलू की जांच करनी चाहिये। और स्पस्टीकरण देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारे राष्ट्र के लिए अनुसूचित जाति की एक जैसी सूची हो और विभिन्न प्रदेशों की सूची या राज्य सूची न हो। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की एक अखिल भारतीय सूची बनाई जानी चाहिये ताकि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में क्यों न चला जाए उसे अनुसूचित जाति का सदस्य ही माना जाए। माननीय मंत्री ने उस दिन स्वीकार किया था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अंडमान-निकोबार द्वीप में जाकर बस गए हैं उनको भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की सूची में शामिल किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय विधेयक में संशोधन करने हेतु अंडमान तथा निकोबार द्वीप में रहने वाले लोगों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिये अलग सूची बना रहे हैं।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने एक ही जाति के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ किये जा रहे भेदभाव को दूर करने के लिये विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में भेदभाव को दूर करने के उपाय बताये गये हैं। लेकिन यह उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संयुक्त समिति ने समस्या के समाधान करने के लिये समिति के सदस्यों को विभिन्न अध्ययन गुटों में बांटकर नई क्रियाविधि उपस्थित की है। परन्तु फिर भी संयुक्त समिति का यह प्रयास सफल नहीं रहा।

सिदी जाति एक आदिम जाति है परन्तु न तो इसे दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और न ही उस जाति का नाम सूची से निकाला गया है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस त्रुटि पर विचार करेगी और इस सम्बन्ध में सशोधन प्रस्तुत होने पर उनको स्वीकार करेगी। इसी प्रकार वघरी जाति आदिम जाति है और इसे सूची में शामिल किया जाना चाहिए। आशा है कि सरकार प्रतिवेदन से उत्पन्न असगतियों का निराकरण करेगी।

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक है और देश की जनता के एक चौथाई भाग का भाग्य इस विधेयक पर निर्भर है। सामान्य रूप से पिछड़ी जातियों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, खानाबदोश, अर्द्ध-खानाबदोश और अन्य पिछड़ी जातियां/1951 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग ने 1951 में अपना प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया था। परन्तु सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया और आज सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां सुविधाओं के अभाव में कस्टमय स्थिति में हैं। संविधान के अनुच्छेद संख्या 46 के अधीन प्रत्येक राज्य निर्धन वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये बाध्य है परन्तु इस अनुच्छेद को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद संख्या 15 (4) तथा 16 (4) का भी पालन नहीं किया जा रहा। यही कारण है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में कई जातियों को शामिल करने की मांग की जा रही है। मेरे चुनाव-क्षेत्र में जन जातियों के लोगों को सभी सुविधाएं प्राप्त है परन्तु उनको राजनीतिक लाभ नहीं दिये जा रहे। विधान सभा और लोक-सभा में उनके पद आरक्षित नहीं किये जा रहे। मेरे विचार में पिछड़ी जातियों के सुधार के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 तथा 342 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाने की व्यवस्था की गई है परन्तु 1935 से सूची बनाने से सम्बन्धित प्रचलित मानदंड को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह शैक्षिक तथा आथक रूप से क्षीण हो और हिन्दू अथवा सिख जाति से सम्बन्ध रखता हो। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें आदिम विशेषताएं हों, वह पृथक संस्कृति और पिछड़ी जाति का हो। यदि इस मानदंड का सही रूप में पालन किया जाए तो कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती। परन्तु देखने में आया है कि राज्य इस मानदंड का पालन नहीं करते और राजनीतिक दबाव में आकर अन्य जातियों को भी इस सूची में शामिल करने की सिफारिश करते हैं। इससे उनको हानि तो नहीं होती; बल्कि उन जातियों की सहानुभूति अवश्य प्राप्त हो जाती है।

विधेयक में एक खंड '3 क' जोड़ा गया है। इसमें कुछ जातियों, जैसे ढेड चांडाल, चरल, पंचमा और पारायण आदि, को अप्रति स्ठाजनक नाम देकर उसे अनुसूची में शामिल करने की व्यवस्था दी गई है। मेरे विचार में इस खंड के जोड़ने से भ्रान्ति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि इस बात का निर्णय कैसे हो सकेगा कि ये जातियां मूलरूप से किस जाति से सम्बन्ध रखती हैं और क्या उन जाति के लोगों को सरकार द्वारा दिए गये नाम स्वीकार हैं ? अतः खंड 3 क विधेयक से हटा दिया जाना चाहिए।

समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिन लोगों ने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उनके नाम अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। परन्तु सरकार ने समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म निरपेक्ष राज्य में एक धर्म तथा दूसरे धर्म में भेद किया जा सकता है और क्या धर्म परिवर्तन मात्र से एक व्यक्ति को उसका प्रदत्त सुविधाओं से वंचित करना न्याय सगत है सरकार को इस बात पर गम्भीर रूप से विचार करना होगा।

सरकार ने संयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित विधेयक में 234 संशोधन प्रस्तुत किए हैं। क्या ऐसा करना उचित था। यदि यह संशोधन संयुक्त समिति को भेजे गए होते तो संयुक्त समिति

इन संशोधनों पर विचार कर सकती थी और अपनी राय दे सकती थी। जब 1956 का विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था तो उसमें कोई संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। यदि माननीय मंत्री उन अस्वीकृत संशोधनों को देखें तो उन्हें इस मामले में काफी सहायता मिल सकती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि अनुसूची में जाति का उल्लेख नहीं किया गया तो इस बात को सही नहीं ठहराया जाएगा कि वह जाति अनुसूचित जाति का एक भाग है। एक जैसी और उच्चरण साम्य वाली जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले जनगणना आंकड़ों की जाँच की जिसके कारण सूची में बड़े परिवर्तन हो गए हैं। मेरे विचार में, भारत में जातियों की अधिकता को देखते हुए सूची में अतिरिक्त जातियों को शामिल करना न तो आवश्यक है और न ही संगत ही। साथ ही इससे देश की एकता भी खतरे में पड़ सकती है। अतः सूची में अतिरिक्त नाम शामिल करना आवश्यक नहीं। यदि नामों को शामिल करने में कोई लाभ दिखाई देगा तो उनको सूची में शामिल किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा करना नितान्त अनावश्यक है।

यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा बसता है तो उसे इसी जाति का समझा जाना चाहिये। ऐसी सिफारिश संयुक्त समिति ने भी की थी और इस समय माननीय मंत्री ने इस पर कोई आपत्ति प्रगट नहीं की थी। अब न जाने क्यों माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किया है। आज इन जातियों के लोग सरकारी नौकरी या अन्य उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। अतः उन पर प्रतिबंध लगाना अनावश्यक है। अतः सरकार समिति की सिफारिश को स्वीकार करे और अपने संशोधन वापिस ले ले।

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : मैं समिति द्वारा की गई सिफारिश का स्वागत करता हूँ क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा बसने के बावजूद भी इन जातियों से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा रहता है।

मैं समिति की इस सिफारिश का स्वागत करता हूँ कि गैर-अनुसूचित जाति की स्त्री, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, को भी वही सुविधाएं दी जाएं जो उसके पति को प्राप्त है। मेरा विचार है कि यही बात अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी लागू होनी चाहिए। इससे जातिगत सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा।

यह अच्छी बात है कि ढेड, चांडाल, पांचमा आदि जातियां, जिन्हें अप्रतिष्ठाजनक नाम दिया गया है, सूची से हटाई जा रही हैं।

आदिवासियों के धर्मपरिवर्तन के सम्बन्ध में मैं समिति की इस सिफारिश से सहमत हूँ कि किसी भी व्यक्ति जिनके जनजाति में आस्था छोड़ दी है और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाना चाहिए। यदि सरकार समिति को

इस विचार से सहमत नहीं, तो सरकार को इस प्रकार के धर्मपरिवर्तन पर रोक लगाने के लिये एक विधेयक पेश करना चाहिये । सरकार को ऐसे नियम भी बनाने चाहिये जिसमें यह स्पष्ट हो कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जनजाति की आस्था छोड़कर धर्म परिवर्तन करता है तो वह अपनी सारी सुविधाएं खो बैठेगा ।

गुजरात में नायक नाम की एक जाति है जो बहुत पिछड़ी हुई है । इस जाति की संस्कृति बहुत पुरानी है । इस जाति को सूची में शामिल किया जाना चाहिये ।

बंजारा जाति को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिये । महाराष्ट्र में यह जाति अनुसूचित जनजाति है गुजरात में भी इस जाति के अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना चाहिये ।

गादवी चरन नामक जाति अछूत है और बहुत गरीब भी है जो हरिजनों के मुहल्लों में रहते हैं । लेकिन इसे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसी नाम की एक और जाति है जो हिन्दु जाति की है. वास्तव में इन दो जातियों के बीच कोई सम्बन्ध नही अतः गादवी चरन नामक जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये ।

राजस्थान की नट जाति के अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है किंतु नट जाति के जो लोग गुजराल में रहते हैं उनको अनुसूचित जाति का नही माना जाता । इस जाति को भी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिये । महाराष्ट्र की महार जाति के काफी लोग गुजरात चले गये हैं, गुजरात की महार जाति अनुसूचित है । महाराष्ट्र की महार जाति को भी अनुसूचित जाति के बीच शामिल किया जाना चाहिये ।

मेरा यह भी निवेदन है कि वांकर चामर की साधु जाति के भी अनुसूचित जाति के बीच शामिल किया जाना चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Since the Government is now very gread-minded in the matter of including backward people in the list of scheduled tribes ? Therefore, request that Kolies should also be included in the list. In case the dawn trodden Section is to be developed. The Kolies should the included in the list of Scheduled Castes. These Kolies are in majority in my constituency. Therefore they should an included in the list of Scheduled Castes.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The object of introducing this Bill is to provide facilities to the Harijans who constitute a down trodden Section of the Society. Harijans are, in fact, original races of our country. Christ and Gandhi also pleaded the cause of the weak section of the Community.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । **Mr. Speaker** *in the Chair*]

All religious are equal accordtng to our constitution. My plea is that our scheduled caste and scheduled tribe brothers who have converted to other religious should not be given the facilities being provided to these castes and tribes at present. All the backward classes who deserve development should be included in the list. Poor Communities like Ramjana, Mallah and fishermen should also be included in the list. LOHAR, KUMHAR. SUNAR. JULAHA etc. etc. should also the included in the list of Utter Pradesh.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The wav this Government dealt with the scheduled castes and scheduled tribes after independence, made them the instrument of exploitation with a view to strengthen its power, The lengthy amendments added to this Bill shows that the Govt. is still serious about the welfare of these tribes and castes. An attempt has been made to collect statistics about scheduled castes and scheduled tribes. The constitution has provided for promoting the plight of these tribes who remained under constant exploitation for thousand years.

Will the Hon'ble Minister give an assurance to the House that Govt. will take decision for providing facilities to the converted scheduled tribes keeping in view their economic condition, after this amendment is passed.

Despite its short comings we support this Bill that the Govt. should give an assurrance that there will be no difference between Harijans and scheduled tribes after this amendment is passed.

२० नवम्बर १९७० को पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले में हुई आठ व्यक्तियों की हत्या के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MURDER OF EIGHT PERSONS IN 24 PARGANAS DISTRICT OF WEST BENGAL ON NOVEMBER, 1970

श्री कृष्णचन्द्र पंत :20 नवम्बर की सुबह 24 परगना जिले के पुलिस अधिकारियों को कार्यक्षेत्र के अंदर आठ शबों के देखे जाने की सूचना मिली ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं जानना चाहता हूँ कि आप उस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कर रहे हैं या अस्वीकृत, जिसकी सूचना शनिवार को दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे जानना चाहिये कि वह इस विषय में क्या कहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिन पर दोष लगाये गये हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है, हमारी इसमें दिलचस्पी नहीं है

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की बात सुनने दीजिये ।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : जैसा कि मैं कह रहा था कि 24 परगना जिले के पुलिस अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में देखे गये शवों की सूचना मिली । खोज करने पर 4 शव अंदंगा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में मिले और बाकों 4 बारासत पुलिस स्टेशन क्षेत्र में, सारे शव नौजवान व्यक्तियों के थे । उनके हाथों को पीठ से बांध रखा था वे सब कमीज और पायजामे पहने थे । जहां शव मिले, वहां संघर्ष के कोई निशान नही थे ।

22 नवम्बर तक हमारे मारे शव पहचाने गये । ऐसा कहा जाता है कि मृतक 24 परगना जिले के दक्षिणेश्वर तथा अरियादाह क्षेत्र के रहने वाले थे ।

केन्द्रीय अदालती प्रयोगशाला कलकत्ता के विशेषज्ञों को जांच सम्बन्धी यथासम्भव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया । पश्चिम बंगाल सरकार ने आग्रह किया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी इस जांच में सहायता प्रदान करे । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संचालक आज शाम जांच के लिये सहायता प्रदान करने हेतु कलकत्ता के लिये रवाना हो रहे हैं ।

सरकार की प्रतिक्रिया इन निर्मय हत्याओं के प्रति बहुत गम्भीर है। ऐसे भी दोष लगाये गये हैं कि पुलिस ने ही ये हत्यायें की हैं लेकिन इन दोषों का कोई आधार नहा है।

कल से सरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इस बात पर विचार-विमर्श आरम्भ कर रही है कि दण्ड-प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवश्यक जांच के अतिरिक्त क्या जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत भी इस घटना की जांच की जानी चाहिए। यद्यपि जांच आयोग के अतर्गत जांच के औचित्य पर शंका व्यक्त की गई है, किन्तु फिर भी दण्ड प्रक्रिया संहति के अन्तर्गत जांच हो रही है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है चूंकि यह एक सामूहिक हत्याओं का मामला है और हत्यायें भी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई हैं, अतः इस सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। यह भी निर्णय किया गया है कि आयोग के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के किसी सेवा-निवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश को ही नियत किया जाये।

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : हमने मंत्री महोदय का यक्तव्य सुन लिया है। मेरा निवेदन यह है कि मंत्री के वक्तव्य को सुनने और स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने में अन्तर है। चर्चा स्थगन प्रस्ताव के आधार पर ही की जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष महोदय स्थगन प्रस्ताव पश करने की अनुमति नहीं देंगे तो हमें विरोध स्वरूप सभा से बाहर जाना पड़ेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद भी मैं समझता हूँ कि अभी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का औचित्य बना हुआ है। आज इस घृणास्पद दुर्घटना ने एक विशेष रूप धारण कर लिया है। हस इस पर निश्चय ही चर्चा करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में सभी ओर से हमें निरन्तर पत्र तथा तारें प्राप्त हो रही हैं जिनमें इन घटनाओं के बारे तब्री क्षोभ व्यक्त किया गया है। आज देश विलम्ब या टाल मटोल की चाल-बाजियों से तंग हो गया है,कौन जानता है कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक जांच से क्या होगा परन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की इस स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति पर पहुंचने के बाद अब नियन्त्रण सम्भव नहीं है। ऐसी घटनायें नागरिक जीवन के लिए खतरा है। सभा को इस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए अन्यथा वह अपने उत्तरदायित्व से विमुख होगी, क्योंकि उस घृणित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होते ही, बंगाल में तो पुलिस का आतंक छा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कांग्रेस की ही वह अपनी एक पत्रिका "अमृत बाज़ार" में भी इस घटना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पत्रिका में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उन लड़कों को पुलिस ने बंदी बनाया और फिर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अत सभा के समक्ष मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य रखा है उस पर विश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर विचार चाहते हैं और इसी पर विनिर्णय और निर्णय होना चाहिए। यदि इसकी अनुमति न दी गई, तो हम विरोध स्वरूप सभा से बाहर चले जायेंगे।

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : जब सम्पूर्ण मामले की जांच के लिए एक

न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो हमें इससे संतोष करना चाहिए। जांच प्रतिवेद प्राप्त होने के बाद हम पुनः इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री कृष्ण मेनन (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय मैं भी अन्य सदस्यों की तरह ही मंत्री महोदय को सुनने का इच्छुक था : मंत्री महोदय से अपने वक्तव्य में यह भी उल्लेख किया है कि ये आरोप लगाये गये हैं कि ये हत्यायें पुलिस ने की है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता। जांच से पूर्व ही इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का वक्तव्य जांच के प्रतिकूल है और सरकार की मनोवृति को व्यक्त करता है। मेरा विचार है कि यदि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाये, तो इस प्रकार के अन्य भी बहुत से विचार सामने आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी मंत्री महोदय के वक्तव्य की प्रतिक्षा कर रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा है, मैंने उस पर विचार किया है। मंत्री महोदय का कहना है कि इन तथ्यों के बारे में दो मत हैं। एक मत का दूसरे मत से विवाद है परन्तु जब सभा के समक्ष स्थगन प्रस्ताव आता है तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ता है कि तथ्य क्या हैं और क्या सरकार स्थिति सम्भालने में असफल रही है। प्रस्तुत सन्दर्भ में तथ्यों में बारे में विवाद है और सरकार की असफलता के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः इन परिस्थितियों में मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री अ० कु० गोपालन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

Shri A. K. Gopalan and some other hon, members left the Home.

श्री हो० ना० मुकर्जी : आपने "प्रशासन की असफलता" की बात की है, आठ हत्यायें हो गई है और अभी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल न्यायिक जांच से ही यह निर्णय दे सकेगा कि दोष किसका है, उस से सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री पंत ने भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि सड़क के किनारे आठ लाशें पाई गई थीं···(व्यवधान)

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्रीमन् मुझे आपके निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना। परन्तु इतना अवश्य है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन की असफलता पर इस सभा में कभी विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमन् मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको मालूम है कि शुक्रवार को मेरे प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार हो रहा है। क्या यह उसी का प्रमाण है ?

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) श्रीमन् सरकारी पक्ष के लोग हंस रहे हैं। यह एक गम्भीर विषय है हमारे कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये हैं और यह उनका मजाक उड़ा रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाईये । आप अशान्त मत होईये । जब जांच के बाद तथ्यों का निर्णय हो जायेगा, तभी इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकेगा । इसीलिये मैंने इसे अस्वीकार किया है । श्री मृत्युंजय प्रसाद —

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक जारी

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL—CONTD.

Shri Mrityunjay Prashad (Maharajganj) : Mr. Speaker, Sir, I would like to add two or three things in this connection. The very basic question is that whether this Government or House is really interested in the upliftment and progress of Harijans ? If really it is so, what is the definite criterian established to achieve this objective. The answer is in the negative. No definite criterian has so far been laid down for including or excluding a particular community from the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It has led to a wirepulling in different directions for inclussion of various castes and communities in the list. Has there been a positive approach and clear thinking on the part of the Government in respect of the Bill, the number of amendments would have been less. All this shows that confusion is prevailing in the minds of the ruling party over the vital, issues, contained in the Bill.

Now, when the Government itself is suffering from ambiguity and confusion, no party which should be issued to the Members of ruling party. Let the Members be allowed to vote on the amendments according to their conscience.

Sir, the suggestions of the Joint Committee that the conversions should not be extended to those tribes who have embraced christianity is very reasonable, because caste system is a part of Hindulism and if one has relinquished Hindulism, he is no longer a Harijan and, therefore, the concessions and facilities extended to these communities should not be extended to him. Besides after his conversion, he invasiably leaves all his anustral traditions and customs. How can he then be regarded as a tribal ?

It is good to extend certain concessions to Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in regard to age limit and also in respect of qualifications etc. for entering the Government Service. It is equally good to reserve some constituencies for them. But these things should not be dominated by vested interests. So long vested interests are there, untouchability cannot be eleminated for centuries together. So, if once the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes enter the Government Service, no relaxation or reservation should be made in respect of their promotion etc. It would affect their efficiency and was their initative. Similarly, the Members of this House who have returned from reserved constituencies but are now at per with other Members, should try to return from General Constituencies, so that their reservations could be availed by other poor and backward Members. Such an attitude will given them a sense of pride also. The same thing should be made applicable to tribals of rich, educated and powerful community of christians. It is correct that there should not be a punishment for religious convension but at the same time those who do not change the religion, should not be punished.

Lastly, I must add one thing about Bihar also. Many of our tribals have migrated of Assam tea gardens. But with their migration, they have not changed their religion, for example, the Santhyal tribals I strongly plead that these people should be given all such

concessions which were being given to them in their some State. In the end I will request the Government to reconsider the Bill which is suffering from ambiguity and confusional Members should be allowed to vote according to their conscience.

**वन्य-जीवों के शिक्षण, संरक्षण और परिक्षण में चिड़ियाघरों का योगदान

Role of Zoos in Educational, Conservational and Preservative aspects of wild life

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विषय पर चर्चा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। "वन्य जीवों" शब्द का अर्थ केवल वन्य पशुओं से ही नहीं हैं अपितु इस शब्द का अर्थ वन्य वनस्पति और उनके प्राकृतिक दास-बन मरुस्थल, दल-दल और पर्वत से भी है। इस विषय पर चर्चा उठाने का प्रमुख कारण यही है कि सरकार इस विषय के महत्व के प्रति पूर्णतया जागरुक नहीं है।

मैं इसी सन्दर्भ में यह उल्लेख करना चाहूँगा कि वन्य-जीवों के महत्व का प्रतिपादन तो कालिदास की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार महाराजा अशोक के शिलालेखों में भी वन्य जीवों की सुरक्षा से सम्बद्ध शब्द देखने को मिलतें हैं। भारत सरकार ने भी 1952 में वन्य-जीवों से सम्बन्द्ध एक भारतीय बोर्ड की स्थापना कर दी थी। इसी बोर्ड की पत्रिका की एक प्रस्तावना में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा है कि जंगलों के वन्य-जीवों में हमारे जीवन को रमणीय बनाने की क्षमता है। उनका विचार है कि यदि इन वन्य-जीवों में सोचने की क्षमता हो तो न जाने वह मानव के बारे में क्या कहेंगे।

1965 में भारतीय बोर्ड ने वन्य जीवों से सम्बद्ध कुछ पत्रिकायें निकाली और 1966 में भारतीय वन सेवा के एक सदस्य श्री पी० डी० स्ट्रैमों ने "वाइल्ड लाईफ मैनेजमेन्ट इन इण्डिया" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। वन्य जीवों के सम्बन्द्ध भारतीय बोर्ड की सिफारिशें तथा उसकी स्थायी कार्यकारी समिति की 1961-65 तक की बैठकों की कार्यवाही भी पत्रिकाओं के रूप में छापी गई है, परन्तु उन सिफारशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया इन बातों पर जोर देने का कारण यह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ वन्य जीवों के वास-स्थल समाप्त होते जा रहे हैं। उद्योगों के बढ़ने एवं सड़कों के बनने और संचार व्यवस्था के कायम होने के, आधुनिक हथियारों और मोटर गाड़ियों तथा रोशनी का अविष्कार होने से, बिना परमिट शिकार करने से और जाल तथा फंदे बनने से कीटनाशक तथा फोली डाले के उपयोग से वन्य जीवों की संख्या में काफी कमी होती जा रही है।

देश में कुछ ऐसे राजनैतिक दल हैं जो बिना सोचे समझे वृक्षों को काटने में गौरव अनुभव करते हैं और एक प्रकार वन्य जीवों के प्राकृतिक वास-स्थलों को बिगाड़ने तथा नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

** आधे-घण्टे की चर्चा

Half-An-Hour Discussion.

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में नगर के बाहर 400 एकड़ बनों को विरोधी दलों ने काट दिया है। इस तरह जानबूझकर प्राकृतिक वाह- स्थलों को बिगाड़ने तथा नष्ट करने से हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ।

यह बात सचमुच खेद की है कि सरकार वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये कोई रुचि नहीं ले रही है और हम इस विषय में विश्व के अन्य भागों में किये गये कार्यों की जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

यद्यपि हमने राष्ट्रीय पार्कों शरणस्थलों तथा संरक्षण के अन्य स्थलों के विकास कार्य के लिये भरसक प्रयत्न किये हैं तो भी यह बात ठीक है कि महामारियों, बिमारियों, सूखा तथा बाढ़ों जैसे प्राकृतिक प्रकोपों से हुये बिनाशों से वन्य जीवों के लिए शतप्रतिशत बचाव की गारंटी करना और उनकी सुरक्षा करना बिल्कुल असम्भव है। अतः दुर्बल जन्तुओं के लिये चिड़ियाघरों में प्रजनन केन्द्रों का होना आवश्यक है, वन्य-जीवों के संरक्षण की शिक्षा मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

चीता भारत में समाप्त सा हो गया है फिर भी अमरीका में चीते की इस नस्ल को जिन्दा रखने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं, इसी प्रकार अन्य जन्तु जिनकी नस्लें भारत में समाप्त होने जा रही हैं, अमरीका में पाये जाते हैं।

वन्य-जीव, परिन्दे तथा मछलियां एक कृषि प्रधान देश की आर्थिक स्थिति के लिये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, केरल, उड़ीसा आदि तटवर्ती राज्य मछलियों द्वारा काफी आय प्राप्त करते हैं।

अभी हाल में लंदन में हुए विश्व वन्यजंतु कांग्रेस अधिवेशन ने वन्य तथा जल जंतुओं के लिए दूषित किये जाने वाले वातावरण पर काफी चर्चा की। जापान भी वन्यजंतुओं, परिंदों तथा मछलियों के लिए उचित वातावरण बनाने की विश्व में कदम उठा रहा है।

यह बात स्पष्ट है कि संसद तथा विधान सभाओं के कानून तथा विज्ञान भवन के अधिवेशन इन विलुप्त होने वाले जंतुओं को जिन्दा रखने के लिये लोगों के सहयोग बिना महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकते।

53 करोड़ की आबादी के लिये देश में केवल 25 ही चिड़ियाघर हैं। वन्य-जंतुओं का संरक्षण सम्बन्धी विषय स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

हमें पशुओं के प्राकृतिक वास-स्थल को नहीं बिगाड़ना चाहिये। जंतुओं, परिन्दों तथा अन्य प्राणियों, जो बोल नहीं सकते, की ओर से मैं बोलता हूँ कि हमें इस भूमि को सुरक्षित रखना चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिये हम राष्ट्रीय पैत्रिक सम्पत्ति को सुरक्षित रख सकें।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : इस महत्वपूर्ण समस्या पर श्री क० प्र० सिंह देव ने बडी गहराई से विचार किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि दुर्लभ जंतुओं का नाश नहीं किया जाना चाहिये। गुजरात क्षेत्र के सफेद चीतों की तरह सचमुच दुर्लभ-जंतु विलुप्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्कों तथा शिकार शरण-स्थलो को बनाने तथा इनके रख-रखाव की दिशा में हमें ध्यान देना चाहिये।

मैंने मंत्री महोदय से छोटे नहरों में चिड़ियाघर खोलने के लिये कहा था जो मनोरंजन के साथ शिक्षा की दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध होंगे।

उड़ीसा तथा शिमला के आकर्षक स्थलों को विकसित करने के लिये हम अनेक बार दबाव डालते आरहे हैं। यदि वन्य जीवों के संरक्षण और राष्ट्रीय पार्कों तथा क्रीड़ास्थलों के विकास को पर्यटक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इससे काफी लाभ हो सकता है। अतः मैं चाहूँगा कि सरकार इस ओर गम्भीरता से विचार करे।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : We know the importance of zoo and wild life. History of the origin of human life is based on wild life. India had been the abode of tigers since times immemorial but these species are extincting. I want to know the steps taken to preserve these species.

The condition of zoos in our country is not good, Condition of Delhi Zoo is also not good. Man I know the provision kept in the fourth five year plan for the development of zoos ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु जमीर) : श्री क० प्र० सिंह देव ने वन्य जीवों पर काफी प्रकाश डाला है, उन्होंने ठीक ही कहा है कि वन्य-जीव शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योग देते हैं। देश के 24 चिड़ियाघरों में से केवल एक ही केन्द्रीय सरकार के अधीन है 17 राज्य सरकारों के अधीन हैं और 5 नगर-पालिकाओं के अधीन। अतः राज्य सरकारों तथा नगरपालिकाओं के अधीन वाले चिड़ियाघरों के मामले में हम हस्तक्षेप नही कर सकते। दिल्ली का चिड़ियाघर केन्द्रीय सरकार के अधीन है। हमने इस चिड़ियाघर के विकास के लिये बहुत कुछ किया है। वन्य-जीवों की शिक्षा की दिशा में भी हम ध्यान देते आरहे और हैं हमारे स्टाफ के सदस्य स्कूलों, कालिजों तथा अन्य हैं शिक्षा संस्थाओं में भाषण देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम वन्यजीवों पर फिल्में भी दिखाते हैं। हम टेलीविजनों पर भी वन्य-जीव सम्बन्धी तस्बीरें दिखाते हैं।

वन्य-जीवों के संरक्षण हेतु हमारे पास प्रजनन केन्द्र भी हैं।

बच्चों तथा पर्यतकों की सुविधा के लिये हमने कई राष्ट्रीय पार्कों में ट्राली की व्यवस्था की है।

चिड़ियाघर संबंधी हमने एक उप समिति की स्थापना कर रखी है जो चिड़ियाघरों के विकास हेतु सलाह प्रदान करती है। हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि चिड़ियाघरों के विकास हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था करे। वन्य-जीवों के संरक्षण हेतु हमें कानून बनाना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बन्य-जीवों की नस्लें समाप्त होने जारही हैं। लोगों को वन्य-जीवों के महत्व सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना जरूरी है।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार, 24 नवम्बर 1970/3 अग्रहायण 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, on Tuesday, 24th November 1970/Agrahayana 3, 1892 (Saka)

Printed s nting Press, New Delhi-18.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

23 नवम्बर , 1970 । 2 अग्रहायण , 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
4	तारांकित प्रश्न संख्या 271 के शीर्षक में `197 `के स्थान पर 1970 पढ़िये ।
11	नीचे से पंक्ति 5-6 को निकाल दीजिये ।
28	अतारांकित प्रश्न संख्या में सदस्य का नाम `श्री देविन्दर सिंह गार्चा `पढ़िये
135	ऊपर से पंक्ति 3 में `देश ` के स्थान पर `आदेश `पढ़िये ।